खण्ड-327, अंक-4
गुरूवार, 31 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(22 सितम्बर, 1977 ई0)

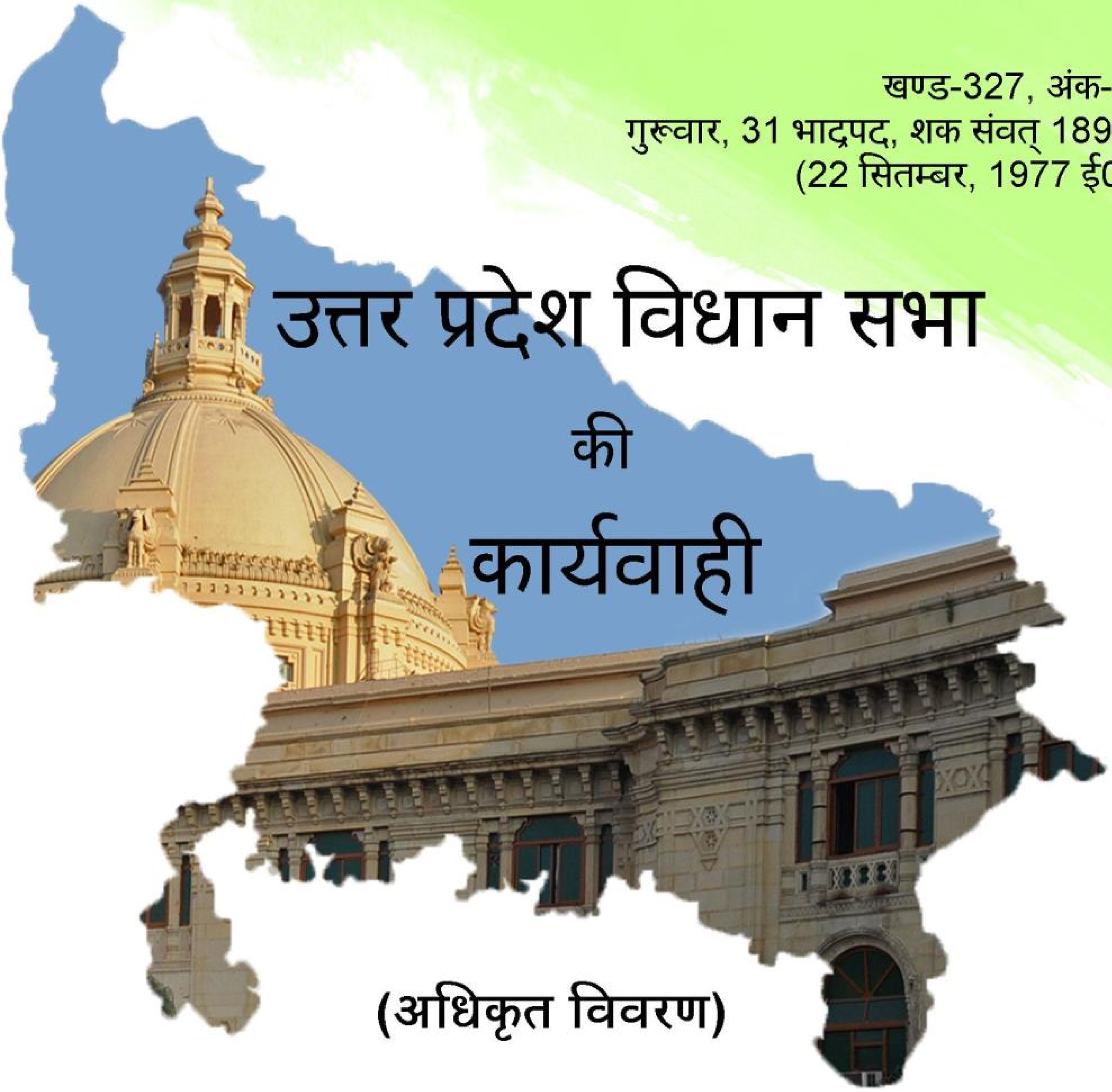

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 327 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	415–419
प्रश्नोत्तर	420–446
बस्ती, गोरखपुर, देवरिया को सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	447
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	447–448
रोडवेज बस डिपो, आजमगढ़ में हुयी लूट-पाट, हत्या आदि के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	448–449
गोरखपुर के नगर क्षेत्र के अल्प वेतन-भोगी कर्मचारियों को वेतन न मिलने से असन्तोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	449–450
हाई स्कूल तथा इण्टर मीडिएट की कक्षाओं का परीक्षाफल तथा प्रमाण-पत्र कम्प्यूटर से तैयार कराए जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	450
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	450–451
गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में सूखे के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	451–452
प्रदेश में सूखे, बाढ़ तथा कटाव के विषय पर चर्चा के लिए समय निर्धारण ..	452–456
श्री सुन्दर लाल दीक्षित का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	456–457
सदन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चलाने के सम्बन्ध में सदस्यों को आचरण संहिता बनाने का सुझाव	457–462
सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले तारांकित प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रार्थना	462–463
नार्दन इंडिया पत्रिका के विरुद्ध न्याय मन्त्री द्वारा उनके भाषण को गलत छापे जाने के सम्बन्ध में शिकायत	463–464
श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा 14 सितम्बर, 1977 को सदन में अव्यवस्था करने के सम्बन्ध में खेद प्रकाश की सूचना	464
श्री विद्या शंकर श्रीवास्तव, अनुसचिव, गृह पुलिस अनुभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	464–465
परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित लेख के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	465–470
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	470

विषय	पृष्ठ संख्या
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 38––सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण) (जारी)	470–511
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	512
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 38––सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण) (स्वीकृत)	512–524
सदन के संज्ञान में लाए जाने वाले विषयों के उत्तर देने के सम्बन्ध में व्यवस्था	524–526
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	526
नत्थियां	527–535

उदय प्रतेश्वा प्रेस

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—356

अकबर हुसैन ,श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुज्जफर नगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज श्री
अब्दुल हलीम खाँ, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेई, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णकान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्ण राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेई, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल श्री,
छोटे लाल निर्भय, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नरायण, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाकर, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही' श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम 'प्रेमी', श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह,, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
राव मुश्ताक अहमद, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्य मुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह, शास्त्री, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 1977

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रशिक्षणार्थी विद्युत् डिप्लोमा होल्डरों का आमरण अनशन

**1—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् ने 500 विद्युत् डिप्लोमा होल्डरों को नौकरी की गारन्टी करके अप्रेंटिस में भर्ती किया था ? उसमें से 190 को नौकरी में नहीं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि 7 सितम्बर, 1977 से वे अप्रेंटिस आमरण अनशन राज्य विद्युत् परिषद् (शक्ति भवन) के सामने कर रहे हैं और माननीय विद्युत् मन्त्री तथा राज्य विद्युत् परिषद् के चेयरमैन को अगस्त से लेकर अब तक बीसों प्रार्थना-पत्र दिए हैं ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द किशोर शाही)—

403 विद्युत् एवं यांत्रिक डिप्लोमा होल्डर्स को भारत सरकार की अप्रेंटिसेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1973 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में जून/अगस्त, 1976 में एक वर्ष के प्रशिक्षण हेतु लिया गया था। उन्हें राज्य विद्युत् परिषद् में नौकरी हेतु कोई गारन्टी अथवा आश्वासन नहीं दिया गया था। परिषद् में अवर अभियन्ता के कुछ पद रिक्त होने के कारण उपरोक्त प्रशिक्षार्थियों में से 218 डिप्लोमा होल्डर्स को, जो साक्षात्कार के आधार पर बनी योग्यता सूची में ऊपर पड़ते थे, विद्युत् परिषद् में अवर अभियन्ता संवर्ग में नियुक्ति दे दी गयी। शेष प्रशिक्षार्थियों की नियमित नियुक्ति सम्भव नहीं है।

प्रशिक्षण प्राप्त कुछ अप्रेंटिस 7 सितम्बर, 1977 से राज्य विद्युत् परिषद् के मुख्यालय (शक्ति भवन) के सामने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं परन्तु विद्युत् परिषद् में स्थान रिक्त न होने के कारण उन्हें नौकरी पर लेना सम्भव नहीं है।

(मूल प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने के बाद) अनशन समाप्त हो गया है।

श्री ऊदल —

क्या अनशन इस शर्त के साथ समाप्त हुआ है कि 20 तारीख को एक जी0ओ0 हुआ है कि अब जो जगहें होंगी, 185 जो ट्रेंड हो चुके हैं, उनकी नियुक्ति की जायेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, जो संख्या माननीय सदस्य कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। नियुक्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, केवल इतना आश्वासन दिया गया है कि 2 तरह के ट्रेनीज होते हैं, एक जो भारत सरकार के निर्देश पर विद्युत् परिषद् को लेना पड़ता है। जब वह आते हैं, तब एक फार्म भरना पड़ता है, उसमें यह स्पष्ट रहता है कि वह मेरे यहां सेवा करने के लिए बाध्य नहीं है और न कोई उन पर प्रतिबन्ध है। इसी प्रकार से विद्युत् परिषद् के ऊपर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि उनको सेवा में रखे ही, दूसरे वह होते हैं कि विद्युत् परिषद् ऐड-वरटाइज करती है और वह आते हैं। वह जो आते हैं, उन लोगों का तो हमारे ऊपर दायित्व

होता है। इसी प्रकार से इस साल हमारे यहां एक साक्षात्कार हुआ, उसमें कुछ लिए गए और 191 नहीं लिए गए, वह लोग भी कहते हैं कि हमें ले लिया जाए। उन्हें लेना हमारे लिए सम्भव नहीं है। इस सिलसिले में 3 बातें हुई हैं। एक तो यह कि पहले हमारे जो 700 ट्रेनीज हैं उनको ऐबजार्व कर लेंगे, उसके बाद हम उनको लेंगे। दूसरे, नेशनल थर्मल पावर जो भारत सरकार का ओबरा में है वहां के लिए हम उनकी एप्लीकेशन्स को रिकमेंड कर देंगे और तीसरे जो 30 तारीख को यानी 30 अगस्त, 1977 को, जो इनकी अपरेंटिसशिप का काल समाप्त हो गया था, उसे एक महीने के लिए और बढ़ा देंगे।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

क्या माननीय विद्युत् मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्टाइपेण्ड यहां पर दिया जाता है, उसमें अन्तर होता है? अधिकारियों के पुत्रों और सामान्य लोगों के पुत्रों में अन्तर होता है। अधिकारियों के पुत्रों को अधिक स्टाइपेण्ड दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष--

कोई प्रिफरेंस मिलता है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है कि इस तरह का कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। मैं जांच करा लूंगा कि क्या कोई अन्तर है। अन्तर नहीं होना चाहिए।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि उन्हें एक महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है, 30 अगस्त से 30 सितम्बर तक। तो क्या माननीय विद्युत् मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अनशनकारियों से इस सिलसिले में कोई बात की है कि उन्हें एक महीने के अन्दर कहीं भी एडजस्ट कर लिया जाएगा ताकि एक महीने के बाद वे दोबारा अनशन न करें?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, जिस दिन उनकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग की अवधि समाप्त हो रही थी 20 अगस्त के दिन, तो उस दिन उनके प्रतिनिधि मुझसे मिले थे। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि आपको एक महीने के लिए और एक्सटेंशन दिया जा रहा है और भारत सरकार से इस बात के लिए कहा जाएगा कि वह आपको कहीं न कहीं एडजस्ट करा दें। साथ ही हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको कहीं न कहीं एडजस्ट कर लिया जाए।

श्री ऊदल--

क्या माननीय विद्युत् मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् ने इन अप्रेंटिसों से कोई अनुबन्ध कराया था और उनको नौकरी देने की गारन्टी दी गयी थी? जब 403 अप्रेंटिसों की भर्ती की गयी थी, तो उनमें से 218 को सर्विस में रख लिया गया था और जो बाकी बच गए थे, उनसे भी अनुबन्ध कराया था कि आपको अप्रेंटिस करने के बाद सर्विस दी जाएगी और सर्विस करनी होगी तथा पांच वर्ष का अनुबन्ध होगा। क्या मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उसके आधार पर जांच अवश्य कराई जायेगी। मुझे जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है, वह यह है कि अनशनकारी अप्रेंटिस, भारत सरकार के ट्रेनीज थे और इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनसे पांच वर्ष का अनुबन्ध कराया गया हो। हां, अनुबन्ध उन लोगों के साथ जरूर होता है जिनकी भर्ती जूनियर इन्जीनियर पद के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् अपनी नोटिस निकाल कर करती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या विद्युत् मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि विद्युत् परिषद् ने अपनी पंच-वर्षीय योजनाओं को बनाने के दौरान प्लानिंग के दृष्टिकोण से इस बात का सर्वे किया है कि आने वाले वर्षों में इस वर्ष भी और अगले वर्ष भी हजारों विद्युत् यांत्रिक डिप्लोमा होल्डर्स को भर्ती करने की आवश्यकता होगी ? यदि ऐसा सर्वे हुआ है तो, क्या वर्तमान कामर्स मिनि-स्टर, श्री मोहन धारिया की मैन-पावर प्लानिंग के अन्तर्गत इन अप्रेंटिसों को भी प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इनको नौकरी मिले, इसमें हमारी पूरी सहानुभति है। अनशन समाप्त कराते समय उनसे मैंने स्पष्ट कह दिया था कि इस समय हमारे यहाँ जो 600 लोग ट्रेनिंग में हैं, उनको एब्जार्ब करने के बाद ही जैसे-जैसे स्थान रिक्त होते जायेंगे, उनमें आप लोगों को प्राथमिकता दी जायगी।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय विद्युत् मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन 403 अप्रेंटिसों को ट्रेनिंग दी गयी थी, उनमें से 218 को नौकरी पर लेने का आधार क्या था और शेष 185 को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल नहीं पैदा होता। उत्तर में लिखा हुआ है कि योग्यता के आधार पर उनको लिया गया और बाकी को नहीं लिया गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

माननीय मन्त्री जी ने यह कहा है कि उन्होंने भारत सरकार को लिखा है। तो क्या उनकी ओर से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। हमने केवल उन लोगों को कहा है कि इतन एप्रेंटिस हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

बिजली सरकारी क्षेत्र में है, यानी पब्लिक सेक्टर में हैं। 403 लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना बनी और वे प्रशिक्षित हुए। जब बिजली का जेनरेशन और डिस्ट्रि-ब्यूशन प्राइवेट सेक्टर में न होकर केवल सरकारी क्षेत्र में ही होता है तो ऐसी दशा में, इन व्यक्तियों को जिनका प्रशिक्षण हो रहा है तो क्या इनको बोर्ड में रखने की जिम्मेदारी नहीं ली थी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप तर्क दे रहे हैं। उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि जितनों की आवश्यकता थी, उनको ले लिया गया। शेष व्यक्तियों के लिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने भारत सरकार को लिखा है कि अगर वे चाहें तो उनको सेन्ट्रल अण्डरटेकिंग्स में ले लिया जाय।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, इनके बहुत से थरमल पावर स्टेशन हैं, जिनमें इन प्रशिक्षणार्थियों को रखा जा सकता है. . . .

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

जब इन लड़कों की ट्रेनिंग हो रही थी तो पनकी में विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष, श्री बालिगा ने एक लिखित आश्वासन दिया था कि 6 महीने के अन्दर जो लोग ट्रेनिंग पा जायेंगे, उनको निश्चित रूप से सर्विस में ले लिया जायगा, तो फिर अब क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। जैसा मैंने पहले भी कहा उनके बारे में कोई ऐसा आश्वासन नहीं था। केवल एक आश्वासन जरूर था कि जो एप्रेंटिस ट्रेनिंग ले रहे हैं उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत उनके लिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठिए।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

---

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

---

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

पैरा मेडिकल वर्कर के चयन हेतु सेवायोजन कार्यालय, बस्ती से भेजे गए अभ्यर्थियों में बरती गई अनियमिततायें

*2—श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बताएंगे कि जनवरी, 1974 से 15 जुलाई, 1977 तक कब-कब और कितने-कितने अभ्यर्थियों का नाम चिकित्सा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पैरा मेडिकल वर्कर के चयन के लिए जिला सेवायोजन कार्यालय, बस्ती से भेजा गया ? क्या यह सही है कि पहले से रजिस्टर्ड तथा अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम न भेजकर बाद के रजिस्टर्ड तथा कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का नाम अग्रसारित किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रम मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

वर्ष 1974 में पैरा मेडिकल वर्कर के रिक्त स्थान सेवायोजन कार्यालय, बस्ती को अधिसूचित नहीं किए गए थे। 1 जनवरी, 1975 से मई, 1977 की अवधि में पैरा मेडिकल वर्कर के रिक्त स्थानों के लिए सम्प्रेषित अभ्यर्थियों की संख्या का विवरण संलग्न है। 1 जून, 1977 से 15 जुलाई, 1977 तक कोई सम्प्रेषण नहीं हुआ।

जी हाँ, यह सही है कि पहले से रजिस्टर्ड तथा अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम न भेजकर बाद के रजिस्टर्ड तथा कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के नाम सम्प्रेषित किए गए। इस सम्बन्ध में जिला सेवायोजन अधिकारी, बस्ती का स्पष्टीकरण माँगा गया है, उसके प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सम्बन्धित जिला सेवायोजन अधिकारी का बस्ती से स्थानान्तरण करने के भी आदेश कर दिए गए हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 527 पर।)

श्री बाबू राम वर्मा—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि संलग्न सूची के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, उनके क्या प्राप्तांक है और जिनका चयन नहीं किया गया है, उनके प्राप्तांक क्या है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, जो रेकार्ड्स होते हैं, वह जब नाम भेज दिया जाता है, पैनल में, उसके 12 महीने बाद वह डिस्ट्राय कर दिए जाते हैं। जून, 1976 से आज तक के रेकार्ड्स हैं। प्राप्तांकों की सूचना उनमें भी नहीं है। सूचना, अगर मुझे समय मिले, तो मैं दे सकता हूं।

श्री बाबू राम वर्मा—

क्या यह सही है कि इस चयन में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में कोई शिकायत शासन को मिली है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

यह निवेदन मैंने किया कि तीन तरह की अनियमितताएं पाई गयीं। एक तो जो फाइनल डेट नाम भेजने की थी उसके बाद तक नाम भेजे गए। दूसरे, जितनी संख्या में भेजने चाहिए थे, उससे ज्यादा भेजे गए। तीसरे, स्पाट सेलेक्शन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 5 दिन का टाइम था, बुला सकते थे, मगर वहाँ जो लोग आए उन्हीं में से चुन कर

भेज दिए गए। इन तीन तरह की अनियमितताओं के लिए उनसे स्पष्टीकरण माँगा गया है और इस बीच में ठंढी जगह भेज दिया गया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

सेवा योजन विभाग ने कम अंक प्राप्त करने वाले और बाद में रजिस्टर्ड लोगों के नाम भेज दिए यह उन्होंने अनियमितता की। लेकिन जो सेलेक्शन किया गया उसमें अधिक अंक पाने वालों का न करके, कम अंक पाने वालों का सेलेक्शन करने के जो उत्तरदायी थे क्या उनको दंडित किया गया है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जो उत्तरदायी थे उन्हीं से स्पष्टीकरण माँगा गया है।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन उनका ब्रीफ तो आप होल्ड करते हैं। क्योंकि जो चयन समिति थी, वह लोग तो यहाँ हैं नहीं। तो उनसे कौन जवाब तलब करेगा ? वह तो आप ही के माध्यम से किया जा सकता है।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

सेवा योजन अधिकारियों ने ही अनियमितता की है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

उत्तर आया नहीं मेरे प्रश्न का।

श्री अध्यक्ष—

आया है। माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि हम उनसे एक्सप्लेनेशन माँग रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

सेवायोजन वालों से नहीं। जो सेलेक्शन करने वाले थे, जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए उनके नाम भेज दिए, लेकिन जिन्होंने सेलेक्शन किया उन्होंने भी तो अनियमितता की, उनके प्रति क्या किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

वास्तव में माननीय श्रम मन्त्री जी सम्बन्धित हैं सेवायोजन से और यह जो आप अनुपूरक प्रश्न कर रहे हैं, यह चयन समिति का है। आप पृथक इसकी नोटिस भेजें कि वहाँ की चयन समिति ने अनियमितता की। उसका सम्बन्धित मन्त्री उत्तर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि चूंकि एम्प्लायमेंट आफिसर ने गलती की है लिहाजा उसको उत्तरकाशी भेज दिया गया है। तो क्या इनकी यह पालिसी है कि जो निकम्मे अधिकारी हों उनको पहाड़ पर भेज दिया जाय ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, दण्ड की व्यवस्था तो तब की जा सकती है जब उनसे जवाब माँग लें। उसके बाद फैसला करेंगे। इस बीच में कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत थी, वह किया गया।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि सेवायोजन ने अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को उस सूची में नहीं भेजा था ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

इसके लिए समय चाहिए, श्रीमन् ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें समय लगेगा ।

(व्यवधान)

[दिनाँक 22 सितम्बर, 1977 के लिए निर्धारित ताराँकित प्रश्न]

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि

*2—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के बावजूद भी उन्हें जिले का चार्ज दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

जी हां ।

विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उन्हें स्पेशल ग्रेड में तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया गया है । जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्पेशल ग्रेड का पद है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सम्बन्धित सी0एम0ओ0 के कैरेक्टर रोल में प्रतिकूल इन्ट्री की गयी ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, प्रोन्नति के समय कैरेक्टर रोल सब देखे जाते हैं और जो कुछ भी उनके कैरेक्टर रोल में रहा है, उनको सबको देखकर चयन समिति ने उनको उपयुक्त पाया, जिसके कारण उनका चयन किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना उत्तर फिर से पढ़ दीजिए ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, क्या जानना चाह रहे हैं ?

अध्यक्ष—

फिर से उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री कल्याण सिंह—

मैंने यह निवेदन किया था कि चयन समिति ने जब प्रोमोशन का मामला विचार किया था उस समय सब कैरेक्टर रोल देखे थे और चयन समिति ने उन्हें उपयुक्त पाया। यह चयन समिति की रिपोर्ट है, उसके अनुसार उनकी प्रोन्नति की गई है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके कैरेक्टर रोल में यह लिखा गया है कि इनको कोई इण्डेपेन्डेंट चार्ज न दिया जाय, इसके बावजूद भी उनको सीतापुर जिले का सी0एम0ओ0 बनाया गया ?

श्री कल्याण सिंह—

उनके कैरेक्टर रोल में ऐसी एन्ट्री होने की कोई सूचना नहीं है और न कोई ऐसी प्रविष्टि ही है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)—

माननीय मन्त्री जी, उनके कैरेक्टर रोल में क्या लिखा हुआ है, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, किस वर्ष के बारे में पूछ रहे हैं ?

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, इससे मालूम होता है कि हर वर्ष उनको एडवर्स एन्ट्री मिली है।

(कई सदस्यों के एक साथ पुनः खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिए अपनी जगह पर।

क्या कोई ऐडवर्स एन्ट्री थी, प्रदीप कुमार जी का प्रश्न है ? उसी ऐडवर्स इन्ट्री के सन्दर्भ में उत्तर दीजिए, जिस समय चयन हुआ था उस समय कोई ऐडवर्स इन्ट्री थी ?

श्री कल्याण सिंह—

यह समिति की बैठक हुई थी 7 सितम्बर, 1976 को। इनको प्रोमोट किया गया 6 अक्तूबर, 1976 को। 1974-75 और 1975-76 में इनकी कोई भी ऐडवर्स इन्ट्री नहीं है, एक भी।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सी0एम0 ओ0 को प्रोमोशन देने का आधार क्या है ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, यह तो चयन समिति ने इनको प्रोमोट किया है। आपकी अनुमति हो तो मैं चयन समिति की रिपोर्ट पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी, उनका प्रश्न तो यह है कि क्या कोई गाइड लाइन्स हैं, क्या आधार है प्रोमोशन करने का ? चयन समिति की रिपोर्ट क्या है, इससे इसका ताल्लुक नहीं है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, सीनियारिटी के आधार पर इनका प्रमोशन हुआ है।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, प्रश्न को देखा जाय और मूल उत्तर को देखा जाय तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी। प्रश्न यह है कि क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के बावजूद भी उन्हें जिले का चार्ज दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उत्तर में कहा गया है कि जी हां। उत्तर साफ है कि प्रतिकूल प्रविष्टि होने के बाद भी दिया गया है? तो मन्त्री महोदय ने अभी जो उत्तर दिया है कि कहीं एडवर्स एन्ट्री नहीं मिली तो कौन सी बात सही है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से चयन समिति की रिपोर्ट पढ़ दूं तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप शांति रखिए, आप बैठ जायं। मन्त्री जी, जो प्रश्न है कि चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के बावजूद उनको प्रोन्नत किया है। आपने कहा है, 'जी हां'। आपने अपने उत्तर में कहा कि उनके विरुद्ध कोई भी विपरीत प्रविष्टि नहीं है। तो इसलिए माननीय श्यामधर मिश्र जी ने अनिश्चितता का प्रश्न उठाया। तो दोनों में से कौनसा उत्तर ठीक है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, जैसा आपने निर्देश दिया था . . .

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, जैसा आपने निर्देश दिया था कि जिस वक्त प्रोन्नत हुए हैं, इनके कैरेक्टर रोल में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है। 1971-72 और इसके पहले प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं। 1974-75 में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है। इसके पहले प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं इसलिए मेरा उत्तर सही था।

श्री अध्यक्ष--

इसका मतलब आपका उत्तर सही नहीं था। आपको कहना चाहिए कि जी नहीं।

(शोर)

आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। आप अपने उत्तर में जो "जी हां" लिखा है संशोधन कर सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, आप कब तक सिखाते रहेंगे।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप शांति रहें। उत्तर देने दें।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, ऐसा मालूम होता है कि मन्त्री जी के पास कई सालों की एन्ट्रीज का रिकार्ड है। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उन सालों में से किसी साल ऐसी एडवर्स एन्ट्री है कि इनको इन्डिपेंडेन्ट चार्ज न दिया जाय ?

श्री कल्याण सिंह—

इंडिपेंडेंट चार्ज न दिया जाय, ऐसी कोई एन्टरी नहीं है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मान्यवर, क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बतायेंगे कि जो प्रतिकूल प्रविष्टि है वह किस वर्ष की है और चयन समिति में कौन-कौन से अधिकारी थे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, 1969-70 में प्रतिकूल प्रविष्टि है, सहयोग की भावना का अभाव। और 1970-71 में है, परिवार नियोजन कार्य न करना। 1971-72 में सहयोग की भावना का अभाव तथा परिवार नियोजन कार्य न करना। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें। कृपया उत्तर सुनिए।

श्री कल्याण सिंह—

1972-73 में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है। 1973-74 में, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सहयोग का अभाव तथा आदेशों की अवहेलना तथा परवाह न करने की शिकायत है। लेकिन उसको संयुक्त निदेशक ने यह कह कर वेव कर दिया कि यह एन्ट्री प्रिज्यूडिस्ड है। इसलिए जो उसका महत्व था वह समाप्त हो गया। 1974-75 और 1975-76 में कोई एडवर्स एन्ट्री नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है और उस पर अनुपूरक प्रश्न हुए हैं, तो स्थिति साफ हो जाती है कि आया घपला जरूर है। तो क्या मन्त्री जी चयन समिति की जो कार्यवाही है, सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए, पुन: सम्बन्धित अधिकारी को डिमोट करके इस मामले की जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका सुझाव है। अभी कैसे डिमोट करेंगे ? यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कई साल की इन्ट्रीज पढ़ा। उसमें एडवर्स इन्ट्रीज भी आयीं। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उन एडवर्स इन्ट्रीज को स्क्रेप किया गया ? यदि किया गया, तो किस के आदेश से किया गया प्रोमोशन के पहले ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो पहले बताया है कि ज्वाइन्ट डाइरेक्टर ने किया।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, एडवर्स इन्ट्रीज एक्सपंज नहीं हुई हैं।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, स्वास्थ्य मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जैसा कि मन्त्री जी ने इन्ट्री के बारे में पढ़ा है उसमें आपने कहा है कि अभी पिछले साल ज्वाइंट डाइरेक्टर के आदेश से बैड इन्ट्री काट दी गयीं। तो क्या अभी वह मौजूद थी इसमें? उसको किस ढंग से पढ़ रहे हैं, यह बता दें ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, पत्रावली की पूरी सूचना दे दिया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अंकित प्रविष्टि प्रतिकूल है। परन्तु क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक ने यह कहा है कि वह प्रविष्टि प्रिज्यूडिस्ड है और विभागीय चयन समिति ने उन्हें प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया है।

जिला अस्पताल सीतापुर का अर्धनिर्मित वार्ड तथा रक्त की जांच हेतु व्यवस्था की मांग

*3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, सीतापुर में किसी वार्ड का भवन जिसका निर्माण हो रहा था और अब वह भवन 2 वर्षों से अधूरा पड़ा है ? यदि हाँ, तो क्यों तथा उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हाँ, यह 48 शय्याओं का वार्ड है।

धनाभाव के कारण ही यह कार्य अधूरा रह गया है।

धन उपलब्ध होने पर यह कार्य एक वर्ष में पूर्ण हो जाने का अनुमान है।

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिला अस्पताल में रक्त की जाँच हेतु व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ?

श्री कल्याण सिंह--

इस अस्पताल में रक्त की जाँच सीमित रूप से करने की व्यवस्था है। रक्त की सभी प्रकार की जाँच की व्यवस्था धन उपलब्ध हो जाने पर ही सम्भव होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं केवल प्रश्न 3 के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं और 4 के बारे में बाद में पूछूंगा। मान्यवर, 3 वर्ष से भवन अधूरा पड़ा है, प्लास्टर न होने के कारण छत गिरना प्रारम्भ हो गयी है। इसलिए में जानना चाहता हूँ कि धन की कब तक व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, 1977–78 के बजट म कोई प्राविधान नहीं किया जा सका है। इसको आगे सोचा जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप तो कहते हैं कि एक वर्ष में पूरा हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं बल्कि एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि कोई चतुर व्यक्ति है, जिसने पहले लिखा दिया कि जी हाँ, और बाद में धनाभाव के कारण कार्य अधूरा रह गया और फिर लिखा गया कि धन उपलब्ध होने पर यह कार्य एक वर्ष में पूर्ण हो जाने का अनुमान है। तो आज से 4 वर्ष बाद धन उपलब्ध होगा और तब पाँचवें वर्ष भवन तैयार होगा। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करना और पूछना चाहता हूं कि उस जिले में कोई ठीक वार्ड नहीं है जिससे मरीजों को अत्यन्त कष्ट हो रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करके इस वार्ड को इसी वित्तीय वर्ष में बनवाने की क्या कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मुझे जो सूचना मिली है उसके आधार पर यह डबल स्टोरी वार्ड बनना था। इनमें से एक स्टोरी बन गयी है। फिनिशिंग टच होना शेष है। विभाग से कहा गया है कि जो पहली स्टोरी बन गयी है उसमें किवाड़ लगाकर उसको पूरा कर दिया जाय ताकि कम से कम एक मंजिल पूरी हो जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर, कि अभी वहाँ कुछ काम पूरा नहीं हुआ है और छत तक नहीं पड़ी है पुनः विचार करेंगे कि वहाँ की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको तत्काल पूरा करावें ?

श्री अध्यक्ष —

यह तो पुनरावृत्ति है।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। उन्होंने यह बतलाया कि धनाभाव के कारण वह वार्ड पूरा नहीं हो सका। मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय एस्टीमेट बना था और यह बनना शुरू हुआ था क्या उस वक्त पूरा धन उसके लिए सैंक्शन नहीं हुआ था ?

श्री कल्याण सिंह—

2 जनवरी, 1973 को 2 लाख 26 हजार रुपए की स्वीकृति दी गयी थी। मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 1977 तक 2 लाख से ऊपर खर्च हो चका है।

श्री श्यामधर मिश्र—

खून की जाँच के सम्बन्ध में जो प्रश्न है उस सम्बन्ध में मैं पूछ रहा हूं। इस अस्पताल में सीमित रूप से खून की जाँच के लिए कहा गया है कि जब धन मिल जायगा तब व्यवस्था होगी। मेरी सूचना है कि 25 या 30 हजार रुपए में पैथोलाजिकल सेंटर बन जाता है, तो इसको जल्दी शुरू करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

इसका आकलन तैयार करवाया जायगा और फिर उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, सीतापुर में किसी पैथालाजिस्ट का पद सृजित है और यदि हाँ, तो क्या कोई डाक्टर उस पद पर नियुक्त है ?

श्री कल्याण सिंह—

जिसका माननीय सदस्य सन्दर्भ दे रहे है वहाँ पर पेथोलाजिस्ट की नियुक्ति है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्वास्थ्य मन्त्री जी को ज्ञात है कि प्रत्येक विभाग का बिल्डिंग प्रोग्राम होता है, जिसके अनुसार वित्त विभाग एक मुश्त धनराशि दे देता है हर विभाग को और फिर प्रत्येक विभाग प्राथमिकता को ध्यान में रखकर रुपए का एलोकेशन करता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी अपने विभाग के पूल्ड बजट को देखकर, उसमें से सीतापुर वार्ड को पूरा कराने के लिए धन की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा यह डबल स्टोरीड वार्ड बनना था, जिसके नीचे की स्टोरी पूरी हो गई है। हमने कहा है कि नीचे की मंजिल में जो कुछ कार्य करना शेष है, उसको पूरा कर दें, जिससे कुछ कार्य तो वहाँ चले।

झांसी जिले के परिच्छा ताप विद्युत् गृह के निर्माण की मांग

*5—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में पारीधा बांध पर थरमल विद्युत् गृह बनाने का कार्य कब प्रारम्भ होगा और अब तक किन-किन कारणों से कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जिला झांसी में परिच्छा में प्रस्तावित 2×110 मेगावाट के ताप विद्युत् गृह का निर्माण कार्य, भारत सरकार से इस कार्य को राज्य योजना में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रारम्भ कर दिया जायगा।

भारत सरकार की इस परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक स्वीकृति न मिलने के कारण इस परियोजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि योजना में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को कब लिखा गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, 14 अक्तूबर, 1976 को 81.18 करोड़ रुपए की लागत पर यह परियोजना बनाने का प्राधिकरण भारत सरकार को भेज दिया गया था।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में, दिल्ली में अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने योजना आयोग से चर्चा की है, यदि हां, तो क्या ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, मैं स्वयं भारत सरकार के माननीय ऊर्जा मन्त्री से मिला था और मुख्य मन्त्री जी ने भी सम्भवतः उनसे बात की है और शीघ्र ही वहां से स्वीकृति प्राप्त होने की आशा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

क्या माननीय विद्युत् मन्त्री जी को ज्ञात है कि फरवरी, 1977 के प्रथम सप्ताह में, प्लानिंग कमीशन से तत्कालीन मुख्य मन्त्री की बातचीत के समय इस योजना को सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया गया था और दस लाख रुपया टोकन भी पावर हाउस के लिए जिसमें परियोजना थरमल विद्युत् विष्णु प्रयाग हाइडिल स्कीम भी शामिल है, स्वीकार कर लिया था। सेन्ट्रल पावर कमीशन ने इस योजना को मन्जूर कर लिया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, सेन्ट्रल वाटर कमीशन द्वारा योजना की स्वीकृति के बाद, यह प्लानिंग कमीशन के पास क्लीरिएन्स पर पड़ा है। शीघ्र ही उसकी प्राप्त होने की आशा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैंने तारीख बताई । इस तारीख को प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल का प्रश्न है कि सिद्धान्तः इसे स्वीकार कर लिया गया था ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसे सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है। प्लानिंग कमीशन के पास टेक्निकल क्लीरियेंस में यह मामला रुका पड़ा है। वहां से शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को जब लिखा, इससे पहले इस योजना को विभाग ने कब शासन के सम्मुख प्रस्तुत किया और कितने समय बाद प्रदेश सरकार ने इसे केन्द्र सरकार के पास भेजा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, इस योजना का कब सर्वेक्षण हुआ और कितना समय लगा इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी लेकिन भारत सरकार के पास जिस तिथि को गयी, वह निवेदन कर चुका हूं।

*6-7---श्री सुखपाल पाण्डेय---

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

*8---श्री राम अधार---

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

प्रदेश के विद्युत् गृहों द्वारा उत्पादित विद्युत् का विवरण

*9—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जनवरी, 1977 से जून, 1977 तक प्रति माह विद्युत् उत्पादन कितना हुआ और क्या सरकार यह भी बताएगी कि हाइड्रो पावर स्टेशन और थर्मल पावर स्टेशनों की अलग-अलग इस अवधि में विद्युत् क्षमता क्या रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जनवरी, 1977 से जून, 1977 तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के विद्युत् गृहों से विद्युत् उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :—

(उत्पादन 10 लाख यू0)

जनवरी, 1977	..	897.63
फरवरी, 1977	..	833.68
मार्च, 1977	..	898.31
अप्रैल, 1977	..	767.03
मई, 1977	..	751.86
जून, 1977	..	723.30

जनवरी, 1977 से जून, 1977 तक परिषद् के जल विद्युत् एवं तापीय विद्युत् गृहों की अधिष्ठापित क्षमता निम्न प्रकार रही :—

	हाइड्रो	थर्मल	कुल
जनवरी, 1977 ..	1002.35	1251.99	2254.34
फरवरी, 1977 ..	1002.35	1251.99	2254.34
मार्च, 1977 ..	1068.35	1421.99	2490.34
अप्रैल, 1977 ..	1068.35	1421.99	2490.34
मई, 1977 ..	1068.35	1421.99	2490.34
जून, 1977 ..	1068.35	1421.99	2490.34

उपरोक्त अधिस्थापित क्षमताओं का विद्युत् गृहवार ब्योरा-संलग्नक–1 में दर्शाया गया है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 528 पर।)

श्री राम अधार—

आपके हाइड्रो तथा थरमल स्टेशनों की क्षमता अप्रैल, मई व जून में जनवरी, फरवरी तथा मार्च के मुकबाले बढ़ गयी, तो क्या कारण है कि मई व जून के अन्दर किसानों तथा उद्योगों को कम बिजली दी गयी ?

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्षमता के बारे में था न कि कितनी बिजली किसको दी गई।

श्री राम अधार--

क्या सरकार बताएगी कि ओवरा तथा पनकी की उत्पादन क्षमता कितनी है और मई व जून में कितना उत्पादन हुआ ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

ओबरा की क्षमता 300 मेगावाट है और पनकी की टोटल क्षमता मैंने बतला दी थी। मंथली जनरेशन की सूचना के लिए सूचना की आवयश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष--

यह लम्बा प्रश्न है, इसकी अनुमति नहीं है।

श्री कृष्ण स्वरूप--

जनवरी, फरवरी तथा मार्च की तुलना में अप्रैल, मई व जून में विद्युत् क्षमता बढ़ी है और फिर भी काश्तकारों को इन महीनों में बिजली न के बराबर दी गयी, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही --

इसमें शासन की नीति का प्रश्न था किस को दे और किस को न दे। जैसे-जैसे प्रतिबन्ध लग या गया वैसे वैसे बिजली की कटौती होती गयी।

श्री राम अधार--

क्या सरकार बताएगी कि मई, जून में रिहन्द डैम की क्षमता क्या थी और कितना उत्पादन हुआ ? इसमें यह दिया हुआ है कि ओबरा की क्षमता 99 मेगावाट है, लेकिन क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि मई, जून में ओबरा का एक्चुअल उत्पादन क्या था ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

प्रश्न साफ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--

ओबरा तथा दूसरी जगहों की आपने क्षमता बता दी है, लेकिन वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

क्षमता के साथ मान्यवर, प्रश्न देखा जाय तो उन्होंने यह पूछा था कि उत्तर प्रदेश में जनवरी, 1977 से जून, 1977 तक प्रति माह विद्युत् उत्पादन कितना हुआ। इस सम्बन्ध में मैंने उत्तर दे दिया कि कितना उत्पादन हुआ और फिर पूछा था कि पावर हाउसों की क्षमता क्या है, वह भी बता दिया।

श्री अध्यक्ष--

यह उत्तर तो आपका बहुत पूर्ण है। उनका प्रश्न यह है कि ओबरा की क्षमता कितनी थी और कितना उत्पादन हुआ क्योंकि आपने सारा समायोजन करके दिया है ?

श्री राम अधार --

यह नहीं दे सकते मान्यवर, क्योंकि विद्युत् परिषद् के जो चैयरमैन हैं, वह सही नहीं बताते हैं, उनको यह बचा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा। आप सुन्दर लाल जी बैठिए। मन्त्री जी यदि प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के बारे में सूचना है तो ओवरा की दे दीजिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[* * * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जाएगा।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, जो सूचना थी वह मैंने दी, शेष सूचना के लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी अगर आप चाहें, तो उसे स्थगित कर दें, मैं दे दूंगा।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

मैं माननीय विद्युत् मन्त्री जी से जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की कुल इंस्टाल्ड कैपिसिटी कितनी है और उत्पादन कितना हो रहा है, यह जो कम हो रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

इंस्टाल्ड कैपिसिटी का मतलब हिन्दी में क्षमता से है वह आपने बता दिया है।

श्री नेम सिंह चौहान--

मान्यवर, नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

सब की इंस्टाल्ड कैपिसिटी दे दी है, टोटल बता दिया है।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर में क्षमता दे दी, उत्पादन यूनिट में दे दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें थरमल का कितना है और हाइड्रों का कितना है और गैस का कितना है तथा उत्पादन में लोस कितना है।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर दिया है, अगर आपने उसे पढ़ लिया हो तो इसमें थरमल, हाईड्रो प्रत्येक का दे रखा है। आपका दूसरा प्रश्न हो सकता है। मन्त्री जी केवल इतना उत्तर दें कि इसमें कितना लास है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, 18. प्वाइंट समथिंग लास है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, प्रश्न यह है कि मई-जून, 1977 में लगभग 221 मेगावाट बिजली की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ी है। प्रश्न यह है कि जनवरी-फरवरी के मुकाबले में मई-जून में 221 अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता बढ़ी वह कितने यूनिट में उत्पादित हुई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, उत्तर के प्रथम खंड में मई-जून में उत्पादन के आंकड़े अंकित हैं। मई में 751.86 मेगावाट और जून में 723.30 मेगावाट हुई। निवेदन यह करना है कि यह दोनों. . . .

(व्यवधान)

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

सुन्दर लाल जी आप व्यवधान न डालिए, बैठिए।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

यह जो आंकड़े हैं, दोनों को सम्बन्धित करके हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है कि जनवरी के मुकाबले में विद्युत क्षमता मई और जून में 2 सौ मेगावाट बढ़ गयी तो उत्पादन साढे सात सौ है अब इसमें बढ़ी हुई क्षमता कितनी शामिल है और पहले की कितनी है ? इनका प्वाइन्ट है कि जब क्षमता बढ़ी, तो उत्पादन कम कैसे हुआ ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, दो बातें होती हैं। क्षमता बढ़ भी होती रहती हैं और क्षमता घटती भी रहती है। घटने का मतलब यह है कि जब थर्मल की चिमनी बैठ जाती है तो क्षमता घट जाती है जैसे पनकी में 50 मेगावाट का इस बीच काम नहीं कर रहा था। इसी तरह से जहां तक जल विद्युत का मतलब है जब नदियों में पानी रहता है, नदियों में बर्फ पिघलकर आती रहती है, हम हन्ड्रेड परसेन्ट क्षमता ले लेते हैं, किन्तु सूखे के समय जनरेशन घट जाती है। इसलिए घटाव बढ़ाव इन फैक्टर से गाइड होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हमारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया - - - कहें पापड़ की सुने हापुड़ की।

श्री रियासत हुसैन—

मई व जून में उसकी क्षमता बढ़ी, किन्तु उस रेशियो में बिजली का प्रोडक्शन नहीं हुआ, जो होना चाहिए था, तो क्या माननीय मन्त्री जी इन रीजन्स आफ प्रोडक्शन को देखते हुए और बिजली बोर्ड के गड़बड़ घुटाले को सामने रखकर कोई इक्वायरी कमेटी या इस सदन की कोई समिति इसकी जाँच के लिए बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

सदन की क्या, एक्सपर्ट्स की कोई कमेटी हो सकती है ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मै निवेदन कर दूं कि इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है । मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जून में 723.30 मेगावाट हुआ था, उसके अगेंस्ट जुलाई में 1450 तक पहुंचा है । बाद में अभी पावर हाउस रिपेयर में चले गए । इसलिए उत्पादन फिर घटकर इस समय 12 सौ मेगावाट पर चला गया । तो अनेक फैक्टर्स हैं घटने और बढ़ने के, इसमें गड़बड़ घोटाले की कोई बात नहीं है ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

जैसा मन्त्री जी ने अभी उत्तर दिया कि रामगंगा परियोजना, कालागढ़ से 66 मेगावाट बिजली मिली है, जबकि वहां पर क्षमता 2 सौ मेगावाट की है, तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कम उत्पादन का कारण क्या है ? और यदि इसका कारण पानी के लेविल में कमी होना है, तो वहां का लेविल क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

यह 66 मेगावाट वहां पर एड हुई है यह मैंने कहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि जो मैंने महत्व का प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं आया । जो मीलियन यूनिट्स हैं उन्हें मन्त्री जी मेगावाट से कन्फ्यूज कर रहे हैं । इसलिए कृपा करके इसको इस समय स्थगित किया जाय, इसमें अभी बहुत प्रश्न होने हैं ।

आपका उत्तर तो यह है कि पुरानी क्षमता कम हो जाती है और नई क्षमता बढ़ जाती है, तो दोनों को मिला कर बात होती है । मैंने कारण नहीं पूछा था । मैंने आंकड़े दिए थे । मैंने पूछा था कि 220 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जनवरी–फरवरी के मुकाबले में बढ़ी है, उससे कितनी बिजली जनरेट हुई यह पूछा था ?

श्री अध्यक्ष—

वह आपके पास अलग नहीं है ।

*10—श्री श्याम धर मिश्र—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गोरखपुर जिले के श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति

*11—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, गोरखपुर का कार्यकाल शासन ने जुलाई 13, 1977 के आदेश द्वारा जनवरी 15, 1978 तक बढ़ाया था तो क्या यह सच है कि पुन: 27 जुलाई, 1977 को पूर्व आदेश को निरस्त कर यह आदेश दिया गया कि उनका सेवाकाल 31 जुलाई को ही समाप्त समझा जायगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जी हां ।

यह मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । अत: इस सम्बन्ध में कोई अन्य सूचना देना जनहित में न होगा ।

आई० टी० आई० के हरिजन व सवर्णछात्रों को दी जाने वाली छात्र-वृत्ति तथा उसका भुगतान

*12—श्री कबूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या श्रम मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि आई0टी0आई0 में जो छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है वह हरिजन छात्रों को कम और सवर्ण छात्रों को ज्यादा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी नहीं । शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 33 1/3 प्रतिशत छात्रों को 40 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है । यह छात्रवृत्ति हरिजन एवं अन्य जातियों के प्रशिक्षार्थियों के लिए समान हैं ।

*13—श्री कबूल सिंह तथा श्री नन्दराम—

क्या श्रम मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि आई0टी0आई0 के छात्रों को साल के आखिर में छात्रवृत्ति मिलती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

साधारणतया प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति नवम्बर या दिसम्बर माह में स्वीकृत करना सम्भव हो पाता है । तत्पश्चात् छात्रवृत्ति का वितरण नियमित रूप से प्रत्येक माह किया जाता है ।

*14—श्री बाबू राम शुक्ल—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

*15—श्री राजकुमार शर्मा—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

*16—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

*17—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

डिपार्टमेंट आफ कार्डियोलाजी जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के मरीजों को कालातीत दवाइयों का वितरण

*18—श्री रेवतीरमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डिपार्टमेंट आफ कार्डियोलाजी जी0 एम0 वी0 एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर में मई, सन् 1974 से नवम्बर, 1974 के बीच दवाइयां आदि जिनकी उपयोग की आखिरी तारीख (एक्सपायर) बहुत समय से समाप्त हो चुकी थी मरीजों को दी गयीं ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि विभाग की हजारों रुपयों की दवाइयों आदि के दुरुपयोग और बांटने में अनियमितताओं की जांच को दबाने का प्रयास किया गया ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रश्नगत अवधि में कुल तीन कालातीत दवायें मरीजों को दी गयीं। किसी भी प्रकार की जांच को देखने का कोई प्रयास नहीं किया गया है ।

क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त का कार्यकाल तथा शासन की बिना अनुमति से जमीन की खरीद

*19—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर वर्तमान पद अथवा उसी स्थान पर प्रोन्नत होने पर 5 वर्ष से अधिक समय से सेवारत हैं ? उनमें से कितने क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्तों ने बिना शासन की पूर्व अनुमति के अथवा बिना पूर्व सूचना के अचल सम्पत्ति क्रय की है तथा शासन ने सूचना मिलने पर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

प्रदेश में केवल एक क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त हैं, जो एक ही स्थान पर 5 वर्ष से अधिक समय से सेवारत हैं।

एक क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त ने शासन की अनुमति के पूर्व जमीन का सौदा कर लिया था और रजिस्ट्री से पूर्व शासन की अनुमति मांगी थी, जो उन्हें दे दी गई।

*20—श्री श्रीनारायण—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

*21—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

गोन्डा जिले के ग्राम कूक-नगर ग्रान्ट व ग्राम सभा तुरकाडीहा के काश्तकारों को विद्युत् की आपूर्ति

*22—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या विद्युत् मन्त्री को पता है कि गोन्डा जिले के ग्राम सभा कूक-नगर ग्रान्ट व ग्राम सभा तुरकाडीहा के सत्रह से भी अधिक काश्तकारों ने दिनांक 18 जनवरी, 1972 से दिनांक 17 सितम्बर, 1972 तक प्रत्येक ने विद्युतीकरण हेतु अरनेस्ट मनी के रूप में 25 रुपया जमा किया था और तीन काश्तकारों ने दिनांक 8 मार्च, 1972 व

9 मार्च, 1972 में एग्रीमेन्ट अथवा सेक्योरिटी का धन तथा बी0 एल0 फार्म भी जमा किया था ? यदि हां, तो उनको अब तक कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया है। उन्हें कनेक्शन कब तक दिया जाएगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां, गोन्डा जिले के ग्राम कूकनगर ग्रान्ट व ग्राम सभा तुरकाडीहा के केवल 17 काश्तकारों ने दिनांक 18 जनवरी, 1972 से 16 सितम्बर, 1972 की समयावधि में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खंड, गोन्डा के कार्यालय में प्रत्येक ने विद्युतीकरण हेतु अरनेस्ट मनी के 25 रुपए की धनराशि जमा की थी। जिसमें से तीन काश्तकारों ने दिनांक 14 फरवरी, 1972 तथा 8 मार्च, 1972 की तिथियों में सर्विस कनेक्शन चार्जेज व सिक्योरिटी जमा की तथा दिनांक 25 सितम्बर, 1972 को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खंड, गोन्डा के कार्यालय में अनुबन्ध किया व बी एन्ड एल फार्म भी प्रस्तुत किया।

इन तीन उपभोक्ताओं को विद्युत् सम्पूर्ति नहीं दी जा सकी, क्योंकि विद्युत् सप्लाई देने का कार्य आरम्भ करने के समय यह ज्ञात हुआ कि प्रारम्भिक आंकलन कम लाइन की लम्बाई तथा कम धनराशि का बनाया गया, जबकि लाइन की वास्तविक लम्बाई अधिक है और इस कारण प्रारम्भिक आंकलन की धनराशि के अतिरिक्त रु0 8629 की धनराशि उपभोक्ताओं से वसूली जानी थी। इस मामले का उस समय कोई निराकरण नहीं किया गया और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही की गई।

सम्बन्धित अधिकारियों को इस समय यह आदेश दिए जा चुके हैं कि वे पुराने आंकलन की धनराशि के अनुरूप ही उक्त तीनों उपभोक्ताओं को तुरन्त विद्युत् सम्पूर्ति दे दें।

*23--श्री रेवती शरण मौर्य--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

वी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर की कु० शैलजा नामक छात्रा का तथाकथित गायब होना

*24--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जुलाई, 1977 की रात में वी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के छात्रावास से एक छात्रा लापता हो गई ? यदि हां, तो उस छात्रा का क्या नाम है ? कहां की रहने वाली है एवं गायब होने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह--

31 जुलाई, 1977 की रात में बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के छात्रावास से कोई छात्रा लापता नहीं हुई। परन्तु 28 जुलाई, 1977 को प्रात: काल उक्त कालेज के एम0 बी0 बी0 एस0 पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की (कु0) शैलजा नामक छात्रा छात्रावास के वार्डन की बिना अनुमति प्राप्त किए अपने घर गाजियाबाद चली गई थी और दिनांक 3 अगस्त, 1977 को वापस आ गई ?

*25--श्री रामदत्त जोशी--

[8-9-77 को तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

*26--श्री रामदत्त जोशी--

[प्रदेश सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

श्री भीखम प्रसाद चपरासी, तहसील हाटा (देवरिया) की नसबन्दी के फलस्वरूप मृत्यु तथा अनुग्रह अनुदान का भुगतान

*27--श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भीखम प्रसाद, संग्रह चपरासी, तहसील हाटा, जिला देवरिया की दिनांक 16 सितम्बर, 1976 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाटा पर नसबन्दी हुई थी ? क्या यह भी सत्य है कि गलत ढंग से नसबन्दी होने के फलस्वरूप दिनांक 22 सितम्बर, 1976 को हाटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही उसका देहान्त हो गया ? यदि हां, तो नसबन्दी करने वाले डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, दिनांक 16 सितम्बर, 1976 को नसबन्दी आपरेशन के साथ हाइड्रोसील (वाईलेक्ट्रल) का भी आपरेशन किया गया था। आपरेशन के उपरान्त दिनांक 21 सितम्बर, 1976 तक उनकी हालत में निरन्तर सुधार हो रहा था। परन्तु दिनांक 22 सितम्बर, 1976 को सुबह उन्हें अचानक निमोनिया रोग के लक्षण उत्पन्न हो गए और हर सम्भव उपचार करने पर भी उसी दिन उनकी मृत्यु हो गयी। निमोनिया रोग का नसबन्दी आपरेशन से कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी नसबन्दी करने वाले डाक्टर की चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि करने हेतु आदेश जारी किए जा चुके हैं।

*28--श्री कृष्णा राय--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मृतक के परिवार को कोई सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो मृतक के परिवार को क्षति पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह--

मृतक के पीड़ित परिवार को एक्सग्रेशिया के रूप में 5,000 रु0 की धनराशि दिनांक 13 अप्रैल, 1977 को प्रदान की जा चुकी है।

वाराणसी जिले के ग्राम मवइया सारन की श्रीमती श्यामादेवी का बन्ध्याकरण के पश्चात् टिटनेस से मृत्यु

*29--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती श्यामा देवी पत्नी खुद्दन, गांव मवइया सारन, जिला वाराणसी का बन्ध्याकरण ईश्वरी मेमोरियल अस्पताल, वाराणसी में दिनांक 29 अगस्त, 1976 को किया गया था ? क्या यह सत्य है कि उसकी हालत खराब होने पर दिनांक 22 नवम्बर, 1976 को श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में भर्ती किया

गया जहां उसकी मृत्यु टिटनेस से हो गयी ? यदि हां, तो उसे आपरेशन के वक्त ऐन्टी टिटनेस की सुई लगायी गयी थी या नहीं और उसके परिवार को मुआवजा दिया गया कि नहीं ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

आपरेशन के लगभग तीन महीने पश्चात् 23 नवम्बर, 1976 को श्रीमती श्यामा देवी को टिटनेस रोग के लक्षणों के साथ श्री शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय में भर्ती किया गया था जहां हर सम्भव उपचार के बावजूद दिनांक 25 नवम्बर, 1976 को उनकी मृत्यु हो गई ।

दिनांक 29 अगस्त, 1976 को किए गए ट्यूबेक्टामी आपरेशन के समय श्रीमती श्यामा देवी को सेंस्टीबिटी टेस्ट करने के उपरान्त 1500 यूनिट ए0टी0एस0 का इंजक्शन दिया गया था। एक्सग्रेशिया भुगतान के नियमानुसार मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाना अनुमन्य न होने के कारण कोई मुआवजा नहीं दिया गया ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री मोहन सिंह--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

प्रतापगढ़ जिले के ग्राम रामनगर भोजपुर में चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रार्थना-पत्र

2--श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के गडवारा विधान सभा क्षेत्र में रामनगर भोजपुर ग्राम में एक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र गांव सभा के प्रधान (श्री श्रीनाथ सिंह) ने यूनानी एवं आयुर्वेदिक निदेशक को सम्बोधित कर दिनांक 11 अगस्त, 1977 को दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र के अनुसार चिकित्सालय खोलने का विचार कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष प्रस्तावित आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना पर निर्णय लेते समय कथित स्थान की उपयुक्तता पर भी विचार किया जायगा ।

आपातकालीन स्थिति के दौरान नसबन्दी के फलस्वरूप हुयी मृत्यु का विवरण

3--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उत्तर प्रदेश राज्य में आपातस्थिति के दौरान नसबन्दी कराने से कितने लोगों की मौतें हुई हैं और उनका जिलेवार ब्योरा क्या है और क्या इस दौरान में ऐसे लोगों की नसबन्दी की गयी है जिनकी उम्र इस लायक नहीं थी ? यदि हां, तो कितने और इसका जिलेवार ब्योरा क्या है ?

श्री कल्याण सिंह--

197 केसेज में मृत्यु की सूचना विभाग को प्राप्त हुई है, जिनका जिलेवार विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया जा रहा है ।

नसबन्दी के लिए इच्छुक व्यक्ति की उम्र आपरेशन के योग्य है या नहीं, इसका निर्णय पत्नी की अवस्था से किया जाता है। यदि पत्नी की आयु 15 से 45 वर्ष के प्रजननशील अवस्था वर्ग में हो, तो ऐसे दम्पत्ति (पुरुष अथवा स्त्री) उम्र के लिहाज से नसबन्दी आपरेशन के लिए उपयुक्त पात्र माने जाते हैं ?

प्राप्त सूचना के अनुसार 10899 ऐसे पुरुषों के नसबन्दी आपरेशन हुए जिनकी पत्नी की उम्र प्रजननशील अवस्था वर्ग में नहीं थी। ऐसे व्यक्तियों का जिलेवार विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया जा रहा है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 529-534 पर।)

4—श्री गुलाब सेहरा—

[14-9-77 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

5— श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

महिला चिकित्सालय, भिनगा, जिला बहराइच के भवन का निर्माण

6—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि महिला चिकित्सालय भिनगा जनपद बहराइच का निर्माण हो गया है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं। धनाभाव के कारण महिला चिकित्सालय, भिनगा, जिला बहराइच का भवन निर्माण नहीं कराया जा सका।

गोरखपुर जिले में आपात काल में नसबन्दी के फलस्वरूप मृतकों की संख्या तथा अनुग्रह अनुदान का भुगतान

7—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि आपात-कालीन अवधि में गोरखपुर जिले में कितने व्यक्ति परिवार नियोजन कार्य क्रम के अन्तर्गत की गई नसबन्दी में मरे ? मृतक के आश्रितों को किस-किस प्रकार की कितनी सहायता 15 अगस्त, 1977 तक दी गई ?

श्री कल्याण सिंह—

चौदह मामलों में मृत्यु की सूचना विभाग को प्राप्त हुई। उनमें चार की मृत्यु की पुष्टि मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा कर दी गई है। शेष दस मामलों मे अभी जांच कार्य किया जा रहा है।

मृत्यु के जिन चार मामलों की पुष्टि हो चुकी है उनमें दो मृतकों के आश्रितों में से प्रत्येक को दिनांक 13 अगस्त, 1977 तक एक्सग्रेशिया के रूप में 5,000 रु0 की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी। शेष दो मामलों में से प्रत्येक के आश्रितों को एक्सग्रेशिया के रूप में 5,000 रु0 दिए जाने की स्वीकृति दिनांक 18 अगस्त, 1977 को प्रदान की गई।

शक्ति भवन, लखनऊ को वातानुकूलित किए जाने पर व्यय की गई धनराशि

8—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शक्ति भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कब से एयर कन्डीशन बनाया गया है और एयर कन्डीशन करने में कितना रुपया खर्च किया गया और तब से लेकर अब तक प्रत्येक वर्षों मे कितना रुपया इस मद में खर्च होता है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का लखनऊ स्थित मुख्यालय 'शक्ति भवन' वर्ष 1972-73 के प्रारम्भ से वातानुकूलित (एयर कन्डीशन) किया गया था ?

इसे वातानुकूलित (एयर कन्डीशन) करने में कुल रु0 9,54,441.41 पै0 का व्यय हुआ।

वर्ष 1972-73 के पश्चात् इसके रख-रखाव इत्यादि में प्रतिवर्ष निम्नलिखित धनराशि खर्च की गई, जिसमें बिजली पर हुआ औसत व्यय भी शामिल है :

वर्ष	कुल खर्च
1973—74	रु0 1,10,000.00
1974-75	रु0 1,10,000,00
1975—76	रु0 1,14,025.00
1976—77	रु0 1,17,025.00

प्रदेश में क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की संख्या तथा उनकी मरम्मत

9—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर, फैजाबाद, वाराणसी, भदोही तथा प्रदेश के प्रत्येक पावर हाउस के बाहर इस वक्त 15, 25, 31 और 65 हार्स पावर के हजारों ट्रान्सफार्मर बेकार कई वर्षों से पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो इनकी तादाद पूरे प्रदेश में कितनी है और इनकी मरम्मत कितने फीसदी प्रत्येक वर्षों में की जाती है और क्या यह भी सत्य है कि ट्रान्सफार्मरों में जो एक किस्म का तेल डालने के लिए आता है उसको ट्रान्सफार्मरों में नहीं डाला जाता है ? यदि हां, तो इस का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सुल्तानपुर, फैजाबाद, वाराणसी, भदोही तथा प्रदेश के अन्य जगहों पर दिनांक 31 जुलाई, 1977 तक खराब ट्रान्सफार्मरों की कुल संख्या 29012 थी जो संलग्न तालिका में दी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में लगभग 47.95 प्रतिशत खराब ट्रान्सफार्मर रिपेयर कर लिए जाते हैं।

ट्रांसफार्मरों में जो एक प्रकार का तेल डाला जाता है उसको ट्रान्सफार्मरों में डालने के अतिरिक्त और कहीं प्रयोग में नही लाया जाता। खराब ट्रान्सफार्मरों से भी तेल निकाल कर साफ कर लिया जाता है और उसको भी प्रयोग में ले लिया जाता है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 535 पर।)

उपचिकित्साधिकारी, बस्ती, श्री कपूर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

10—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप चिकित्साधिकारी, बस्ती, श्री कपूर के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता ने उनके गोरखपुर कार्यकाल में एक शिकायती-पत्र शासन को दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

जांच के फलस्वरूप शिकायतें सत्यापित नहीं हुई हैं।

11—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

श्रम निरीक्षक कार्यालय, सीतापुर के लिपिक, श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ल के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

12—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम निदेशक कार्यालय, सीतापुर के प्रधान लिपिक (श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ल) के विरुद्ध वर्ष 1977 में कितने शिकायती-पत्र मिले? मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

श्रम निरीक्षक कार्यालय, सीतापुर में कोई प्रधान लिपिक नहीं है। वहां केवल एक कनिष्ठ लिपिक श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ल कार्य करते है। वर्ष 1977 में इनके विरुद्ध तीन शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें मुख्य शिकायत यह है कि श्री शुक्ल छोटे-छोटे दुकानदारों को डरा धमका कर उनसे सामान अथवा पैसा मांगते हैं और जो दुकानदार नहीं देते, उन्हें परेशान करते हैं।

इन शिकायतों पर जांच कराई जा रही है।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् खन्ड, जौनपुर द्वारा चुने गए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के परिचर

13—श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् वितरण खंड, जौनपुर द्वारा मई, 1977 में परिचरों के पदों हेतु जो चुनाव किया गया, उसके लिए सेवायोजन कार्यालय, जौनपुर से उम्मीदवार मांगे गए? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त परिचरों की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कितने उम्मीदवार चुने गए?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

परिचरों के पदों हेतु चुनाव विभागीय कार्यरत अभ्यर्थियों में से ही किया गया था, अत: सेवायोजन कार्यालय, जौनपुर से अभ्यर्थियों के नाम नहीं मांगे गए थे? इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 7 अभ्यर्थी चुने गए।

बस्ती, गोरखपुर, देवरिया को सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित न किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज मैं कमरे से निकल रहा था तो मेरे क्षेत्र के करीब 30-40 आदमी आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सूखा से तबाही हो रही है। अभी हर प्रकार की वसूली जारी है। आज तक सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। यह समस्या है। हमारी आवाज तक नहीं पहुंचाते हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप माननीय मुख्य मन्त्री के माध्यम से इस सदन में एक घोषणा कराएं कि वह सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय। जो सरकारी अधिकारियों द्वारा ज्यादती की जा रही है, वसूली की जा रही है, जिनके घर और खेत कट गए, जमीन भी नहीं है वे हवालात में बन्द किए जा रहे हैं। मैं आप से चाहूंगा कि बस्ती, गोरखपुर और देवरिया सूखे से तबाह होते चले जा रहे हैं, हरैया तहसील में खड़ी फसल सूख रही है..

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्नों के सम्बन्ध में। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बात कहना चाहता हूं। जो आज प्रश्न आए, माननीय सुखपाल पांडेय, ओझा जी, शम्भूनाथ जी चौधरी के और मेरा भी और अन्य सदस्यों के हैं, मन्त्री की प्रार्थना पर उनको स्थगित कर दिया गया। एक महीने पहले प्रश्न दिए गए थे, प्रश्न के उत्तर का समय आया तो माननीय मन्त्री ने प्रार्थना करके टलवा दिया। मैं जानना चाहता हूं, अगर कोई खास कारण हो, बीमारी वगैरह हो तो बात समझ में आ सकती है या कोई बहुत जरूरी सरकारी काम हो तो समझ में आ सकता है। लेकिन इस तरह से प्रार्थना-पत्र आते हैं और आप स्वीकृति दे देते हैं तो हम लोगों के अधिकारों का हनन होता है। नम्बर जब आएगा तो फिर टाल सकते हैं। इस सम्बन्ध में व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न स्थगित किए गए हैं, माननीय सदस्य स्वयं भी थोड़ा सहमत होंगे, व्यक्तिगत कारणों से माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने प्रार्थना की थी, उनके पिता की वर्षी है और उन्होंने यह प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों को स्थगित कर दिया जाय। तो इसके लिए आप भी सहमत होंगे। लेकिन मैं अवश्य चाहूंगा कि जो प्रश्न स्वीकृत किए जाते हैं माननीय मन्त्रीगण का ध्यान आकर्षित करूंगा उनका समय के अन्दर उत्तर आना चाहिए और विशेष परिस्थिति में जब कि सूचना का संकलन करना सम्भव न हो तभी स्थगन मांगना चाहिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

उनके डिप्टी मिनिस्टर हैं।

श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मेरा निवदन है कि जब अभी सदन में मैं आ रहा था तो विधान सभा के बाहर . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक औचित्य का प्रश्न, प्रश्नों के सम्बन्ध में उठाना चाहता हूं। नम्बर 11 प्रश्न देखिए—"क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, गोरखपुर का कार्यकाल शासन ने जुलाई 13, 1977 के आदेश द्वारा जनवरी 15, 1978 तक बढ़ाया था तो क्या यह सच है कि पुनः 27 जलाई, 1977 को पूर्व आदेश को निरस्त कर यह आदेश दिया गया कि उनका सेवाकाल 31 जुलाई को ही समाप्त समझा जायगा ? यदि हां, तो क्यों ?" इसका उत्तर यह आया है,

श्री अध्यक्ष—

आप जो यह कह रहे हैं, यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। सदन में इसका अवसर नहीं है। आपके सामने नियम 49 है आप मेरे कक्ष में आकर स्पष्टीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। कैसे आपका प्रश्न आता है, आप बतायें ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

इसलिए आता है कि यह मामला न्यायालय के सामने है . . .

श्री अध्यक्ष—

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। जब आप औचित्य के प्रश्न को उपस्थित करेंगे तो नियम के अनुसार करेंगे। किस नियम की अवहेलना की गयी है, इसको बतायें। अगर आपको सन्तोष नहीं है तो नियम 49 के अन्तर्गत नोटिस दें तो मैं विचार करूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

एक बात सुन लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि औचित्य का प्रश्न इसलिए बनता है कि उत्तर अस्पष्ट है ? उसमें कहते हैं कि न्यायालय के विचाराधीन है और फिर कहा गया कि जनहित में बताना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। इसलिए यह समाप्त हुआ। मैंने व्यवस्था दे दी। आप बैठिए।

रोडवेज बस डिपो, आजमगढ़ में हुयी लूट-पाट, हत्या आदि के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में घटी एक घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। दिनांक 20/21 सितम्बर, 1977 को रात्रि में 10.30 बजे प्रदेश के महत्वपूर्ण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रोडवेज बस डिपो, आजमगढ़ में अवांछनीय तत्वों ने रिवाल्वर, हथगोलों तथा अन्य घातक हथियारों से बस परिचालक तथा कैशियर पर सांघातिक आक्रमण कर पचास हजार की सरकारी सम्पत्ति लूट ली। एक यात्री को बम से मार दिया और उसकी मृत्यु हो गयी है और कैशियर तथा परिचालक घायल हो गए। मान्यवर, इस घटना से वहां के जनमानस में बड़ी निराशा व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष--

आप व्याख्यान न दें जो लिखा है, उसको पढ़े।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

इस रोमान्चकारी घटना से सम्पूर्ण आजमगढ़ जनपद में भय, निराशा एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है। नागरिक जीवन असुरक्षित हो गया है। स्थानीय पुलिस किंकर्त्तव्यविमूढ़ है। परिवहन निगम के अधिकारी तथा कर्मचारी अत्यधिक भयाक्रान्त हैं जिसका प्रभाव परिवहन सेवाओं पर भी पड़ना स्वाभाविक है। लोक महत्व के इस निश्चित विषय पर सदन को प्रभावी कार्यवाही हेतु सूचित कर रहा हूं।

गोरखपुर के नगर क्षेत्र समिति के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन न मिलने से असंतोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत स्थित नगर क्षेत्र समिति के अल्प वेतन भोगी, सफाई, जल-पूर्ति, चुंगी कर्मचारी को तीन माह का बकाया वेतन नरेन्द्र देव पाठक, परगना मजिस्ट्रेट, महाराजगंज ने अपने स्तर से रोक रखा है। नाग पंचमी, रक्षा बन्धन, जन्माष्टमी के पर्व पर भी वेतन नहीं दिया। कर्मचारियों ने लिखित प्रार्थना-पत्र वेतन न देने पर कार्य ठप्प करने की सूचना दी थी, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरे मौखिक वार्तालाप पर वेतन हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को कागजात सहित 15 कि0मी0 दूर डाक बंगले पर बांसूली वरवा बुलाकर रात्रि 11 बजे तक बैठाए रखा, इसके बावजूद वेतन देने का कोई हल नहीं निकला। इसकी सूचना कर्मचारियों ने दिनांक 10 अगस्त, 1977 को मुझे दी और दिनांक 11 अगस्त, 1977 को माननीय विद्युत मन्त्री को सिसवा दौरे पर अपनी बात बताई। मैंने इस सम्बन्ध में दिनांक 12 अगस्त, 1977 को माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री को तथ्यों की जानकारी देते हुये ईद के शुभ अवसर पर वेतन देने का आदेश वायरलेस द्वारा भिजवा दिया। उस आदेश पर जिलाधीश महोदय ने तत्काल वेतन वितरण हेतु विशेष संदेश वाहक को महाराजगंज भेजकर सूचना दे दी। किन्तु ईद के अवसर पर भी वेतन वितरण नहीं किया गया। कर्मचारी क्षुब्ध हो कर दिनांक 15 अगस्त, 1977 को मेरे पास आए और इस बात को दुख के साथ कहते रहे कि हमारा त्योहार यदि फीका है तो पानी एवं सफाई व्यवस्था ठप्प कर देंगे। मेरे आग्रह पर सफाई व्यवस्था ईद पर सुदृढ़ रही परन्तु दिनांक 18 अगस्त, 1977 तक भ्रष्ट मजिस्ट्रेट ने भूख से पीड़ित गरीबों की पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया।

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल]

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही नरेन्द्र देव पाठक हैं जिन्होंने आपात स्थिति में बांस गांव तहसील घोड़सरी में बलात नसबन्दी करवाया और जनता पर गोली चलवाई। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ जो महाराजगंज के कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, शासन द्वारा दिए गए आदेशों को न मानने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाए और उनका तत्काल स्थानान्तरण कर दिया जाए और बकाया वेतन कर्मचारियों को तुरन्त दिलाने की व्यवस्था की जाए।

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की कक्षाओं का परीक्षाफल तथा प्रमाण-पत्र कम्प्यूटर से तैयार कराए जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री मोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

यू0 पी0 बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, इलाहाबाद ने शिक्षकों के विरोध के बावजूद यह निर्णय लिया है कि इस वक्त हाई स्कूल परीक्षा का समस्त परीक्षाफल, परीक्षार्थियों की समस्त परीक्षा का परीक्षाफल, परीक्षार्थियों की अंक चिटें तथा उनके प्रमाण-पत्र कम्प्यूटर से तैयार कराए जायें। हमारे देश में कम्प्यूटर का काम आई0बी0एम0 नाम की एक अमरीकन कम्पनी करती है। आई0बी0एम0 को भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय ने आई0बी0एम0 की कुछ शर्तें न मानने की दशा में अपना काम बन्द करने के निर्देश दिए हैं। आई0बी0एम0 के एक प्रवक्ता ने इन शर्तों के मानने में कठिनाई प्रदर्शित की है। भारत सरकार के उद्योग मन्त्री ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की शर्तें न मानने पर कोकाकोला की तरह आई0बी0एम0 को अपना कार्य बन्द करना पड़ेगा। यू0 पी0 बोर्ड ने हाई स्कूल परीक्षाफल के फार्म तथा अन्य प्रपत्र कम्प्यूटर द्वारा मान दण्डों के आधार पर छपवाए हैं। बोर्ड अपने इस निर्णय को न तो पुनर्विचार करने के लिए तैयार है और न स्थगित करने के लिए तैयार है। हाई स्कूल के लाखों परीक्षार्थियों तथा उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों में यह चिन्ता व्याप्त हो गई है कि आई0बी0एम0 द्वारा देश में काम बन्द कर देने की दशा में हाई स्कूल परीक्षाफल तैयार करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अतः शिक्षा मन्त्री जी से तुरन्त इस अनिश्चय को समाप्त करने को कहा जाए।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं इस माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिए चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति हेतु दिनाँक 14 सितम्बर, 1977 से साक्षात्कार का कार्यक्रम निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा कार्यालय 32, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ पर चल रहा है जो प्राप्त सूचनाओं के अनुसार दिनाँक 29 सितम्बर, 1977 तक चलेगा। मुझे बतलाया गया है कि उक्त साक्षात्कार के लिए उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए और इसी प्रदेश में रहने वाले ऐसे स्नातकधारी आयुर्वेदिक चिकित्सकों को विभाग द्वारा साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा रहा है जिन्होंने

बी0ए0एम0एस0 का कोर्स उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी विश्वविद्यालय से किया है। लेकिन प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग न केवल ऐसी डिग्रियों को मान्यता प्रदान करता है वरन् इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 के अन्तर्गत ऐसे चिकित्सकों का पंजीकरण भी किया जाता है और प्रदेश के आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में ऐसे स्नातकधारी चिकित्सकों की शैक्षणिक कार्यों हेतु नियुक्ति भी की जाती है।

ऐसी दशा में ऐसे स्नातकधारियों को साक्षात्कार हेतु पत्र जारी करने से इन्कार करना स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके साथ अन्याय है और आपके माध्यम से मैं सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की भेद-भावपूर्ण नीति को अविलम्ब परित्याग करके सभी योग्यता प्राप्त चिकित्सकों को साक्षात्कार हेतु पत्र जारी करने का निर्देश दिया जावे।

गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में सूखे के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति पर विधान सभा में माननीय राजस्व मन्त्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य के बाद गोरखपुर जिले, खासकर फरेन्दा तहसील में अवर्षण से उत्पन्न भयानक सूखे की स्थिति जैसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर' माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं पुनः सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

गोरखपुर जिले के उत्तरी भाग फरेन्दा तहसील में शुरू से ही वर्षा की कमी रही है जिसके कारण खरीफ की फसल खासकर धान की बोवाई और रोपाई में काफी कठिनाई हुई। वर्षा बहुत कम हुई और हुई भी तो फुहार स्वरूप हुई। इसे स्वीकार करते हुए माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि प्रारम्भ में वर्षा कम होने के कारण खरीफ की फसल को विशेषकर धान को कुछ क्षति हुई है। आगे फिर कहते हैं कि "25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक क्षति होने की सम्भावना है"। इस तरह उन्होंने कम ही करके परन्तु वर्षा की कमी और फसल की क्षति को स्वीकारा है।

वक्तव्य के बाद आज तक उक्त क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई, फलस्वरूप फसलें झुलसती जा रही हैं। जहाँ धान पहले बोया गया था, निकली हुई बालियाँ सूख गयीं। देर से बोए जाने वाले नए किस्म के धान बिना बाली निकले ही झुलस रहे हैं। अगहनी की फसल होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस क्षेत्र में नए किस्म के धान का व अगहनी का क्षेत्रफल, कुल खरीफ के क्षेत्रफल का आधा से अधिक है। तराई की मुख्य फसल वास्तव में अगहनी व धान ही है जिसे वर्षा का ही सहारा रहता है।

यहाँ नहरें बिलकुल नहीं हैं और सरकारी नलकूपों की संख्या नगण्य है। पानी का स्ट्रेटा बहुत नीचे होने के कारण किसानों की क्षमता निजी नलकूप लगवाने की बहुत कम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम नारायण तिवारी]

मन्त्री महोदय ने माना भी है कि जिले के 1/3 भाग से कम के क्षेत्रफल की ही सिंचाई होती है। इस असिंचित क्षेत्र में तो मुश्किल से 1/6 भाग से भी कम भाग सिंचित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह क्षेत्र पूर्णतया सूखे की चपेट में है। चारों तरफ हा-हाकार मचा हुआ है। खरीफ की फसल तो चली ही गयी, वर्षा न होने से रबी की बाबत में कठिनाई होगी।

अतः सरकार द्वारा इस परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखकर तत्काल उचित कदम उठाया जाना अति आवश्यक है। राहत कार्य चालू किया जाना, सभी प्रकार की वसूलियाँ बन्द करना, विद्यार्थियों की फीस आदि की माफी तथा सिंचाई का साधन जैसे नलकूप वगैरह भविष्य के लिए उपलब्ध कराना जैसे कार्य शुरु किए जाने चाहिए।

मान्यवर, कल इस सदन में माननीय राम अधार यादव जी की जान के खतरे के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि वे उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध करा देंगे लेकिन देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जिले के लाखों आदमियों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें और इसे सूखे का क्षेत्र घोषित करें वहाँ पर राहत के कार्य आरम्भ कराएं ?

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री दशरथ सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री दशरथ सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस पर अनुमति नहीं दी है। यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री दशरथ सिंह—

मान्यवर, वहाँ पर बड़ी मुसीबत हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रदेश में सूखे, बाढ़ तथा कटाव के विषय पर चर्चा के लिए समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। आज बहुत से माननीय सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं जिनमें बहुत से जिलों में सूखे, बाढ़ और कटाव का जिक्र किया है।

नोट—[× × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उन सबको मैं विशेष रूप से माननीय राजस्व मन्त्री जी के पास भेज दूंगा। 29 तारीख को राजस्व विभाग का बजट पेश होगा। मैं चाहूंगा कि विशेष रूप से जिन माननीय सदस्यों ने उनका ध्यान आकर्षित किया है और जिनकी सूचनाओं को सदन में स्वीकार करना मेरे लिए सम्भव नहीं है, विशेष रूप से उन प्रत्येक जिलों के बारे में वे प्रकाश डालें। इसके अतिरिक्त बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। मैं चाहूंगा कि 29 तारीख को 2 घंटे विशेष रूप से सूखे, बाढ़ और कटाव आदि सब विषयों पर बहस हो जाय। तो दफा 52 में मेरे पास कुछ लोग नोटिस भी दे रहे हैं इसलिए मुख्य मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि राजस्व मन्त्री जी से कहें कि एक विस्तृत वक्तव्य अनुदान पेश करते समय तमाम जिलों के बारे में रख दें और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वह अपनी जगह सब की सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सब सूचनाओं को नहीं लिया जा सकता है और यह तो विशेष रूप से सदस्यों की सुविधा के लिए मैंने एक नयी परिपाटी इस सदन के अन्दर डाली थी, जिसमें नेता विरोधी दल और नेता सदन सभी की अनुमति से यह था कि 5 सूचनाओं तक स्वीकार करेंगे। तो उसमें एक विशेष स्थिति में दफा 51 में मैं सरकार को निर्देश करता हूं कि उस पर वक्तव्य दे दिया जाय। तो मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि इसमें आप सब लोग सहयोग करें, क्योंकि प्रश्नों का समय है और अगर इस तरह से पृथक-पृथक एक-एक घटना को लेकर अल्प-सूचित प्रश्न है या अन्य प्रश्नों के द्वारा ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, तो यह सम्भव न होगा कि 5 से ज्यादा प्रश्न स्वीकार किए जायं। इससे सदन का जो कार्यक्रम है उसका चलना बड़ा मुश्किल हो जायगा। इसलिए मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध किया है कि वह वक्तव्य विशेष रूप से इसके सम्बन्ध में दिलायें और माननीय सदस्यों की ख्वाहिश है 2 घंटे अनुदान पास होने के बाद इस पर विवाद किया जाय। इसे 29 तारीख को लिया जाय। (व्यवधान)।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर)

माननीय सुखपाल जी, बैठिए। मैं अनुरोध करूंगा, माननीय सुखपाल जी बड़े पुराने सदस्य हैं। माननीय नेता सदन खड़े हों तो कम से कम इस पक्ष के लोगों को तो नेता सदन का सम्मान करते हुए बैठ जाना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

पहले मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो आपने निर्देश दिए, मैं सामान्यतः उनसे सहमत हूं और आपने यह उचित ही निर्णय लिया कि दो घंटे बाढ़, सूखा और कटाव आदि पर विवाद और होना चाहिए। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इस व्यवस्था से न्याय शायद इस विषय से न हो सके, इसलिए बजाय एक दिन के दो दिन, दो-दो घंटे इसके लिए ले लिया जाय तो काफी जिलों के प्रश्न आ जायेंगे, यह मेरा सुझाव है।

श्रीमन्, आपने नयी प्रणाली चलाई कि जीरो आवर में, शून्य प्रहर में आपने 5-5 महत्वपूर्ण विषयों पर यहां नोटिस देने की प्रणाली रखी। इससे सदन में शान्ति रही। इतने सालों से हम देखते थे कि इस समय बड़ी अशान्ति रहती थी। लेकिन एक बात की कमी है कि हमें यह पता नहीं चलता कि जो जीरो आवर में सवाल उठाए गए उनका उत्तर अभी तक पिछले 20 दिनों में कोई आया या नहीं? 60-70 प्रश्न उठ गए होंगे, लेकिन एक सदस्य ने भी, मैंने शासन दल से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि क्या उनके पास कोई उत्तर शून्य प्रहर का आया, तो अभी तक मुझे कोई सदस्य नहीं मिले जिन्होंने यह जानकारी दी हो कि उनके पास शासन की ओर से उत्तर आ गया। तो इस प्रकार पूरक प्रश्न की जानकारी से भी वंचित रह जाते हैं। तो शून्य प्रहर के निर्देशों का उत्तर जब मिले तो उसकी कापी हमारे पास आये ताकि उस पर यदि कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर सकें, नहीं तो वह एक तरफा हो जाता है, मालूम नहीं होता है कि क्या कार्यवाही हुई।

श्री अध्यक्ष—

श्री ऊदल। (सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े होने पर) सुन्दर लाल जी आप बैठिए। इस तरह के प्रश्नों पर आप निर्दलीय दल के सदस्य हैं; जब आपके नेता बैठे हुए हैं अगर सदन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न करना है तो आपके नेता इस तरह के मामलों में अपनी राय दे सकते हैं। आप कृपया बार-बार इस तरह के प्रश्नों पर उठने का कष्ट न किया करें।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आपने सूखा, बाढ़ और कटाव के बारे में जिस दिन रेवेन्यू विभाग की ग्रान्ट होगी, 2 घंटे की चर्चा के बारे में कहा कि चर्चा हो जाय तो काफी उस पर प्रकाश पड़ जायगा और सरकार को उसके बारे में तैयार होकर आना चाहिए। मेरा इसके विपरीत खयाल है। माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा कि उसके विपरीत है। क्योंकि यह प्रश्न सूखा, बाढ़ और कटाव का पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है। जिस दिन ग्रान्ट पेश होगी उस दिन व्यापक तरीके से बजट के ऊपर और सूखा, बाढ़ और कटाव के ऊपर न तो विस्तार से चर्चा हो सकती है और न ठीक से विचार हो सकेगा, और न सरकार ठीक तरह से उसका उत्तर दे सकेगी। इसलिए मेरा निवेदन आपके माध्यम से नेता सदन से भी है कि वह परामर्श कर लें आपसे श्रीमन्, और पूरे एक दिन का समय पूरा बाढ़, सूखा और कटाव की चर्चा के लिए अगर रख देंगे तो इन महत्वपूर्ण समस्याओं पर सही ढंग से विचार भी हो सकता है और सरकार को भी समझने को अच्छा मौका मिल सकता है और कुछ राहत कार्य भी सरकार कर सकती है। तो इस पर अलग से विचार करके एक दिन निर्धारित करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री ऊदल जी ने कहा है, राजस्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए एक दो घंटे बढ़ाने के बजाय इस पर एक दिन अलग से चर्चा रखी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार बाढ़, सूखा और कटाव की चर्चा माननीय सदस्यों ने की है और इस समय इन प्रश्नों को उठाया है, सरकार इस बारे में बहुत ही सजग है और प्रयत्नशील भी है। एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो अपने-अपने क्षेत्रों से आए हैं और जहां इस तरह की स्थिति है तो वह हमारे सम्बन्धित मन्त्री के यहां बाढ़ सम्बन्धी सारी सूचनाओं को पहले ही, 29 के पहले दे दें ताकि शासन इस लायक हो सके कि इन सारी समस्याओं के ऊपर विचार करके निराकरण और हल भी ढूंढ़ा जा सके। इसलिए मैं विपक्ष के सम्मानित सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं और इस पक्ष के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी प्रभावी जिले हैं जहां सूखा बाढ़ और कटाव से वह प्रभावित हैं तो उनके सम्बन्ध में सूचनायें दे दें ताकि ठीक तरह से समस्याओं पर विचार हो सके। जिले के अधिकारियों के द्वारा भी जो सहयोग हो रहा है वह शासन की तरफ से किया जा रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि वह बाढ़ और सूखा से मरने की स्थिति में आवे, ऐसा अवसर नहीं आने पाएगा, प्रदेश का शासन इस प्रकार की स्थिति नहीं आने देगा।

जो दो घंटे के लिए चर्चा की बात है तो यदि उसे अपर्याप्त मानते हैं तो 3 घंटे कर दें और 3 घंटे के अन्दर ही सारी जो चर्चा है उस सम्बन्ध में आ सकेगी। इसलिए मैं पुन: अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अपने क्षेत्रों की समस्यायों से अवगत करा देंगे।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के पुन: खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

सुन्दर लाल जी आप बैठें। आपके नेता सुझाव दे चुके हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, सूखा और बाढ़ के साथ-साथ कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में भी चर्चा हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाएं सुन्दर लाल जी, आप बैठ जाइए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

सूखा की जो समस्या है वह ज्वलंत है ही। समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश भुखमरी और अकाल के कगार पर खड़ा है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज प्रदेश में जन-जीवन की सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं रह गयी, इसलिए कानून और व्यवस्था के बारे में श्रीमन्, अवश्य चर्चा होनी चाहिए। इस समय करोड़ों आदमी भय ग्रस्त हैं उस पर भी चर्चा का निर्देश दें। आप इस सदन की गरिमा के प्रतीक हैं, आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं।

श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)--

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार आश्वासनों के बावजूद भी सरकारी अधिकारी तथ्यों पर पर्दा डाल रहे हैं। देवरिया जनपद अकाल के गाल में है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखा जा रहा है। 10 परसेंट सूखा की रिपोर्ट है जबकि सूखा शत-प्रति-शत है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। कोई कार्य क्रम नहीं है। (श्री बांके लाल के खड़े होने पर।) आप स्थान ग्रहण करें। मैं बोल रहा हूं। यह सदन का कार्यक्रम आपके सामने है। एक कार्य समाप्त हो जाने के बाद कार्य विन्यास के बारे में कुछ प्रश्न किए जा सकते हैं। अभी सब दलों के नेताओं ने और माननीय नेता सदन ने बात कही। मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। एक प्रश्न पर जब नेता सदन ने अन्तिम रूप से अपनी बात कह दी, माननीय नेता विरोधी दल ने, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने, माननीय नेता निर्दलीय ने अपने सुझाव रख दिए... (श्री सुन्दर लाल दीक्षित के पुनः खड़े होने पर।) आप बैठिए, आपको मैं अनुमति नहीं देता हूं। आप निर्दलीय हैं। मैं खड़ा हुआ हूं। आप बैठिए। माननीय सुन्दर लाल जी, आप अपने को अनुशासन में रखें। आपस में बात न कीजिए। तो यह निश्चित हुआ कि राजस्व के सम्बन्ध में माननीय सदस्य राजस्व मन्त्री जी को अपने जिले की समस्यायें लिख कर भेज दें और जिस रोज वह बजट होगा, माननीय मुख्य मन्त्री जी का सुझाव है कि 3 घंटे अतिरिक्त हो, यह सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है। अगर इसमें समय की आवश्यकता होगी तो बाद में नेता सदन और नेता विरोधी दल से मिल कर समय के बारे में निश्चय कर लिया जायगा।

श्री कौशिक जी ने एक प्रश्न रखा प्रदेश की शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में। तो पुलिस का बजट है, सामान्य प्रशासन का बजट है। पुलिस पर 2 दिन का समय है और सामान्य प्रशासन पर 1 दिन का है, 3 दिन का समय काफी है.....

श्री सुन्दर लाल दीक्षित का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

आपातकाल में विभिन्न राजनीतिक लोगों.....

श्री अध्यक्ष--

सुन्दर लाल जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

(घोर व्यवधान)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुन्दर लाल जी आप खामोश रहिए। (श्री सुन्दर लाल दीक्षित के बोलते रहने पर) मैं आपको इंगित करता हूं।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य, श्री सुन्दर लाल जी निलम्बित किए जायं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सुन्दर लाल जी को निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल इनको बाहर ले जाइए। श्री सुन्दर लाल को 7 दिन के लिए निलम्बित किया गया। मार्शल इनको बाहर निकालिए।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित फिर भी बोलते रहे जो साफ सुनाई नहीं दिया।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[× × ×]

(व्यवधान)

(मार्शल विधान सभा रक्षकों की सहायता से श्री सुन्दर लाल दीक्षित को सदन से बाहर ले गए।)

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही, व्यवस्थित ढंग से चलाने के सम्बन्ध में सदस्यों की आचरण संहिता बनाने का सुझाव

श्री अध्यक्ष—

आप शान्त रहिए।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मुझे आपके द्वारा सदन के माननीय नेता और नेता विरोधी दल से निवेदन करना है कि सदन में ज्यादा लोग हैं जो यह चाहते हैं कि अनुशासन के साथ यह सदन चले। मान्यवर, हम लोगों को कष्ट होता है जो नियमों के अनुसार चलते हैं और बीच-बीच में कुछ लोग जब व्यवधान पैदा करते हैं जिसकी कुछ सजा उन्हें भुगतनी पड़ती है जो नियमानुसार कार्यवाही में भाग लेते हैं। मान्यवर, हमारे कुछ साथियों की आदत हो गई है कि बिना किसी नियम के प्रश्नों को उठाया जाय और समाचार पत्र मे कोई सीन क्रियेट किया जाय। मान्यवर, आप सदन के अध्यक्ष हैं और मैं माननीय नेता विरोधी दल, अन्य माननीय नेता तथा माननीय नेता सदन से निवेदन करूंगा कि हमारी यह सारी कार्यवाही

नोट—[××××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

सारा दल देखता है, सारा देश देखता है। अगर सदन में कोई ऐसी घटना घटे, तो उस दल के नेता का यह कर्तव्य होता है कि सदन के उस सदस्य के विरुद्ध कुछ अनुशासनिक कार्यवाही करे। इससे आहिस्ता-आहिस्ता अनुशासनहीन लोग अपने में सुधार लाने का मौका पायेंगे। मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि आगे से सदन के सम्मुख जब कभी ऐसी घटना घटे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, माननीय तोमर जी ने जो बात कही है उसकी हम लोग ताईद करते हुए एक बात और जोड़ देना चाहते हैं, वह यह है कि जहां सभी दलों की जिम्मेदारी है कि सदन की मर्यादा कायम रखें, वहाँ हम निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अगर कोई व्यक्ति अवमान के रूप में कोई काम करता है, तो हम उसकी निन्दा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा निवेदन शासक दल से है, इधर के लोग जब कुछ बोलना शुरू करते हैं, जो इनको अप्रिय लगती है, तो उस तरफ के कुछ लोग न केवल खड़े ही होते हैं, बल्कि मेजें पीटते हैं, चीत्कार करते हैं, आवाजें करते हैं। अब उनका जवाब यह है कि हम भी कम ही लोग हैं, हम भी चीत्कार करें, आवाजें करें। आप भी लाचार हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा आप से एक निवेदन है कि एक आचार संहिता होनी चाहिए। आप स्वयं माननीय नेताओं को, माननीय नेता विरोधी दल को, माननीय नेता सदन को बुला कर अपने-अपने दल के लोगों पर पूरा संयत रखने के लिए कोई कोड-आफ-कंडक्ट तैयार करावें। आप पर अधिक जिम्मेदारी है। आप जरा एक दिन मुख्य मन्त्री जी, रहकर देखें, किस तरह से व्यवधान उस दल से करते हैं। खासतौर से जो अधिष्ठाता महोदय बैठते हैं उनको भी दिक्कत होती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर कोड-आफ-कंडक्ट बनाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि आपसे कि आप तमाम नेताओं को बुलाकर, विरोधी दल के नेता और नेता सदन को भी बुलाकर इस पर बैठ कर कोड-आफ कंडक्ट विशेष तौर से बनाएं। जो आपकी आज्ञा होगी हमको शिरोधार्य है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन मौजूद हैं। अगर इस दल के सब सदस्य बोलना चाहेंगे तो कैसे होगा? माननीय देव कुमार।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, माननीय सदस्य जनता पार्टी ने जो अपने विचार रखे हैं मैं अपने दल की तरफ से उसकी ताईद करता हूं। मान्यवर, आए दिन दर्दनाक घटनाएं सदन के अन्दर घटती हैं जिसको प्रदेश की जनता दीर्घाओं में बैठकर देखती है। सदन के अन्दर जिस प्रकार से आपको परिश्रम करना पड़ता है, वह ज्यादा दिनों तक चलना उचित नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय मिश्र जी ने कहा, सदन के नेताओं को बुलाकर अपने कक्ष में इसके लिए आचार संहिता बनाएं तथा प्रभावशाली व्यवस्था करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्यथा सदन की जिस प्रकार कार्यवाही चल रही है और जैसा मिश्र जी ने कहा, मान्यवर, बड़ा कटु अनुभव होता है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, सरकारी पक्ष के कुछ सदस्य फिकरे बाजी करते हैं। अगर यही प्रक्रिया इधर से शुरू हो जाय तो सदन की कार्यवाही चलना मुश्किल हो जायगा। माना कि विरोधी पक्ष कम है, लेकिन कार्यवाही को न चलने देने के लिए काफी है। मैं माननीय नेता सदन से, माननीय नेता विरोधी दल से, सभी लोग जो चुनकर आए हैं, मान्यवर, सदन के अन्दर आपका पूरा कर्तव्य है, सदन की गरिमा और सदन की कार्यवाही चलाने के लिए, तो कोई न कोई, प्रभावशाली व्यवस्था करें। मुझे आशा है कि आज ही या निकट भविष्य में इसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो विचार जनता पार्टी के सदस्य ने यहां रखा है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। सदन की गरिमा रखना बहुत ही आवश्यक है। मैं कई मर्तबा ऐसा देख चका हूं, सभी पार्टियों के सदस्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने हाउस में अनुशासन का पालन नहीं किया हैं। हमारे सदस्य दीक्षित जी नए सदस्य हैं और भावावेश में आकर कहीं न कहीं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर जाते हैं और आज भी उन्होंने किया हैं उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि सभी पार्टियों के नेताओं को अपने कक्ष में बुला कर और कुछ कोड-आफ-कंडक्ट जैसा पहले कहा गया हैं, आप निश्चित कर दें। हाउस की मान-मर्यादाओं का पालन करना हम सभी सदस्यों के लिए आवश्यक हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश ने एक आदर्श रखा हैं भारत में, यहां की असेम्बली ने आदर्श रखा हैं यह सभी सदस्य जानते हैं। कम से कम जो गम्भीर सदस्य आए हैं, नयों की बात छोड़ दीजिए, उनमें भी तमाम ऐसे हैं, जो अनुशासन भंग नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं, मुश्किल से गिनती में 8–10 सदस्य होंगे इधर और उधर मिलाकर जिनके बारे में आपको व्यवस्था करनी है। तो हमें आपसे निवेदन करना है कि आप बुलाकर जो आदेश और नियम निर्धारित करेंगे उसके अनुसार हम चलेंगे।

(कई सदस्यों के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह के प्रश्न पर केवल जो दलों के नेता हैं वे विचार प्रकट करें।

एक सदस्य—

दल के नेता लोग ही तो श्रीमन, नहीं चलने देते।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की भावना और जिस तरह के विचार तोमर जी ने सदन के गौरव को ध्यान में रखते हुए, इसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए, व्यक्त किए हैं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश यादव]

उसके साथ ही साथ मिश्र जी ने और देव कुमार जी ने और दूसरे सदस्यों ने अपने को सम्बद्ध किया है, मैं भी उसी आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो सदन का गौरव और गरिमा रखने में ठीक ढंग से हो उससे ही हमारे सदन की मर्यादा रह सकती है । चूंकि इसका प्रभाव, जो समाचार-पत्रों में सूचना आती है दूसरे स्थानों पर पड़ सकता है और फिर सदन की जो गरिमा है, जो रक्षा होनी चाहिए वह नहीं हो सकती है। इसलिए मैं समस्त माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैं चाहता हूं कि उनके मन में भी गौरव और रक्षा करने का ध्यान होना चाहिए और मैं समझता हूं कि उसी आधार पर काम कर रहे हैं। कभी-गभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब विरोधी पक्ष की ओर से आरोप होते हैं तो हमारे सदस्यों का मन भी उस तरफ चला जाता है और इस तरह कटाक्ष तो होते ही रहेंगे। लेकिन सभी माननीय सदस्यों को जो सदन की गरिमा है और जो गौरव है उसी के अनुसार सदन को चलाने में हमारा सहयोग करेंगे और जो अध्यक्ष महोदय व्यवस्था कायम कर रहे हैं उसका पालन हर सदस्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

जहाँ तक आचार संहिता का सवाल है तो हमारी नियमावली पर्याप्त है और उनका पालन करने के सम्बन्ध में विभिन्न दलों के नेताओं से आवश्यक परामर्श करना चाहिए। आप नियम 286 को देखें। उसमें सदस्यों को जिस समय उपवेशन हो--

(1) ऐसी पुस्तक, समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेंगे और न उस कार्य के अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य करेंगे, जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो,

(2) किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेंगे,

(3) सदन में प्रवेश करते समय या सदन से बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते समय या वहाँ से उठते समय भी अध्यक्ष पीठ के प्रति नमन करेंगे,

(4) अध्यक्ष पीठ और ऐसे सदस्य के बीच में से जो भाषण दे रहा हो, नहीं गुजरेंगे,

(5) जब अध्यक्ष सदन को सम्बोधित कर रहे हों, तो न सदन के बाहर जायेंगे और न एक ओर से दूसरी ओर जायेंगे,

(6) सदैव अध्यक्ष पीठ को ही सम्बोधित करेंगे,

(7) सदन को सम्बोधित करते समय अपने सामान्य स्थान पर ही रहेंगे,

(8) जब सदन में नहीं बोल रहे हों, तो शान्त रहेंगे,

(9) कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेंगे, चीत्कार नहीं करेंगे या बाधा नहीं डालेंगे और जब सदन में भाषण दिए जा रहे हों, तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेंगे,

(10) भाषण करते समय दीर्घा में किसी अजनबी की ओर संकेत नहीं करेंगे।

यह सदस्यों द्वारा पालनीय नियम हैं। अब बोलने के लिए नियम 287 देखें—जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़े हों तो अध्यक्ष उनका नाम पुकारेंगे। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हों जायं तो जिस सदस्य का नाम पुकारा जाएगा उन्हीं को बोलने का अधिकार होगा जिसको अध्यक्ष बोलने के लिए बुलायेंगे।

इसी प्रकार से इस सदन के अन्दर बराबर यह जो औचित्य प्रश्न किए जाते हैं उसके सम्बन्ध में यह नियम 300 में देखें जिसमें लिखा है :—

"औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय—(1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।" यह नहीं कि हम उठा रहे हैं औचित्य का प्रश्न और बाढ़ का जिक्र हो गया। इसी तरह से औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा, जैसे कोई एजेन्डा पर विषय है तो आप कह सकते हैं कि इसको नहीं आना चाहिए—नियम विरुद्ध है, परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था बनाए रखने या सदन के समक्ष कार्यविन्यास के सम्बन्ध में हो। जैसे कि माननीय तोमर जी ने व्यवस्था के सम्बन्ध में आज उठाया। यह उठाया जा सकता है। नियम 300 के उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं। इसी प्रकार जब कोई प्रश्न किसी प्रस्ताव पर सदन के सामने हो, विभाजन की घंटी बज रही हो तो उस सब के नियम हैं। इसी प्रकार के नियम 289 हैं। बोलने तथा प्रश्न का उत्तर देते समय कोई सदस्य (क) किसी प्रश्न का वंचनात्मक उत्तर नहीं देंगे, (ख) किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचाराधीन हो, कोई विचार प्रकट न करेंगे और न कोई आलोचना करेंगे, (ग) किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप तथा लाँछन नहीं लगायेंगे आदि-आदि। सभी माननीय सदस्यों को किताब दी गयी है लेकिन इसका पालन तभी हो सकता है जबकि आप इसका ध्यान रखें। यह सदन है और एक तर्क का उत्तर तर्क से ही दिया जा सकता है। यह कोई मल्लयुद्ध का स्थल नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि एक दूसरे की बात धैर्य के साथ सुनें चाहे वह कटु ही क्यों न हो।

एक सदस्य—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप लोग बैठें। अब मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं।

श्री बाँके लाल (जिला देवरिया)—

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पुन: सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इससे सदन का मूल्यवान समय नष्ट होता है? बिना नियमों के अनावश्यक रूप से खड़ा होना अच्छा नहीं है।

श्री बाँके लाल—

आपने तो प्रक्रिया नियमावली पढ़ दी और बता दिया लेकिन जब कोई सदस्य खड़ा होता है और आपकी दृष्टि उस पर नहीं पड़ती तो उसकी क्या दवा है?

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बाँके लाल—

जब कोई सदस्य बार-बार खड़ा हो और आपकी दृष्टि उस पर न पड़े तो इसकी क्या दवा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रयास जारी रखें और अपने ह्विप को अपना नाम लिख कर दे दें। यहाँ 425 सदस्य हैं। आज हरिजन कल्याण विभाग की मद है। एक दिन का समय है कल करीब 28 सदस्यों ने भाग लिया। मैं मुख्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जो सदस्य अब तक भाग ले चुके हैं सामान्य विवाद में या गवर्नर एड्रेस में उन पर उन सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनको अब तक बोलने का अवसर नहीं मिला है।

*श्री बाँके लाल (जिला देवरिया)—

मैं प्रश्नों पर खड़ा होता हूं तो आपकी दृष्टि नही पड़ती। वैसे भी किसी समस्या पर खड़ा होता है तो आपकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ती। मैं नहीं समझ पाता कि [× × ×] एक और निवेदन है, बहुत मुस्तैदी से कह रहा हूं, जितनी देर खड़े होकर आप सदस्यों को बैठाते हैं, निकालने को कहते हैं उतनी देर में अगर आप सदस्य को मौका दे दें तो वह अपनी बात कह दें और झंझट समाप्त। मान्यवर, चौगुना समय तो आप भी नष्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप स्थान ग्रहण करें।

सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले तारांकित प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रार्थना

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियम को श्रीमन् देखें। इसमें प्रश्नों की संख्या का परिसीमन का उल्लेख 33वीं धारा में किया गया है। मेरा निवेदन है कि आप इस नियम को निलम्बित करके और इसको संशोधित कर दें अपने अध्यक्ष पद के अन्तर्गत। इसमें दो प्रश्नों के स्थान पर कम से कम तीन तारांकित प्रश्न देने की सदस्यों को इजाजत दे दें। दूसरी तरफ प्रश्नों के उत्तर होते हैं उसके बारे में धारा 38 में लिखा है कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह निश्चित करें तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे। अध्यक्ष जी, तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत होगी अगर एक घण्टे के अन्दर आ जाते हैं तो, लेकिन ऐसे तारांकित प्रश्न भी होते हैं जिन पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं होती समय के अभाव के कारण। ऐसे प्रश्न के उत्तर आपकी आज्ञा से सदन के पटल पर सूचना के रूप में सुसंगत रूप में दे दिए जायं सदस्यों को ताकि जानकारी हासिल हो जाया करेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मेरा निवेदन है कि जिन सदस्यों को आज की प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए अनुपूरक प्रश्न पूछने की, अपनी बात कहने की इच्छा है उन्हें अधिक से अधिक अवसर मिले।

श्री अध्यक्ष--

यह संसदीय अध्ययन समिति ने सिफारिश की थी कि एक सदस्य को दो तारांकित प्रश्न के स्थान पर एक ही का अवसर दिया जाय ताकि अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर मिले। आप देखते हैं कि अगर दो प्रश्नों की अनुमति दी जाय तो पूरे प्रश्न नहीं आ पाते। आप नियमों में परिवर्तन चाहते हैं तो नियम समिति का गठन किया जा रहा है उस पर विचार हो जायगा। लेकिन पहले शोध समिति ने कहा कि दो की जगह एक प्रश्न रखें। जैसा माननीय सदस्य, कल्पनाथ सिंह जी ने कहा, जिन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर नहीं दिया जाता है उसको पटल पर रखा जाता है और सदस्यों को दिया जाता है और पत्रकारों को भी प्रतियाँ दी जाती हैं और कार्यवाही का भी अंग बनता है। इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है। तमाम प्रश्नों की प्रतियां कक्ष में रखी जाती हैं ताकि जो माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हों वे उन को देख सकें। सब को तो दिया नहीं जा सकता। अगर जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता उनके बारे में आपको कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो आ कर के मिल सकते हैं, स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। नियम 49 के अन्तर्गत भी आप नोटिस दे सकते हैं। अगर उसमें औचित्य होगा, तो जरूर स्वीकार किया जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मेरा जो प्रश्न था वह आपको समझा नहीं सका। नियम 38 .....

श्री अध्यक्ष--

कल्पनाथ सिंह जी आप इस सम्बन्ध में मेरे कक्ष में मुझसे बात कर लें।

नार्दन इण्डिया पत्रिका के विरुद्ध न्याय मन्त्री द्वारा उनके भाषण को गलत छापे जाने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह, न्याय एवं कारागार मन्त्री, उत्तर प्रदेश ने सूचना दी है कि 7 सितम्बर, 1977 को सदन में दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था उसे नार्दन इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद ने अपने 8 सितम्बर, 1977 के अंक में गलत रूप से प्रकाशित किया है। उक्त पत्र में यह प्रतिवेदित है कि कांग्रेस सरकार ने न्यायालय में आत्म-समर्पण का प्राविधान समाप्त कर दिया था। जिसे उक्त संशोधन विधेयक द्वारा पुनः उपलब्ध किया जा रहा है। माननीय न्याय मन्त्री ने सदन में कहा था कि न्यायालय द्वारा अपराधियों के आत्म समर्पण स्वीकार न किए जाने की स्थिति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा 22 फरवरी, 1977 को केदार बनाम राज्य में लिए गए निर्णय के कारण उत्पन्न हुई है और उक्त निर्णय से पूर्व की स्थिति लाने के लिए संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

मैं नार्दन इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद के सम्पादक से यह अपेक्षा करूंगा कि वे अपने समाचार पत्र 8 सितम्बर, 1977 के अंक में छपे समाचार का प्रतिवाद करते हुए माननीय न्याय एवं कारागार मन्त्री द्वारा सदन में जो बात कही गयी है, उसको छाप दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मैं न्याय मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि कम से कम एक मन्त्री ऐसा निकला जिन्होंने इस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया है और यह नहीं किया कि कांग्रेस सरकार पर दोषारोपण किया।

श्री अध्यक्ष---

ऐसे बहुत से अवसर मिलेंगे।

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

मेरा भी यह अनुरोध है कि मन्त्रियों पर जो लांछन लगाए जाते हैं वह भी उचित नहीं हैं।

श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा 14 सितम्बर, 1977 को सदन में अव्यवस्था करने के सम्बन्ध में खेद प्रकाश की सूचना

श्री अध्यक्ष--

दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को माननीय सदस्य, श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा सदन में अव्यवस्था उत्पन्न करते हुए सदन के कार्य में रुकावट डालने, अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करने, अध्यक्ष पर आक्षेप करने तथा अध्यक्ष की व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करने की ओर मैंने सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहा था कि माननीय सदस्य, श्री हरिकेवल प्रसाद ने सदन के समक्ष सदन की अवहेलना की है किन्तु इस पर क्या कार्यवाही की जाय, इसे स्थगित करता हूं।

माननीय सदस्य श्री हरिकेवल प्रसाद का इस सम्बन्ध में दिनांक 21 सितम्बर, 1977 का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्य ने अपने पत्र में यह कहा है कि उन्होंने भावावेश में आकर मेरी व्यवस्था के विरुद्ध सदन का त्याग किया और इससे यदि अध्यक्ष तथा माननीय सदन के सम्मान को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो, जिसकी उनकी मंशा नहीं थी, उसके लिए उन्हें खेद है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह सदैव अध्यक्ष का आदर करते रहे हैं और आगे भी आदर करते रहेंगे।

माननीय सदस्य द्वारा प्रकट किए गए खेद प्रकाश को देखते हुए मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा कि इस पर अब कोई कार्यवाही न की जाय और मामले को समाप्त किया जाय।

(सदन ने मामले को समाप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की।)

श्री विद्या शंकर श्रीवास्तव, अनुसचिव, गृह पुलिस अनुभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री कृष्णा राय, सदस्य, विधान सभा ने श्री विद्या शंकर श्रीवास्तव, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह पुलिस अनुभाग के विरुद्ध सदन के अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। उनका कहना है कि जब वे उक्त अनु सचिव से अपनी राजनीतिक पेंशन सम्बन्धी पत्रावली से कुछ अभिलेखों की नकल लेने के सम्बन्ध में मिले तो उन्होंने माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया। माननीय सदस्य ने उपर्युक्त सूचना में यह भी अनुरोध

किया है कि इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर इसकी जाँच कराई जाय और दोषी व्यक्ति को दन्डित किया जाय।

माननीय सदस्य के साथ जब उक्त अनुसचिव, श्री विद्याशंकर श्रीवास्तव ने दुर्व्यवहार किया उस समय वे उनसे सदन के सदस्य की हैसियत से किए जाने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में नहीं मिले थे। अतः इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का तो कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है किन्तु यह एक सरकारी अधिकारी द्वारा इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्य के विरुद्ध दुर्व्यवहार का मामला है। अतः इसे मैं माननीय मुख्य मन्त्री को आवश्यक जाँच एवं कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं और मैं चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से मुझे तथा सम्बन्धित माननीय सदस्य को अवगत कराने का कष्ट करें।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

ब्रीच आफ प्रिविलेज पर मैं एक मिनट के लिए. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैं एक औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप, अपना स्थान ग्रहण करे। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। विशेषाधिकार के लिए नियम 63–64 में लिखा है जब कोई सूचना प्राप्त हो अध्यक्ष उसे अस्वीकृत कर सकते हैं या स्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन यदि वह निश्चय करने से पूर्व सम्मति लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यह प्रश्न समाप्त हुआ।

परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित लेख के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक श्री सोहनवीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने सूचना दी है कि 'परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1976–77 के कार्यकलापों पर टिप्पणी' शीर्षक से एक पुस्तिका विधान सभा सदस्यों में वितरित की गयी है। उनका कहना है कि उक्त पुस्तिका असत्य तथा अर्धसत्यों से भरपूर है और उसमें 31 दिसम्बर, 1976 के बाद की किसी जानकारी का समावेश नहीं है। अतः इसको वर्ष 1976–77 की विभागीय रिपोर्ट बताकर सदस्यों को वितरित करके, उन्हें जानबूझ कर गुमराह करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने इस पुस्तिका के पृष्ठ 5 के एक अंश को उद्धृत किया है जिसको विभाग ने चिप्पी लगाकर काट दिया था। इस अंश में यह लिखा है कि 'जो प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम में एक है।' माननीय सदस्य ने इस आधार पर यह कहा कि परिवहन विभाग आज भी श्रीमती इंदिरा गाँधी को प्रधान मन्त्री मानकर चल रहा है तथा उनके 20-सूत्री कार्यक्रम का प्रचार कर रहा है। माननीय सदस्य ने इस पुस्तिका के पृष्ठ 7 के चौथे पैरे का भी उल्लेख किया है जो परिवहन विभाग द्वारा सदस्यों को बाँटी गयी पुस्तिका में से निकाल दिया गया है। माननीय सदस्य ने इन आरोपों के आधार पर परिवहन मन्त्री, परिवहन सचिव तथा परिवहन आयुक्त

[श्री अध्यक्ष]

के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। उनका कहना है कि उक्त तीनों अधिकारियों ने एक षडयन्त्र करके इस सदन के माननीय सदस्यों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गुमराह किया है।

माननीय सदस्य ने इसमें ऐसे कोई तथ्य नहीं दिए हैं। लेकिन मैं इससे पूर्व कि अपना कोई निर्णय दूं मैं माननीय तोमर से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वह बहुत संक्षिप्त में अपनी बात बतलायें कि किस प्रकार वे समझते हैं कि इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है उसके बाद ही अगर कोई अन्य सदस्य संक्षिप्त में कहना चाहेंगे तो कह सकेंगे। उसके बाद फिर मैं अपना निर्णय दूंगा।

*श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, यह बजट पर चर्चा चल रही है इसमें हमें पुस्तिकाएं वितरित हुईं ताकि हमें शासन की नीति और कार्यक्रम की सूचना मिल जाय। उसके अन्तर्गत परिवहन विभाग ने एक पुस्तिका प्रसारित की। यह पुस्तिका मान्यवर, 4 जून, 1977 को प्रकाशित की गयी 15 सौ इसकी प्रतियां छपी हैं कुछ यहां आयीं कुछ दूसरी जगह गई होंगी। इस पुस्तिका में हम लोगों को यह सूचना दी गयी थी कि विभाग के क्या-क्या कार्यक्रम हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस पुस्तिका में जो सबसे पहली बात है वह यह है कि जो विषय इस पुस्तिका में सदस्यों को वितरित किए जायं वह स्पष्ट होने चाहिए। मेरा सबसे पहला अभियोग विभाग के प्रति है कि इसमें चिप्पी लगाई गई है जिसके अन्दर लिखा हुआ है कि 'प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम में एक है'। इसका मतलब मान्यवर, कंसिलिएशन आफ फैक्ट्स है। जो मान्यवर, सीआर0पी0सी0 में अपराध है। यहां पर भी परम्परा के अनुसार सदस्यों को गुमराह करने का दोषी है। इस सम्बन्ध में इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि यह विशेषाधिकार का कैसे प्रश्न बनता है। मान्यवर, इससे पूर्व इस सदन के सम्मुख एक प्रश्न उपस्थित हुआ था जिसमें इस सदन के वर्तमान सदस्य, श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री दिघे ने प्रश्न उठाया था। उस समय यह निर्णय दिया था. . .

श्री अध्यक्ष--

यह कौन से पेज में है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

यह पेज 13 है, जो 18 मार्च, 1974 से 9 अगस्त 1975 की है, इसमें अध्यक्ष महोदय की व्यवस्थाएं संकलित की गई हैं। उसके पेज 13 पर यह है, जिसके नम्बर 10 पर लिखा है। इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न श्री पुरुषोत्तम कौशिक और दिघे जी ने उठाया था। निर्णय इस प्रकार दिया हुआ है :--

"सदन को गुमराह करने का षडयन्त्र होने पर ही विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है।"

दूसरा मान्यवर, अवसर इस सदन में आया--जो 17 मार्च, 1969 से 11 मई, 1973 तक के संकलन में नम्बर 30 पर उद्धरण है, जिसमें यह प्रश्न श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने उठाया था और अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था--

"किसी अधिकारी द्वारा शासन को गलत सूचना देने पर उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, किन्तु अध्यक्ष से तुरन्त इंक्वायरी करने की मांग नहीं की जा सकती।"

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि हमारे प्रशासन में दयनीय स्थिति यह है कि जो अफसर हैं वह एक विषय बनाकर लिख देते हैं--60 में बना दिया 1962-63 में काम आया। एक ही सरकार में तो यह चल जाता है। लेकिन नई सरकार बनने के बाद उसमें नई सरकार की नीतियां होनी चाहिए। इससे तो यह मालूम होता है कि देश में प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई नहीं हैं, बल्कि प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं।

एक तथ्य और है जो बहुत ही इन्ट्रेस्टिंग है, इसके खण्ड 5 में लिखा है--"तेज गति से गाड़ी चलाने, अधिभार लादने तथा नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर रोक लगाने हेतु डिफेंस ऐण्ड इण्टरनल सिक्योरिटी आफ इंडियन रूल्स, 1971 के अधीन आदेश जारी कर दिया गया है।" लेकिन मान्यवर, हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की यह नीति कभी नहीं रही है कि इस कानून का कोई सहारा लिया जाय। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारीगण यही जानते हैं कि मन्त्री जी पहले डिप्टी मिनिस्टर रहे हैं, उनकी अब भी वही नीति होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं विभाग की किसी व्यक्ति की नीति को व्यक्त नहीं करना है, बल्कि सरकार की नीति को प्रदर्शित करना है। वह इस सरकार की नीति का परिपालन करते हैं इसमें दिए तथ्य इस सरकार की नीति के परिचायक होने चाहिए। ये किसी मन्त्री या अधिकारी की नीति के विषय में नहीं होने चाहिए। तो श्रीमन्, इसमें कन्सीलमेंट आफ फैक्ट्स है, हमसे तथ्य को छिपाया है, इस तरह से इससे हमारे विशेषाधिकार का हनन होता है। अतः मैं कहूंगा कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, कोई माननीय सदस्य विशषाधिकार का प्रश्न सदन में रखें और विशेषकर सम्मानित सदस्य मोदीनगर, तो उसका समर्थन करने में, मुझे बड़ी खुशी ही होगी। जिस जिज्ञासु भाव से उन्होंने विशेषाधिकार के प्रश्न पर अध्ययन किया है, उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उन्होंने जो रूलिंग्स पढ़ी हैं वह सही हैं और मैं भी उनसे सहमत हूं कि यदि जानबूझकर सदन को गुमराह किया जाय, तो विशेषाधिकार का प्रश्न होता है। लेकिन मैं विद्वान सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो प्रतिवेदन इस वर्ष परिवहन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह पिछले वर्ष की कार्यवाही से सम्बन्धित है। श्रीमन्, जितने भी प्रतिवेदन इस वर्ष इस सदन में सौभाग्य से या दुर्भाग्य से पेश होंगे वे 1976-77 वर्ष के लिए होंगे और उसमें दुर्भाग्य या सौभाग्य से यहां पर कांग्रेस का शासन था और प्रधान मन्त्री श्रीमती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इन्दिरा गांधी थीं और उस समय 20-सूत्री कार्यक्रम संचालित थे। उससे माननीय सदस्य सहमत हों या न हों, लेकिन वह उसमें होगा ही।

मैं तो विद्वान् सदस्य से यह कहूंगा कि अगर इसमें पिछले वर्ष के कार्यक्रम का उल्लेख न हो तो जानबूझ कर सदन को गुमराह करना होगा। अगर पिछले वर्ष के कार्यक्रमों में 20-सूत्री कार्यक्रम न होता तो सदन को गुमराह किया जाना होता। उसके अनुसार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में परमिट दिए गए, राष्ट्रीय परमिट दिए गए तथा अन्य तमाम काम हुए। इससे कोई सहमत हो या न हो पिछले वर्ष की रिपोर्ट देनी होगी। तो इसलिए कि पिछले वर्ष माननीया इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री थीं, अगर उनका उल्लेख आ गया तो माननीय विद्वान् सदस्य से आग्रह करूंगा कि माननीया इन्दिरा गांधी जी का नाम कहीं आ जाय तो मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि उनके जैसे गम्भीर और समाजवादी विचार के व्यक्ति इन्दिरा जी का नाम आ जाने से चौकें नहीं क्योंकि इन्दिरा जी का नाम इतिहास का अंग है। अब वह प्रधान मन्त्री नहीं है, यह सही है। अगर आज यह लिख दिया जाय कि वह प्रधान मन्त्री हैं तो यह तथ्य से परे होगा। लेकिन यह बात सही है, मैं उनकी एक बात से सहमत हूं कि जो रिपोर्ट आ रही हैं उनको ठीक से तैयार नहीं किया जा रहा है। पिछली सरकार के लिए भी न्याय नहीं हुआ है। 1976–77 में जो काम हुआ है उसका ठीक से विवरण आ जाय यह नहीं हो रहा है।

मोदीनगर के विद्वान सदस्य का कहना सही है कि नई नीतियों का विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट के दो हिस्से होने चाहिए, एक तो 1976–77 के तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट होनी चाहिए, जो पिछले वर्ष में काम हुआ है, उसका विवरण होना चाहिए क्योंकि नए सदस्य आए हैं, जिनको पूरी जानकारी भी योजना की नहीं है, मैं भी नया होता तो मेरी भी जानकारी नहीं होती, यह उनका दोष नहीं है और भविष्य के लिए भी निर्देश होना चाहिए। पिछले साल की क्या योजना थी उसमें क्या-क्या किया गया और आगे क्या करना है, वर्तमान शासन की क्या नीति है, रिपोर्ट में यह अवश्य होना चाहिए। लेकिन इसमें गुमराह करने की बात नहीं है। विभागीय नीति यहां साफ नहीं है। यह रिपोर्ट बनाते समय मन्त्रियों ने या तो ध्यान नहीं दिया है या प्रकाशन जल्दी में हुआ है। इस बात का दोष है। लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। नीति का निर्देश न करने से सरकार की असफलता का प्रश्न होता है विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होता। मैं विद्वान् सदस्य से आग्रह करूंगा, जहां तक यह प्रश्न है कि विशेषाधिकार की अवहेलना इस सदन के सदस्यों की न हो मैं उनसे किसी मानी में कम सहमत नहीं हूं। जहां तक पिछले वर्ष के तथ्यों को दिया गया है, वह मेरे से सहमत होंगे पुनर्विचार के बाद कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं माना जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राधेश्याम शर्मा से) बहुत संक्षेप में कहिएगा और पुनरावृत्ति न कीजिएगा क्योंकि आप अधिष्ठाता मन्डल में हैं, आप जानते हैं। बहुत संक्षेप में मेरी सहायता के लिए कहिए।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

बहुत संक्षेप में कहूंगा। माननीय सोहनवीर सिंह तोमर ने जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है नियमों में बिल्कुल साफ है, बार-बार पढ़ लीजिए, न किसी माननीय मन्त्री ने सदन के सामने कोई ऐसी बात कही जो सदन को गुमराह करने वाली हो, न उन्होंने सदन में बयान देने के बाद बाहर कोई दूसरा बयान दिया है जिससे जनता गुमराह होती हो, न जनता में कोई बयान दे कर सदन में कोई तीसरा बयान दिया जिससे सदन गुमराह होता हो। विशेषाधिकार का प्रश्न कतई नहीं उठता है, न उठना चाहिए। मैं तिवारी जी से इस बात में सहमत हूं कि जो पुस्तक छपी है, पुरानी सरकार के कार्यकलाप उसमें हैं। कल जो पुस्तक बटी उसमें भी थे। जहाँ तक चिप्पी लगाने का सवाल है, यह विभागीय अधिकारियों की लापरवाही है। उनको चिप्पी लगाने की जरूरत नहीं है। पुरानी सरकार के कार्यकलापों का प्रतिवेदन कर अगर नयी नीतियों का निर्देशन करें तो मामला साफ होता है। इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न कतई नहीं उठ सकता है, न माननीय सदस्य को सदन का समय बरबाद करने के लिए उठाना चाहिए। इसलिए विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, श्री राधेश्याम शर्मा जी के कहने के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। राधेश्याम जी ने नियमों का हवाला दे कर साफ-साफ कह दिया कि न सदन की प्रापर्टी है, जो प्रतिवेदन बटा है, ज्यादा अच्छा यह होगा कि माननीय सदस्य, मोदीनगर इस प्रश्न को अपने दल की बैठक में उठायें बमुकाबले इसके कि सदन के सामने आए। कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता।

*परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)--

मान्यवर, यह जो प्रतिवेदन पेश किया गया था वह 1976-77 के बारे में था। तो जो कुछ विवरण उसमें है वह पिछले वर्ष का है, इस साल का नहीं है। जो पुस्तिका प्रिन्ट हुई है वह उसी जमाने की है, इस जमाने की नहीं है। जो 1977-78 के मुतालिक होगी वह अब आगे छपेगी और इस सरकार की नीतियों के मुतालिक होगी जो पहले छप चुकी है वह पिछली सरकार की नीतियों के मुतालिक है।

श्री अध्यक्ष--

यह रिपोर्ट पिछले साल की है, इस साल की नहीं है। पहले इस प्रकार की रूलिंग है कि सदन को जान बूझकर भ्रमित करने पर विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है, लेकिन उसमें षडयन्त्र हो या जानबूझकर किया गया हो। सन् 1958 में इसी तरह का प्रश्न राजनारायण जी ने उठाया था, उस समय उपाध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि सदन में जो बातें कही जाती हैं जब तक जानबूझकर गुमराह करने का इरादा न हो, वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है। इसी तरह 19 अप्रैल, 1972 को श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने एक गृह उप मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न उठाया था कि सदन में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

गृह उपमन्त्री ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि श्री बालक राम तहसील के कर्मचारी नहीं हैं। बाद में श्री अध्यक्ष द्वारा गृह उप मन्त्री को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना भेजने पर गृह उप मन्त्री ने स्वीकार किया कि श्री बालक राम लेखपाल हैं और इस प्रकार गृह उप मन्त्री ने जानबूझकर गलत बयानी करके सदन को गुमराह किया है। श्री कल्पनाथ सिंह और मुख्य मन्त्री को सुनने के उपरान्त श्री उपाध्यक्ष ने निर्णय देते हुए कहा—यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न नहीं बनता है। तो अब चूंकि माननीय परिवहन मन्त्री ने यह जो व्यक्त किया. वह सदन को गुमराह करने का उनका इरादा नहीं है। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जो श्री तोमर ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वह बनता नहीं है इसलिए मैं इसे अस्वीकृत करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश ने अलीगढ़ जनपद में स्थिति अतरौली नगरपालिका में लगभग 65 लाख का गबन और सरकार द्वारा कार्यवाही न किए जाने के कारण जनता में असन्तोष के बारे में दिया है।

मैंने इसको अस्वीकार किया है क्योंकि बजट पर पर्याप्त अवसर है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि माननीय राकेश जी से स्वयं बात करें और इस तरह के जो प्रस्ताव हैं इसको आप स्वयं देखें।

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण)

श्री अध्यक्ष—

अब 1977-78 के आय-व्ययक पर चर्चा होगी।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री राम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,86,15,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, इस विभाग के अन्तर्गत समाज का लगभग प्रत्येक व्यक्ति इससे सम्बन्धित है। यह विभाग 2 भागों में कार्य करता है—हरिजन कल्याण और समाज कल्याण। मैं इस समय अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य इस विभाग के बारे में कोई न कोई बातें कहना चाहेंगे। क्योंकि बहुत चर्चा का विषय हरिजन समाज इस समय और बहुत पहले से रहा है, इसलिए मैं बहुत अधिक समय इस समय नहीं लूंगा। जिस समय उत्तर दूंगा, उस वक्त सभी प्रश्नों को जो यहां उठाए जायेंगे और विभागीय अनुदान के विषय में जो भी बात इस समय कही जाएगी, उसका उत्तर उस समय दूंगा। इस समय बहुत सूक्ष्म रूप से हरिजन समाज कल्याण के विषय में कुछ चर्चा करूंगा।

मान्यवर, इस विभाग से सम्बन्धित जो योजनायें चल रही हैं उनके अन्तर्गत मुख्य रूप से 3 व्यवस्थायें की जाती हैं। एक तो शिक्षा से सम्बन्धित है। जिसमें पूर्व दशम कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध विभाग की ओर से किया जाता है और दशमोत्तर कक्षाओं को छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। विभाग दसवीं कक्षा के पहले छात्रवृत्ति देता है तथा निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त छात्रों को विभिन्न कक्षाओं में छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है लेकिन सभी छात्रों को इन कक्षाओं में हम छात्रवृत्ति नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार से दसवीं कक्षा के बाद क्योंकि मान्यता यह है कि दसवीं कक्षा के बाद किसी भी छात्र को अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। इसलिए हम सभी को दसवीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति देते हैं।

छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा की दो योजनायें तो विभाग चलाता ही है और छात्रावासों की व्यवस्था जो हमारे कालेजेज हैं और उन कालेजों से तथा स्वेच्छिक संस्थायें करती हैं यदि उन हरिजन छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था अन्य छात्रावासों में की जाए तो सम्भवत: उन्हें दिक्कत इसलिए पैदा होगी कि वह दूसरे छात्रों के मुकाबले उतने पैसे खर्च नहीं कर पायेंगे। इसलिए इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि इनके लिए छात्रावासों का प्रबंध किया जाए। अत: शासन द्वारा स्वयं अलग से छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है।

हरिजन बस्ती में प्राइमरी शिक्षा से सम्बन्धित पाठशालायें स्वेच्छिक संस्थायें चलाती हैं। इन संस्थाओं को हम दो प्रकार के अनुदान देते हैं। कुछ को आवर्तक और कुछ को आवर्तक रूप में देते हैं। तो जो पाठशालायें हरिजन बस्तियों में चलती हैं, उनका प्रबन्ध स्वेच्छिक संस्थाओं के जरिए से होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हरिजन बस्तियों में कभी-कभी पाठशालाओं की कमी होती है और जहाँ से बच्चे दूर पाठशालाओं में नहीं जा सकते अत: उन्हीं बस्तियों में पाठशालाओं की व्यवस्था की जाती है।

तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत तीन तकनीकी संस्थायें हमारे यहाँ हैं जिनको लगभग आई0 टी0 आई0 के बराबर दर्जा मिला हुआ है। उनमें हरिजन छात्रों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए प्रबन्ध किया जाता है और उनमें तकनीकी शिक्षा देने के बाद हम इस बात का प्रबन्ध करते हैं कि उनको रोजगार भी मिले। इसी प्रकार पालीटेक्नीक शिक्षा के लिए लखनऊ में ही हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा एक पालीटेक्निक संस्था स्थापित की गई है जहाँ हम हरिजन छात्रों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से शिक्षा से सम्बन्धित मुख्य रूप से जो योजनायें थीं उनके बारे में मैंने जिक्र किया। एक पुस्तकालय एवं वाचनालय का प्रबन्ध हम हरिजन बस्तियों में स्थापित करने की व्यवस्था करते हैं और उनका प्रबन्ध स्वेच्छिक संस्थायें करती हैं।

तीसरी योजना जो हम चला रहे हैं वह हरिजनों के आर्थिक उत्थान से सम्बन्धित है। आर्थिक उत्थान की जो योजनायें हैं सन् 1975-76 से पूर्व विभाग के द्वारा संचालित होती थीं तो पिछली सरकार ने किन्हीं कारणों से यह अहसास किया कि इन योजनाओं के संचालन में कुछ कठिनाई है और उनसे हम पूर्ण उद्देश्य नहीं प्राप्त कर

[श्री राम सिंह]

सकते तो शायद निगमों के द्वारा हम इन योजनाओ को संचालित करें तो शायद उद्देश्य पूर्ण होगी और इन योजनाओं का सही ढंग से परिचालन हो सकेगा। इस प्रकार आर्थिक उत्थान हेतु इन योजनाओं का संचालन करने के लिए विभाग की तरफ के 3 कारपोरेशन्स इस समय हैं। एक तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आर्थिक उत्थान से सम्बन्धित हैं। दूसरे निगम को जो हमारा निर्बल वर्ग है उसके लिए गृह निर्माण और छात्रावासों के निर्माण का कार्य सुपुर्द किया गया है। वह ही इसका संचालन करता है और तीसरा निगम जो है वह जन जाति से सम्बन्धित है। तराई क्षेत्रों के लिए जितनी भी उनके उत्थान से सम्बन्धित योजनायें हैं, उनका संचालन करता है। तो इस प्रकार से आर्थिक उत्थान की जो योजनायें हैं, वे इन निगमों द्वारा संचालित की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त जो आवास से सम्बन्धित समस्यायें हैं, वे आवास निगम द्वारा हो रही हैं। तो इस प्रकार से हरिजन कल्याण की जो हमारी योजनायें हैं, उनका बहुत संक्षेप रूप में मैंने सदन में विवरण दिया है।

जहाँ तक समाज कल्याण का सम्बन्ध है उसके बारे में हमारी जो योजनायें हैं, उनके अन्तर्गत समाज के सभी वर्ग आते हैं। उसमें 2-3 तरह की योजनायें हैं जैसे महिला कल्याण से सम्बन्धित है। कई तरह की ऐसी संस्थायें चलती हैं। कुछ संस्थायें तो ऐसी हैं कि जो अन्डर ट्रायल के केसेज होते हैं, जो अनैतिक व्यापार से सम्बन्धित महिलायें हैं, उनको कुछ संस्थाओं में रखा जाता है, कुछ संस्थायें ऐसी हैं जिनमें अदालत के आदेश होने के बाद महिलाओं को रखा जाता है और जिस अवधि के लिए उनको सजा दी जाती है, अदालत के आदेश के उपरान्त, उनको वहाँ पर रखा जाता है। कुछ समाज के उपेक्षित और कमजोर वर्ग की महिलायें जो होती हैं, उनको उसमें रखा जाता है। इसी प्रकार से बाल कल्याण से सम्बन्धित भी हमारी योजनायें हैं। इस स्कीम के तहत हमारे जो कमजोर और उपेक्षित वर्ग और अन्य प्रकार के निर्बल वर्ग के जो हमारे बालक हैं, या एक तरह से मानसिक रूप से या किसी रूप से विकृत है, उनको इन संस्थाओं में रखने और उनके पालन पोषण, उनकी शिक्षा, भोजन और कपड़े आदि की व्यवस्था की जाती है। ये संस्थायें ही उनका पालन-पोषण करती हैं।

इसी प्रकार से जो अपंग और अशक्त प्रकार के समाज के लोग हैं, उनके बारे में भी जैसे ब्लाइन्ड को और मूक और बधिरों की शिक्षा चलती है। जो अशक्त और अपंग लोगों की संस्थायें हैं, ये भी समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होती हैं। तो मेरे विभाग से सम्बन्धित जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, उनका मैंने जिक्र किया है। इस समय मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत से माननीय सदस्यों को इस विभाग से सम्बन्धित या जो इस विभाग में कमियाँ हैं, उन पर अपने अपने विचार प्रकट करने हैं।

(इस समय 1 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

अब मैं इस बात की अपेक्षा करूंगा कि माननीय सदस्य अपने अच्छे-अच्छे सुझाव इस विभाग से सम्बन्धित देने की कृपा करें। मैं इतना आश्वासन देता हूं कि जो

सुझाव, जिन पर हम कुछ कर पायेंगे, उन पर विचार करके अवश्य करने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38––"सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।"

मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने जो भाषण दिया उस से ऐसा लगा कि जनता पार्टी की जो घोषित नीति है, उसके अनुकूल नहीं है बल्कि जैसा उनको सचिव ने बता दिया वैसा ही इन्होंने यहाँ पर कह दिया। जहाँ तक हरिजनों की समस्या का प्रश्न है जब जनता पार्टी शासन में आई लोक सभा में तो सभी सदस्यों ने महात्मा गाँधी की समाधि पर जाकर सब ने शपथ ली। उस महात्मा गाँधी ने जिसने उनका नाम "हरिजन" रखा और अपना पूरा जीवन इनको अर्पण कर दिया और यहाँ तक कि अपना आखरी जीवन भी हरिजनों की बस्ती में ही बिताया। मैं समझता हूं कि जनता पार्टी के लोगों ने इस बात की शपथ ली कि गाँधी जी के इस शब्द को मिटा कर ही रहेंगे। गत विधान सभा के चुनावों में डंडे और गोली की सहायता से हरिजनों को वोट तक नहीं देने दिए गए, तो मैं तो इस सरकार को बिल्कुल एक हरिजन विरोधी सरकार मानता हूं। श्रीमन्, विशेष रूप के यह सरकार उस निर्बल और गरीब हरिजन को दबाकर शासन में आयी है। तो मैं कहता हूं कि अनुसूचित जाति की लाश पर पाँव रखा गया है। रोजमर्रा प्रत्येक जिले के हरिजनों पर जो अत्याचार चल रहे हैं और मैं विशेष रूप से आगरे की बात कहता हूं कि जबरदस्ती लोगों की जमीनें छीन ली गयीं। जो कुछ उनको दी गयी थीं वह भी छीन ली गयीं। उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी गयी। एक बात जरूर महसूस हुई, मन्त्री जी ने नहीं लेकिन हरिजन तथा समाज कल्याण का जो प्रतिवेदन है इसमें एक घोषणा की गयी है।

एक सदस्य––

आगरे के गाँवों के बारे में तो बताइए।

श्री गुलाब सेहरा––

उसमें है "अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सहायता देने सम्बन्धी योजना।" जहाँ एक ओर हरिजनों की स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उन की झोपड़ियों को जलाया जा रहा है और हरिजनों की हत्या कर दी जाय और उनके शरीर काट छांट दिए जायं तो जनता पार्टी की सरकार एक नयी योजना बना रही है कि ऐसे हरिजनों को हम रुपया पैसा देंगे, मदद देंगे। तो मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग जनता पार्टी की नीति बनाने वाले हैं वह इस भुलावे में न रहें, हरिजन मुआवजे पर बिक नहीं सकता। आप उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करें, उनके घरों को जलाएं, जमीनों को छीन लें और उसमें फिर मुआवजे का प्राविधान दे दिया गया है यह कहाँ तक शोभाजनक है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा]

मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो निर्बल वर्ग हैं, गरीब है वह आज असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है। मैं साफगोई के साथ कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गुलाब सेहरा, यह जो आप भावनात्मक बात कह रहे हैं कि स्त्रियों के साथ बलात्कार अगर आपके पास प्रदेश भर में कोई स्पष्ट ऐसी घटना हो तो जरूर उसका जिक्र करें। भावनात्मक .....

श्री गुलाब सेहरा—

कटरा सहारनपुर है और अभी यहाँ फतेहपुर गाँव प्रतापपुर के सम्बन्ध में प्रशासन का सवाल आया है, बलात्कार का केस आया है। तो यह मुआवजे की स्थिति..

एक सदस्य—

स्पष्ट घटना बता दें। आगरे का नाम बताइए।

श्री अधिष्ठाता—

आप सदन में व्यवधान न करें, माननीय सदस्य शान्ति से चलने दें।

(कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

आप इस तरह मत चिल्लाइए। आप बैठिए। माननीय सदस्य का भाषण सुनिए।

श्री गुलाब सेहरा—

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है।

श्री राम सिंह—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य अपने भाषण में जो बात कहेंगे सम्भवतः मुझसे उसके उत्तर की अपेक्षा भी करेंगे। तो जो घटनायें आप बता रहे हैं, विस्तार से उन जगहों का नाम वगैरह भी बता दें तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने उनको टोंक दिया वह कहेंगे। नहीं कहते तो समझिए कि उसका उनके पास कोई प्रमाण नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा—

बात यह है कि जो सत्य होता है वह कटु लगता है। लेकिन मैं कह रहा था कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। मैं आपको कुछ आँकड़े बताता हूं। 1973-74 में प्रदेश भर में अनुसूचित जाति के 15 जिलाधीश, 12 पुलिस अधीक्षक और 4 ए0डी0एम0 (ई0) और इस सरकार के जमाने में .....

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या वह निलम्बित कर दिए गए ?

श्री गुलाब सेहरा—

जिले के चार्ज से हटा दिए गए, यानी आधे कर दिए गए, 7, 6 और 2। इसी तरह अधिकारियों में भी सुरक्षा की भावना इस वक्त नहीं रही है। एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि हरिजन अधिकारियों को बगैर बात के निलम्बित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अभी हाल में एक हरिजन जिलाधीश को बरेली में आपात्काल की स्थिति के सम्बन्ध में निलम्बित कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि वह हरिजन थे। लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने सुल्तानपुर और मुजफ्फर-नगर में गोली चलवायी कोई कार्यवाही इस जनता सरकार ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह अधिकारी मुख्य मन्त्री की जाति के थे। इसके अलावा आरक्षण का जो कोटा 1950 में तय हुआ जनसंख्या के आधार पर वह ठीक था—18 परसेन्ट। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह 19 परसेन्ट, तृतीय में 20 परसेन्ट और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वह कोटा 25 परसेन्ट हो गया। लेकिन मै 25 परसेंट की बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह कहता हूं कि 18 परसेन्ट जो आरक्षण नौकरियों में था उसका मन्त्री जी ने कोई जिक्र नहीं किया। आज जो हरिजनों की नौकरियों में स्थिति है वह यह है कि क्लास –1 में ढाई परसेंट, क्लास–2 में 4 परसेन्ट, क्लास–3 में 10 परसेन्ट और क्लास–4 में जिसमें स्वीपर्स इन्क्लूडेड हैं 10 परसेन्ट।

श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)—

स्वीपर्स एक्सक्लूडेड।

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं। स्वीपर्स इन्क्लूडेड हैं। जो स्थिति है कथनी और करनी की। अभी हाल में सेल्स टैक्स विभाग के 150 हेड क्लर्क्स की तरक्की ए0एस0 टी0 ओ0 के पद पर की गयी। आप ताज्जुब करेंगे कि उनमें से केवल एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं लिया गया, यानी आरक्षण रखा ही नहीं गया। दूसरे, सर्किल इंस्पेक्टर्स का प्रोमोशन डी0एस0पी0 के पद पर किया गया। 100 में से केवल 2 शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को प्रोमोट किया गया। यह इस सरकार के कामों का जिक्र कर रहे हैं। तीसरी बात कुछ अध्यापकों को, प्रधानाध्यापकों के पद पर प्रोन्नति की गयी, उसमें आरक्षण ही नहीं रखा गया।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि यह तो इस वक्त के जो काम चल रहें हैं उनको देखने की बात है। कितना हल्ला हो रहा है प्रदेशों में कि हरिजनों के लिए यह किया जा रहा है, वह किया जा रहा है। इस बजट में विशेष रूप से कितना फर्क है उसको मैं बता देना चाहता हूं। हरिजन बजट की बात में श्रीमन्, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। 1975-76 में 19 करोड़ 11 लाख 49 हजार रुपया था। यह इसमें प्लानिंग और नान प्लानिंग का था। 1976-77 में यह 22 करोड़ के करीब हो गया यानी 21 करोड़ 19 लाख 30 हजार रुपया रखा गया जिसमें प्लानिंग का भी और नान-प्लानिंग का भी। अब इस बजट में इन दोनों वर्षों से कम 16 करोड़ 62 लाख यानी 17 करोड़ के करीब रखा है। 1975 में 3 करोड़ कम। 1976-77 से 5 करोड़ कम। तो कथनी और करनी में फर्क देखने की बात है।

[श्री गुलाब सेहरा]

अब हम आर्थिक उत्थान की मीमांशा और विवेचना पर आते हैं। श्रीमन्, इसमें आर्थिक विकास पर प्रस्तावित खर्च—कृषि बागवानी, पर्वतीय क्षेत्र में 1.50 यानी डेढ़ लाख रुपया, मैदानी में 1.60 । कुटीर उद्योग पर, पर्वतीय क्षेत्र में 2, मैदानी में भी दो। इस तरह से मिला कर सब करीब 27 लाख रुपया तो एक है, कृषि पर, 12 लाख रुपया एक है, करीब 40 लाख रुपए के होता है। कल इन्डस्ट्रीज का बजट रखा गया था। उसमें आर्थिक उत्थान के लिए जो हरिजनों को छोड़कर उन जातियों के लिए कितना रुपए का बजट था, 28 करोड़ का यानी 40 लाख रुपए में हरिजनों का उत्थान कृषि क्षेत्र में, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या भवन बनाकर इतना रुपया रखा गया। यह कहते हैं कि हरिजन उत्थान के लिए मन से चाहते हैं। यह इस बात का सबूत है कि कथनी और करनी में फर्क है। जो आप कहते हैं कि विज्ञापन देते हैं, इसमें आर्थिक उत्थान के नाम पर बड़ा जोर दिया गया और रखा गया रुपया कम। अगर दो करोड़ अनुसूचित जाति की आबादी है इस प्रदेश में, उस दो करोड़ लोगों में अगर रुपयों को बांटा जाय तो मैं समझता हूं 20 पैसे पर हेड आएगा। लोगों के उत्पादन की बात कर रहे हैं 20 पैसे पर हेड में लोगों का उत्थान कर लेंगे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं विशेष रूप से श्रीमन्, इसमें बजट में दो चीजें और देखने को मिली हैं, जिसमें इन्होंने कृषि कार्यों के लिए 5 हजार रुपए का प्राविधान रखा है। श्रीमन्, 2 हजार रुपए में आज कल कौन सा मकान बन जाता है। भूमि सुधारने का काम 300 रुपए। इधर शहरों में मकान 3 हजार रुपए। आपको श्रीमन्, मालूम है कि जमीन की कीमत कितनी ऊपर जा चुकी है। तीन हजार रुपए में उद्योग धंधा करने के लिए मकान बनायें, उसके लिए तीन हजार रुपए का प्राविजन किया गया है। यानी इसी तरह से 5 हजार रुपए का पूरा इस्टीमेट है। जिसमें 50 रुपए प्रति महीने परिवार के भरण पोषण के लिए भी है। तो श्रीमन्, क्या माजरा है ? इन सब चीजों को, इस बजट को देखकर, यहां तो बात की जा रही है हरिजनों के उत्थान की, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं।

अब मैं दूसरी बात कहूंगा। अभी हाल ही में श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि इस बजट में लिखा गया है, हरिजन छात्रों के प्रशिक्षण के लिए, सी0 पी0 एम0 टी0 में जो छात्र बैठते हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए 1 लाख 30 हजार रुपए का कोई प्राविधान किया गया है। श्रीमन्, देखिए पिछले साल जो लोग सी0 पी0 एम0 टी0 में आ गए हैं उनका जिक्र कर दिया लेकिन इस साल नहीं किया। श्रीमन्, 140 लोगों के लिए आरक्षण था। इनको सी0 पी0 एम0 टी0 में लेना था। इस प्रशिक्षण के बावजूद भी जून में केवल 20 शैड्यूल कास्ट के लड़कों को लिया गया। जिस पर पूरे प्रदेश के हरिजन विधायकों ने, उन्होंने इसको मूव किया, बहुत प्रेस किया तब कहीं जाकर 2 महीने के बाद रिजल्ट निकलने के 2 महीने के बाद 20 से बढ़ाकर 57 किए गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि लाखों रुपए सी0 पी0 एम0 टी0 के कोचिंग सेंटर पर खर्च होने के बाद 18-20 लड़कों ने क्वालीफाई किया तो यह किस तरह की संस्था है, यहां पर काम ठीक से नहीं हो रहा है यह देखने की चीज है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हरिजनों में सुरक्षा की भावना पैदा हो इसके लिए मैंने पहले कहा था, वह आज भी कहता हूं

कि अगर जिलों में हरिजन अधिकारी, हरिजन जिलाधीश, हरिजन एस0 पी0, अगर भेज दिए जायें तो वहां के हरिजनों में सुरक्षा की भावना पैदा होगी। केवल इस ख्याल से भेजें कि यह एक समस्या है। निर्बल वर्ग और अनुसूचित जाति के व्यक्ति अगर आप के शासन में असुरक्षित महसूस करते रहें तो शायद अच्छी बात नहीं होगी। तो मेरा सजेशन केवल यह है कि हरिजनों में सुरक्षा की भावना बढ़े। इसके लिए जरूरी है कि हरिजन अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा जिलों में इन्चार्ज बनाने की बात की जानी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले शासन ने दो जी0 ओ0 किए थे कि जिन जिलों में हरिजनों पर अत्याचार होंगे, भूमि आवंटन में गड़बड़ी होगी, या कब्जा देने में गड़बड़ी होगी तो पिछले शासन न एक जी0 ओ0 किया था कि वहां के जिलाधीश की चरित्र पंजिका में इंटरी की जायगी और उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा। लेकिन इस शासन के दौरान किसी भी जिलाधीश के विरुद्ध उसकी चरित्र-पंजिका में नहीं लिखा गया है। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जिन जिलों में हरिजनों के साथ बुरा व्यवहार हो वहां के जिलाधीश की चरित्र-पंजिका में वह चीजें लिखी जानी चाहिए। लेकिन इस शासन में नहीं किया गया है।

मैं दूसरी बात की ओर आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राधाकृष्ण एक कमेटी बनी थी। हरिजनों के आर्थिक उत्थान के लिए उसमें कुछ संस्तुतियां की गयीं थीं। उनका जिक्र मन्त्री जी ने नहीं किया। पहली संस्तुति यह थी कि जितने भी इंडस्ट्रीज के कोटे हैं, या सरकार के द्वारा दी जाने वाली कोटा लाइसेंस, परमिट की सुविधा, शैड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण के द्वारा किया जाना चाहिए। अन्डरटेकिंग या जो निगम हैं, उनमें आज तक आरक्षण पूरा नहीं हो रहा है। इस आरक्षण के लिए भी, आपकी सरकार है, मैं चाहूंगा गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग में भी कुछ न कुछ परसेन्ट आरक्षण का हो। राधाकृष्ण कमेटी की जो संस्तुतियां हैं उनका कार्यान्वियन किया जाना चाहिए। मान्यवर, दूसरी बात रिजर्वेशन प्रोमोशन में तय हुआ था पिछले शासन में लेकिन यह शासन उसको पूरा नहीं कर रहा है। इस ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो पिछले शासन ने रिजर्वेशन रखा था उसको कार्यान्वित करने के लिए कुछ न कुछ करें।

मान्यवर, जिले में हरिजन समाज कल्याण अधिकारी होते हैं। वह पोस्ट ऐसी है जिसका प्रोमोशन नहीं होता है। वह 15-20 साल उसी पद पर बना रहता है। जब ए0 डी0 ओ0 से बी0 डी0 ओ0 की पदोन्नति हो सकती है और बी0 डी0 ओ0 से ए0डी0एम0 और ए0 डी0एम0 से डिप्टी सेक्रेटरी तक हो सकते हैं तो जिला हरिजन कल्याण अधिकारी ने क्या बुरा काम किया है कि उसका प्रामोशन न हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे लगे हुए अधिकारियों को प्रोत्साहन मिल सके।

मान्यवर, पूरे बजट में जो हरिजन विभाग द्वारा स्कूल और लाइब्रेरी चलाई जाती है उनमें वेतन-मान बहुत कम है। लाइब्रेरियन का वेतन-मान 22 रुपया है। उसमें 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम कौन खोल सकेगा? जो हरिजन अध्यापक और अध्यापिकायें हैं उनके वेतन-मान शिक्षा विभाग में काम करने वाले अध्यापकों से कम हैं इसकी तरफ मन्त्री जी ध्यान दें।

[श्री गुलाब सेहरा]

मान्यवर, इसमें कोई विशेष घोषणा नहीं की गयी है। इस विभाग में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण पूरा होता रहे इसके लिए पिछले शासन ने एक शैड्यूल कास्ट कमिश्नर को नियुक्ति किया और उसको अधिकार दिया था। मुझे मालूम है कि वह कमिश्नर इसलिए नियुक्ति किया गया था कि प्रत्येक विभाग में आरक्षण पूरा हो रहा है कि नहीं और अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों को चोट कोई न पहुंचे, इस काम को देखने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें देखा जाय।

मान्यवर, जो प्रतिवेदन है इसमें सरकार की कोई उल्लेखनीय नीति नहीं है। मैं चाहता था कि इस आय-व्ययक में पुरानी चीजों को समाप्त करके कोई नई चीज होगी, समग्र क्रांति की कोई बात होगी लेकिन वह नहीं है। मान्यवर, जो पंचवर्षीय योजना है उसका जितना खर्च है, पंचवर्षीय योजना में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो रुपया खर्च किया गया वह इतना कम है कि उसका है केवल .92 जितना प्लान है उस प्लान में से हरिजन समुदाय को जो एलाट है वह .92 है एक परसेन्ट भी नहीं। इसमें कोई नीति नाम की चीज अपने भाषण में मन्त्री जी ने नहीं कहा। इसलिए मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उसमें मैं निवेदन करूंगा कि जो हरिजन उत्थान की बात करने वाले लोग हैं। उन्होंने अपने इस बजट में समग्र क्रान्ति की कोई बात नहीं रखी है। मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शम्भू नाथ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय गुलाब सेहरा जी को इस ओर संकेत देना चाहता हूं कि आपके दल के लोग जो हरिजनों के लिए इतना ढिंढोरा पीटते हैं एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। घड़ियाली आंसू बहाने वाली जो मनोवृत्ति है वह इससे साफ नजर आ रही है। अगर उनके मन में वेदना होती तो नेता विरोधी दल और दूसरे लोग यहां होते।

श्री गुलाब सेहरा--

आपके भी तो एक ही मंत्री बैठे हैं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

मैं व्यवस्था चाहता हूं। आज हरिजन विभाग का बजट है। कटौती के प्रस्ताव पर जो बात हो रही है उनको मुख्य मन्त्री जी सुनते और अमल करवाते लेकिन वह उपस्थित नहीं हैं। 1 से 3 बजे तक लंच टाइम होता है इसलिए इधर के सदस्य चले गए हैं। मुख्य मन्त्री जी को सदन में होना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। माननीय हरिजन कल्याण मन्त्री उपस्थित हैं। इस तरह के प्रश्न उठाकर सदन का समय नष्ट न करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शम्भू नाथ—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह हरिजन विभाग ऊपर से नीचे तक निर्जीव है। मैं आलोचना की दृष्टि को नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह असलियत है। मन्त्री और उनके नीचे की डायरेक्टोरेट केवल पोस्ट आफिस है कि चिट्ठियों को इधर-उधर भेजना और थोड़ा बहुत रुपया जो इनको मिलता है उसको वितरित कर देना। एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसी सदन के द्वारा एक समिति हरिजन कल्याण समिति बनायी गयी थी। एक राष्ट्रीय एकीकरण समिति बनी थी जिसने यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक विभाग से हरिजन और अनुसूचित जातियों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जानकारी राष्ट्रीय एकीकरण विभाग को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। हर विभाग में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी आगे भरेंगी या कितनी कैरी फारवर्ड होंगी यह सारी सूचना 31 दिसम्बर तक आ जानी चाहिए और कांसोलीडेटेड वे में नेशनल इन्टीगरेशन कमेटी के पास पहुंच जानी चाहिए। इसमें दि दैन चीफ सेक्रेट्री महमूद बट, भटनागर, मि0 धूसिया, मुख्य मन्त्री के सचिव टी0 एन0 धर जैसे पदाधिकारी हैं। लेकिन बार-बार सचेत करने पर भी पूरी सूचना नहीं आयी। बड़े खेद के साथ इसमें कहा गया है कि कुछ विभागों ने सूची दी है औरों से अभी बाकी है। यह जाहिर करता है कि शासन के द्वारा यह 1976-77 की रिपोर्ट . . . सेहरा जी हंसिये नहीं। हो सकता है कि यह भी पुनरावृत्ति हो। उसमें कोई डिफरेन्सीएट नहीं करना चाहता हूं। जो बात सही है सही कहना चाहता हूं। . . . . . आज तक क्यों नहीं की गयी? आज हमारे हरिजन कल्याण मन्त्री बैठे हुए हैं। मैं इनसे आश्वासन चाहूंगा कि क्या इस सदन को आश्वास्त करेंगे कि इस समिति की रिपोर्ट जो लाजिमी देनी है इन्टीग्रेशन कमेटी को महीने दो महीने में उनके पास आ जाएगी ताकि हम लोग जान सके कि किस ग्रेड में कितनी सीटें बाकी हैं। कहां पर धांधली हो रही है। मैं समझता हूं कि हरिजन विभाग निर्जीव बना हुआ है जैसा हमारे साथी ने कहा। मैं मानता हूं शेड्यूल कास्ट कमिश्नर को इस प्रदेश में कोई पावर नहीं है। कहीं पर एट्रोसीटिज हैं तो कहने की पावर नहीं है। इसी तरीके से हमारे और भी हरिजन कल्याण अधिकारी बैठे हैं जो चयन समिति में बनायें गये हैं लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती।

छुवाछूत का प्रश्न है। सेन्ट्रल ऐक्ट प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स में साफ तौर पर है कि हर जिले में सेल बनने चाहिए और साथ ही लोक सभाओं में प्रति वर्ष कहां-कहां एकसेसेज एट्रोसीटिज हुई है। कहाँ सेनसिटिव एरियाज है जहा छुआछूत होती है उसकी रिपोर्ट रखी जाय और उस पर माननीय सदस्यों को साल में एक बार भाषण करने का मौका मिलें। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स आपके सामने होगा आप उसको पूरी तरह से कार्यान्वित करने की कोशिश करें। साथ ही एक बात और कही जा रही है एक दो महीने में एक सैल बनाया जायगा जिले में। उसकी क्या रूप रेखा होगी, किस तरह का होगा उसे में कौनसा प्राविधान किया जा रहा है माननीय मन्त्री जी बताएं?

अधिष्ठाता महोदय, यह जो 1976-77 का अनुदान है अगर उसे मन्त्री महोदय सही तरीके से मानते हैं और अपने विभाग का इसके द्वारा उत्थान मानते है तो सरकार की जिम्मेदारी है। उत्थान नहीं मानते तो यह जिम्मेदरी विरोधी दल कांग्रेस की है। मैं यह

[श्री शम्भू नाथ]

जानना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट को आथिन्टीकेटेड मानते हैं ? इसमें यह नहीं कहा है कि पिछली सरकार की रिपोर्ट है, पिछली सरकार ने अपनी स्कीम बनाई थी हमारी यह नई स्कीम है और इसमें. . . . .सारी सर. . .बहरहाल. . . अब आप इसमें देखें सर, पहले पेज में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 210.00 लाख रुपए का परिव्यय रखा गया उसको पुनरीक्षित करके 79.00 लाख कर दिया गया, 72 लाख कम हो गया। इसी तरीके से आप सन् 1976–77 में देखें तो यह कहते हैं कि सारे धन को खर्च कर दिया गया। 249 लाख में से 239 लाख खर्च कर दिया गया। डिसपैरिटी कितनी है। यह कहाँ तक सही है इस पर कहाँ तक विश्वास किया जाय।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री शम्भू नाथ––

दो तीन मिनट चाहिए।

श्री अधिष्ठाता––

एक मिनट में आप समाप्त करें।

श्री शम्भू नाथ––

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि केन्द्र में 750 रुपए इन्कम रखी। पिछली सरकार ने यह रखा था। लेकिन आपने आज भी क्लियर नहीं किया कि आप कब तक इस पर विचार करेंगे। आप कहते हैं कि 750 रुपए प्रतिमास कर देने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है तो यह तो काँग्रेस के जमाने में था, आज आप की क्या नीति है इस पर आप स्पष्ट रूप से जवाब दें।

जहाँ तक छात्रावास के सेपरेट होने की बात है 30 वर्ष इस देश को आजाद हुए हो गया, वही नीति अख्तियार की जाती रही है। अब जितने छात्रावास खोले जायं कम से कम 25 परसेंट दूसरी जाति के छात्र उनमें रखे जायं ताकि इंटिग्रेशन हो सके, अब सेपरेट छात्रावासों की आवश्यकता नहीं है। ·92 प्रतिशत इंटायर बजट का इसमें प्राविधान किया गया है। शैड्यूल्ड कास्ट की जो आबादी है वह 2 करोड़ से अधिक है। प्रति व्यक्ति कितना पड़ता है यह मैं जरूर जानना चाहता हूं।

साथ ही साथ एक बात मैं जानना चाहूंगा। इस विभाग द्वारा पहले जब कुआं आदि बनाने की बात थी तो सुपरवाइजर 10, 5 रुपए खा लेता था लेकिन कुआं बन जाता था। अब कुयें अभियन्त्रण विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं लेकिन सुन कर ताज्जुब होगा कि उनमें पानी तक नहीं निकलता। पहले 1 हजार रुपया देने पर कुआं बन जाता था लेकिन आज 3 हजार देने पर भी पानी नहीं मिल रहा है।

इसी तरह से जहाँ तक कानूनी सहायता की बात है इलाहाबाद में कोचिंग की व्यवस्था की गयी है और 150 रुपया उसके लिए रखा गया है। इस धनराशि को बढ़ाया जाय ताकि उनको कोचिंग की सुविधा अच्छी तरह से मिल सके। इसी तरह से अनुदान के लिए वित्त निगम है। मैं दावे के साथ कहूंगा कि जिले में मेरे एक भी अनुदान इस वित्त निगम से नहीं मिला। हरिजन विभाग श्योरिटी बनने को तैयार नहीं है। बैंक सीधे-सीधे

कहता है कि हरिजन विभाग श्योरिटी ले तो हम पैसा देंगे चाहे उस पैसे की माँग उद्योग के लिए हो अथवा व्यापार के लिए। मेरी पर्शनल जानकारी है कि मेरे जिले जौनपुर में एक भी हरिजन को यह अनुदान नहीं मिला जबकि बीसियों बार स्टेट बैंक को लिखा, पर्शनली जा कर कहा लेकिन उनका कहना है कि हरिजन विभाग श्योरिटी ले तो पैसा दिया जायगा वर्ना नहीं दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का हेवी हार्ट के साथ समर्थन करता हूं।

श्री बनारसी दास चांदना (जिला गाजियाबाद)––

तीन महीने से बोलने का समय नहीं मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता––

जरूर बोलने दिया जायगा। आप शान्ति से बैठें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)––

मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। साथी विधायक सेहरा जी ने अपनी कटौती के प्रस्ताव द्वारा उन सारी नीतियों को साफ-साफ माननीय सदन के सामने रखा जिसकी जिम्मेदारी उस दल की है। बड़ी विडम्बना की बात है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बहुत पब्लिसिटी होती है हरिजन कल्याण की लेकिन आप पूरे बजट का परसेंटेज देखें तो आपको हैरानी होगी यह जानकर आखिर यह तमाशा क्या है? 1974–75 में 11.75 करोड़ हरिजन कल्याण विभाग को दिया गया जबकि कुल बजट 218 करोड़ का था यानी वह 1 परसेंट से भी कम था लगभग .9 परसेंट था। उसमें 1975–76 में भी वही प्रथा रही एक परसेंट से नीचे बजट रहा। हमारी सरकार भी उन्हीं के पद चिह्नों पर चलना चाहती है या समझ लीजिए कि एक लकीर की फकीर होकर चलना चाहती है। आज पूरा का पूरा जो बजट है वह लगभग 15 सौ करोड़ का है उसमें से हमारे हरिजन विभाग का बजट आप देखें तो लगभग 15 करोड़ है। श्रीमन्, वह कुल बजट का एक परसेंट है। पूरे हरिजन समाज की जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यों तो 25 प्रतिशत की आबादी है, 25 नहीं तो 21 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही मान लें तो उस हिसाब से भी नहीं दिया गया है इसके अलावा बैकवर्ड क्लास भी इसमें शामिल हैं जो 35 प्रतिशत है तो इस तरह से 35 प्लस 25 को आप जोड़ें तो करीब 60 परसेंट लोग इसमें आते हैं उसके लिए आपने एक परसेंट रखा है उस एक परसेंट को आप 60 प्रतिशत लोगों में खर्च करना चाहते हैं तो इससे कैसे कल्याण होगा? 1951–52 में 39.20 लाख का प्राविधान किया गया था प्रथम वर्षीय योजना में वह तीन करोड़ हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 6 करोड़ हुआ और तृतीय पंचवर्षीय योजना में 11 करोड़, चौथी पंचवर्षीय योजना में 29 करोड़ और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आशा की जाती थी कि एक सौ करोड़ उन पर खर्च होगा लेकिन जहाँ तक अभी तक चार साल बीते हैं वह सिर्फ 50 करोड़ हुआ है। अलबत्ता आप तीर मार लेंगे तो अगले साल तक 60 और 70 करोड़ तक कर देंगे। जो प्रगति चल रही है उसकी स्थिति वैसी है कि लड़का इम्तहान की तैयारी करता है तो 10 साल के पर्चे देख लेता है उसी तरह आपका हो रहा है। सही माने में देखा जाय तो आज उनकी उपेक्षा हो रही है। माननीय मन्त्री जी कैसे यह काम कर पायेंगे मैं नहीं जानता इस समाज के लिए जो बजट रखा जाता है वह .92 यानी एक परसेंट से नीचे हैं। इस तरह

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

से तो मैं समझता हूं कि कल्याण होने वाला नहीं है। यह सरकार इस बजट को उठाकर 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत या 25 प्रतिशत कर देती तो मैं भी समझता कि यह कुछ करेंगे।

मैं कहूंगा इसमें मन्त्री जी आप भी दोषी हैं इस साल जो गलती हुई है उसके लिए मैं शासन से और मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह एक परसेंट के बजट से समाज का मखौल हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन तथ्यों के आधार पर सामूहिक तौर पर एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, एक मांग होनी चाहिए कि इस विभाग को परसेंटेज के हिसाब से बजट दिया जाय। सच तो यह है कि इसके लिए 25 और 30 प्रतिशत के हिसाब के बजट दे दो और उसको हरिजन विभाग को दे दो वैसे तो देना चाहिए 60 प्रतिशत। इस विभाग में अलग-अलग विभागों में जो खर्च होता है उसके बजाय इस विभाग को दे दें। एक सैल बना दिया जाये जैसे डी0 आई0 जी0 सैल बनाया है हरिजन-उत्पीड़न को देखने के लिए। इस तरह के सैल आप बना दें जो हरिजनों के कल्याण की योजनाओं को देखें। भारत सरकार से 28-8-73 को क्वांटिफिकेशन के लिए एक पत्र आया, हरिजनों के बारे में उसमें करीब -करीब 23 विभाग थे उनमें 301 योजनाएं थीं जिनमें एक करोड़ 87 हजार, 52 लाख दो सौ रुपये खर्च होना था जिसकी कि हरिजन विभाग के मातहत करके लागू करने की बात थी लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ।

अब मैं श्रीमन, आपका ध्यान अपने हरिजन विभाग की वर्किंग के बारे में ले जाना चाहूंगा। जो हरिजनों की वर्किंग कन्डीशन है जो उनके वेलफेयर की है वह बिलकुल इम्प्रापर है, ठीक नहीं है। मान्यवर, आप देखेंगे हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राजपत्रित अधिकारियों का एक सेमीनार दिनांक 27 मई, 1976 से 2 जून, 1976 तक हुआ। उस समिति ने सिफारिश की थी—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी सामान्यत: 450 से 950 के वेतनक्रम में कार्य कर रहे हैं, शासन की वेतन असंगति समिति ने निर्णय लिया है कि उन्हें 550 से 1,200 का वेतनमान दिया जाय क्योंकि समिति द्वारा निर्धारित प्राविधानों को वह संवर्ग करता है। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा औपचारिक आदेश तत्काल जारी किए जायं इस वर्ग के लिए पदोन्नति के अवसर नगण्य होने के कारण यह आवश्यक है कि काल-बद्ध वेतन की सुविधा प्रदान की जाय। किन्तु वह भी नहीं हुआ। श्रीमन, सच तो यह है कि ज्यादातर जिले ऐसे हैं जिनमें क्लास टू हरिजन आफिसर नहीं हैं। हरिजन अधिकारियों को जिलों में उचित आदर नहीं मिलता है। रहने के लिए भी उनको डाक बंगले नहीं मिलते हैं चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, उसको हेय-दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वह सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर क्योंकि जिसको पनिश करना हो डायरेक्टर बना दो, जिसको पनिश करना हो उसको हरिजन एवं सोशल वेल्फेयर का सेक्रेटरी बना दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको अपग्रेड किया जाय और हरिजन अधिकारी को साढ़े 5 सौ से 12 सौ का ग्रेड अवश्य ही प्रदान किया जाय। इन्हें ए0डी0 एम0 के स्तर पर लाया जाय, जिससे सीधे इन्हें डी0 एम0 के अन्तर्गत रहने का मौका मिले।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त हो रहा है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

पांच मिनट।

श्री अधिष्ठाता––

नहीं, एक मिनट ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट––

मुझे केवल 5 ही मिनट हुए हैं । तो इसमें रीजनल अफसर भी रखे जायं ।

एक बात और मेरी समझ में नहीं आती है कि ए0डी0ओ0 से बी0डी0ओ और बी0डी0 ओ0 से डी0 पी0ओ0 तथा फिर डिप्टी सेक्रेटरी हो सकता है, तो हरिजन अधिकारी डी0 पी0ओ0 तथा डिप्टी सेक्रेटरी क्यों नहीं हो सकता है ? यह गम्भीरतापूर्वक सोचने की बात है और हरिजन विभाग के अधिकारियों के साथ होने वाले इस अन्याय को रोका जाना चाहिए । सरकार को चाहिए कि उनको शासन स्तर तक पहुंचाएं, जिससे वे नीति को समझें और नीतियां ठीक से कार्यान्वित करें । आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि इस विभाग में अभी तक नियमावली नहीं बनी है । अभी तक मैनुअल तक वहां नहीं है । आरक्षण के सम्बन्ध में विभाग से सम्बन्धित मोटी-मोटी किताबें मिली हैं, लेकिन उसमें सम्बन्धित आवश्यक जी0 ओज0 के बाद भी उनके पालन की बात विस्तार से नहीं है कि जहां पर 20–25 अभ्यर्थियों को लेना होगा उसमें किस तरह से उनका रोस्टर या लिस्ट बनेगी।

श्री अधिष्ठाता––

अब जल्दी करें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

इस विषय में श्री के0 एन0 घुसिया का जी0ओ0 नं0 100–एस-सी/2–बी–316-1964, दिनांक 15 मार्च, 1965 का है । इसका विभागों में कोई पालन नहीं होता है । दूसरा जी0ओ0 श्री पूरन चन्द्र पाण्डेय का संख्या 5404/2-क-7/1/69, दिनांक 20अप्रैल, 1972 का है जोकि सरकारी सेवाओं में हरिजनों का आरक्षण पूरा करने के लिए कारगर ढंग अपनाने के बारे में है, उसमें दिया है कि सम्बन्धित अधिकारी को उसके हरिजन कल्याण सम्बन्धी कार्य के बारे में रिपोर्ट देनी होगी और जो उसे ठीक से नहीं करेगा, उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायगी, उनकी चरित्र पंजिका में । उसमें अधिकारी को यह सार्टीफिकेट देना है––यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी ने सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने एवं तद्विषयक विभिन्न शासनादेशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से दायित्व निभाया है । जब यह प्रमाण-पत्र मिल जाता था तभी वह आगे बढ़ पाता था । इन तमाम जी0ओज0 के बावजूद सर्विसेज में उनका आरक्षण अब तक पूरा नहीं हुआ है । क्लास वन में ढाई परसेंट, क्लास टू में 4 परसेंट, थ्री में 10 परसेंट और क्लास फोर्थ में 13 परसेंट तक ही पहुंच पाया है बड़ी मुश्किल से. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

अब आप बैठें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता––

आप बैठें ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, मेरे समय में से इन्हें दे दीजिए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

इसमें एक बड़ी समस्या है मानीय सदन और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, आए दिन अखबारों में हरिजन उत्पीड़न की तमाम शिकायतें देखने को मिलती हैं। जहां कांग्रेस सरकार में हरौरा और बहेड़ा जैसी शर्मनाक घटनाएं हुयीं,वहीं आज मुझे यह कहने में तनिक हिचक नहीं है कि आज भी जो 12 जुलाई को बाराबंकी में मां की आंखों के सामने हरिजन युवक की हत्या, देवदार तुला गांव (गोरखपुर) की घटना, 17 जुलाई के 'नेशनल हेराल्ड' के अनुसार रामनगर (गोरखपुर) की हरिजन उत्पीड़न की घटना, इलाहाबाद में हरिजन वूमेन-बीटेन टू डेथ की शर्मनाक घटना, 3 अगस्त को बरेली में घटित घटना, 3 अगस्त को प्रतापगढ़ बाबूगंज में घटित शर्मनाक घटना और मेरठ की घटना--ये सारी की सारी घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि हरिजन उत्पीड़न बढ़ रहा है। इसको यदि ठीक से नहीं देखा गया, इनका निदान न हुआ, हरिजनों में सुरक्षा की भावना पैदा नहीं की गयी तो इस सरकार का भी भविष्य वही होगा जो कांग्रेस का हुआ। आवश्यक है कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जायं, उनको तुरन्त सस्पेंड कर दिया जाय। यदि यह सब नहीं हुआ, यह नहीं रुका तो मैं सदन के सामने. . .

श्री अधिष्ठाता--

मैं कह चुका हूं, अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

और उसके बीच में कहता हूं, अपने साथियों का आह्वान करता हूं कि वह आह्वान जिसके लिए जयप्रकाश नारायण जी ने कही है वर्ग संघर्ष की बात। हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला, सामाजिक विषमता जारी रही तो हम लोग सदन के अन्दर और बाहर क्रान्ति का नेतृत्व करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि जो लोग हरिजन उत्पीड़न समाप्त करने की बात नहीं करते हैं या उसमें रोड़ा अटकाते हैं, उनसे कहना है--

गर यह कयामत का समां लिए बैठे हैं,
तो हम भी मर मिटने का अरमां लिए बैठे हैं।
दर्द दिल सोजे-जिगर वाके गरीबां की कसम,
अपनी हर आह में तूफां लिए बैठे हैं।
अगर तड़प उठे तो बदल जाय जमाने का निजाम,
गो लाख हाल हम परेशां लिए बैठे हैं।
काफिले वालों संभलकर न भटक जाना कहीं,
कितने हर गाम पर शैतान लिए बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि समय के नाम पर ज्यादा समय न ले जायं। जो माननीय सदस्य बोलें, मेरी उदारता का नाजायज फायदा न उठाएं।

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हरिजन, समाज कल्याण बजट में धन का प्राविधान इस वर्ष कम कर दिया गया है और इससे जो हरिजनों की भलाई के लिए बहुत से काम बढ़ने चाहिए थे वह आगे बढ़ने वाली बात तो नहीं दिखाई देती, जो पहले से चला आ रहा है, उसमें भी कटौती की आशंका मालूम होती है। मन्त्री जी से मैं कहूंगा कि यह कुछ सुझाव हैं आप कोशिश करें कि किसी तरह से लागू किए जायं। जैसे 6 कक्षा से 10 कक्षा तक हरिजन छात्रों में कुछ ही लोगों को छात्रवृत्ति मिल पाती है। सबको नहीं मिल पाती। मेरा सुझाव यह है कि सभी हरिजन छात्रों को कक्षा 6 से 10 कक्षा तक छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि पिछड़ी जातियों के छात्रों को जो आप छात्रवृत्ति देते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। उनमें माइनारिटी के लोग शामिल हैं। उनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए धन का प्राविधान अलग होना चाहिए। इसमें 60 फी सदी से ऊपर अंक पाने वालों को ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां देते हैं। इसमें मेरा सुझाव यह है कि 50 प्रतिशत अंक कर दे जिससे ज्यादा से ज्यादा पिछड़े और माइनारिटी के छात्र लाभान्वित हो सकें। आपने यह भी तय किया है कि पांच सौ रुपए से अधिक मासिक आय जिस, अभिभावक की होगी उनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जायगी। नतीजा क्या होता है काफी लोग झूठ सही कम आय दिखाते हैं। एक मामला शासन के पहले से विचाराधीन है कि यह आय साढ़े सात सौ रुपए कर दी जाय। इसके कारण बहुत से लोगों को झूठी रिपोर्ट देनी पड़ती है जिससे नैतिक पतन होता है। इसको दूर करने के लिए साढ़े सात सौ पर विचार करें। मेरा सुझाव तो यह है कि एक हजार रुपया मासिक आय की सीमा रखें जिससे यह सुविधा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके।

आश्रम पद्धति के विद्यालय चल रहे हैं। वे लोकप्रिय हैं। वे अनुसूचित जनजातियों के लिए खोले गए हैं। चूंकि वे विद्यालय लोकप्रिय हैं इसलिए जो हरिजन वर्ग के, सबको तो नहीं कह सकता, सबको कर दें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन यदि सबको नहीं तो हरिजनों में जो सफाई, मजदूर, बाल्मीकि हैं उनके लिए शहरों में आश्रम पद्धति के स्कूल खोलने चाहिए। पैसे का तो प्रबन्ध सरकार कर सकती है, पैसा बढ़ा कर इसे आगे बढ़ाइए। आपकी किताब में लिखा है, आपने सफाई मजदूरों के लिए कानपुर में एक आश्रम पद्धति स्कूल खोला। वह फेल हो गया। आप कहते हैं कि बच्चे उसमें पढ़ने नहीं आते। रात में अभिभावक लेकर चले जाते हैं। इसलिए वह स्कूल नहीं चला पा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसकी जांच करावें और आश्रम पद्धति के स्कूल शहरों के निकट चलावें, उनकी व्यवस्था अच्छी हो, तो सफाई मजदूरों का बहुत भला हो सकता है। कानपुर का जो स्कूल है इसको आप बेसिक शिक्षा परिषद् को देने जा रहे हैं। तो पैसा आप देंगे और इन्तजाम वह करेंगे तो इससे घपला नहीं होगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो आश्रम पद्धति स्कूल चल रहे हैं वह हाई स्कूल तक है इनको उन्नति देकर इन्टरमीडिएट तक जरूर करें। पूरब में मुसहरों के लिए आश्रम पद्धति स्कूल खोलने की आवश्यकता है और आप खोलने के लिए प्रबन्ध करें। जो धन आप स्वायत्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सजीवन]

शासी संस्थाओं को देते हैं जैसे लाइब्रेरी आदि के लिए देते हैं तो उस धन का बहुत दुरुपयोग होता है। आप जांच करें। जो अनुदान देते हैं उसमें जो घपला है उसको कैसे रोका जाए, यह आप देखें। उनमें बहुत घपला होता है, यह सभी को मालूम है। प्रबन्धक है वह बहुत गड़बड़ी करता है। हरिजन कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति का जो सवाल है उसमें शासन का जी० ओ० आया, उसमें कहा गया कि जो विभागाध्यक्ष अपने यहां 18 प्रतिशत का कोटा नहीं पूरा करेगा उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाएगी। मैं बता देना चाहता हूं कि इक्के दुक्के हों तो हों लेकिन किसी भी विभागाध्यक्ष की चरित्र पंजिका में इस कारण से प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं की गयी है। आप इन समस्याओं की ओर जागरूक हों, यह कमी चाहे कांग्रेस वालों की हो या आपकी हो।

एक सदस्य—

कांग्रेस वालों की है।

श्री राम सजीवन—

मैं उस पर भी आता हूं। जो स्वायत्त शासी संस्थायें हैं, जो स्कूल कालेज हैं हजारों की तादाद में नौकरियां रिक्त होती हैं लेकिन वहां पर किसी हरिजन को कोई नौकरी नहीं दी जाती है। क्योंकि इनका प्रबन्धक बहुत बेकाबू होता है। इस सम्बन्ध में सरकार को स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास यहां से और केन्द्र से होना चाहिए। हरिजनों पर जो अत्याचार की घटनायें हो रही हैं उनके सम्बन्ध में यह लिखा है कि किसी घटना के होने पर मुआवजा दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन है। मैं चाहता हूं कि हरिजनों पर जो अत्याचार हों तो उनको मुआवजा तुरन्त दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त हो रहा है।

श्री राम सजीवन—

बांदा जिले में हरिजनों का उत्पीड़न बहुत हो रहा है। जनता राज्य जब से आया है तब से हरिजन उत्पीड़न निश्चित रूप से बढ़ा है। पार्टी के विधायकों को सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि पूरे प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाया जाए कि हरिजनों का आक्रोश दूर हो।

श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो लोग सदन में पहले ही बोल चुके हैं, उन्हें आप फिर बोलने दे रहे हैं। जो लोग आज तक नहीं बोले हैं, उन्हें भी समय दें। मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिन लोगों की सूची मेरे पास है, उसी के अनुसार बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री किशन लाल दिलेर (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं हरिजन समाज कल्याण मन्त्री द्वारा पेश किए गए अनुदान का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, हरिजनोत्थान की बातें आज से नहीं बल्कि जब से हम आए हैं, तब से उनकी चर्चा होती रही है, लेकिन

दुख: इस बात का है कि हमारी पूर्व सरकार ने जो पद्धति अपनाई बड़ी ढीली अपनाई थी। आज घड़ियाली आंसू हरिजनों के नाम पर उनकी तरफ से बहाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की नीति अपनाई थी कि हमारे जो अधिकारी हैं वह ढीले हैं, एक सवाल है हमारे जिले में ही नहीं मान्यवर, यह सवाल पूरे प्रदेश का हो सकता है कि किसी भी जिले के हरिजनों के ग्रामीण अंचलों में उत्थान नहीं किया गया है मकान की बात हो, छात्रवृत्ति की बात हो, उनके साथ बराबर घपलेबाजी की गई है। कागजों की खानापूरी की गई है। यह आम चर्चा मान्यवर, आज हरिजनों के बीच में है। अनुसूचित निगम या हरिजन कल्याण विभाग में जो मठाधीश बने हुए हैं, जिन्होंने घपलेबाजी की है, उन अधिकारियों को दूसरे विभागों में भेज दिया जाए जिससे कि समाज कल्याण के काम को कार्य रूप दिया जा सके। मेरी सरकार से अपील है कि ऐसे अधिकारियों को कहीं भी भेज कर उनका रद्दोबदल हो जाना आवश्यक है। मैं नहीं कहता कि उन्हें अलग कर दीजिए। उन्हें किसी दूसरे विभागों में भेज दीजिए।

दूसरी मेरी बात यह है कि इन विभागों में हरिजन या अनुसूचित जाति के लोगों को कोटा निर्धारित किया जाए। इन विभागों में जी शर्मा जी, गुप्ता जी आदि हैं, इनकी जगह इस कोटे के अन्तर्गत इन लोगों को भी अवसर दिया जाए।

हमारी पूर्व सरकार ने हरिजनों का रोना तो बहुत रोया है लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल की 30 वर्ष की अवधि में आज तक उन्होंने मद्दे नजर नहीं किया होगा कि हिन्दुस्तान के या प्रदेश के उस वर्ग को जो कि सारे देश की सफाई करता है। नालियों में जो सफाई करते हैं, सिर पर मैला ढोते हैं। इन पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। यह मेरी शिकायत है मान्यवर, मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी से जब उन्होंने उस दिन बजट पेश किया था कि इस सफाई वर्ग के कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी कम है। जिक्र नहीं आया था उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाये। समाज का यह वर्ग गन्दे से गन्दा काम करता है जिसे समाज का कोई दूसरा वर्ग नहीं कर सकता है। उस वर्ग की तनख्वाह कितनी कम है? उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाये उनके एरियर्स जो महंगाई भत्ते आदि के मिलते हैं, वे 19-19, 20-20 महीने हो जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं जो कि उन्हें समय पर मिल जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। आप इसे स्वायत्त शासन मंत्री जी के पास पहुंचाने की कृपा करें।

इस वर्ग को तनख्वाह कितनी कम दी जा रही है इसका एक उदाहरण मैं जहां का हूं अपने जिले का जहां के एक प्राइमरी स्कूल की एक महिला सफाई कर्मचारी को मात्र एक रुपया मिलता है। ये सफाई करने वाले कर्मचारी की मेहनत का फल है खैर, यह तो टाउन एरिया और नगरपालिका के अधिकार की बात है।

इस प्रकार से मान्यवर, समाज के इस वर्ग की जो उपेक्षा की गई है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि विभाग में जहां कहीं भी उनके साथ द्वेष-भाव वर्ता जाता है, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि ग्रामीण अंचलों में कुटीर उद्योग चलाए जायें जिससे हरिजनों का विकास हो सके, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विभाग द्वारा हरिजनों के उत्थान के लिए हर स्तर पर बराबर मदद की जा रही है। आवश्यकता इस बात की थी कि नीचे और ऊंचे स्तर पर देखा जाय। उनकी शिक्षा की ओर भी हमारी सरकार का ध्यान गया है। हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करना तथा कोचिंग क्लासेज पी0 सी0 एस0 आदि की परीक्षाओं के लिए चलाना आदि ऐसे काम हैं जिनसे इस वर्ग के लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। इसी प्रकार से साक्षात्कार के लिए भी हरिजनों के बच्चों को सुविधा दी जा रही है। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि शिक्षा विभाग का ध्यान हरिजनों के उत्थान की ओर गया है।

जहां तक फैजाबाद जिले के सम्बन्ध में है वहां पर इन सुविधाओं को पूरा-पूरा कार्य रूप में नहीं लिया जा रहा है। वहां पर इस समय एक अवध विश्वविद्यालय है, एक नरेन्द्र देव औद्योगिक विश्वविद्यालय है तथा एक साकेत डिग्री कालेज चल रहा है, लेकिन इन संस्थाओं के होते हुए भी हमारे हरिजन छात्रों की सुविधा की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले वहां पर 8 लाख 2 1/2 हजार रुपया सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था, लेकिन वह धन आज भी ज्यो का त्यों पड़ा हुआ है। वहां पर इतने विश्वविद्यालय हैं, डिग्री-कालेज है लेकिन एक साधारण कोने में छोटे से मकान में एक छात्रावास चलाया जा रहा है जिसमें मुश्किल से 20-22 ल.के प्रवेश ले पाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर जाना चाहिए। इस कार्य को पूरा करने के लिए बराबर वहां के जिलाधीश द्वारा अन्य विभागों को चिट्ठियां भेजी जा रही हैं और यदि श्रीमन्, आप आज्ञा दें तो मैं उन चिट्ठियों के दिनांक तथा जिनको वे भेजी गई, उनका भी उल्लेख सदन में कर दूं। पहली चिट्ठी जिलाधीश ने दिनांक 19 सितम्बर, 1975 को सार्वजनिक निर्माण विभाग फैजाबाद को भेजी। दूसरी चिट्ठी छात्रावास का निर्माण करने हेतु और उस धनराशि को खर्च करने के लिए जो जिलाधीश ने हरिजन एवं कल्याण विभाग के निदेशक को भेजी दिनांक 15 नवम्बर, 1975 की है। तीसरी चिट्ठी जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1975 की है वह हरिजन विभाग के निदेशक, आयुक्त एवं सचिव को सम्बोधित है और चौथी चिट्ठी जिलाधीश ने 23 जून, 1977 को भेजी है और पांचवीं चिट्ठी उन्होंने पुन: हरिजन सहायक निदेशक, उत्तर प्रदेश को भेजी है। 4-5 बार समाज कल्याण विभाग के निदेशक को आदेश दिए गए, लेकिन फिर भी वह धन खर्च नहीं किया जा रहा है, छात्रावास बनवाने में आनाकानी की जा रही है। यह धन ज्यों-का-त्यों पड़ा हुआ है, हालांकि छात्रावास के लिए जमीन भी ले ली गई है रानीपाली में, यह स्थान भी सुरक्षित कर लिया गया है लेकिन छात्रावास नहीं बनाया जा रहा है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगी कि हरिजन बच्चों की क्या कठिनाई है कि वह दूर-दूर से कहीं अपने रिश्तेदारों में, कहीं किराया का मकान लेकर रह रहे हैं।

दूसरी कमी इस विभाग के द्वारा हरिजन छात्रों लिए यह है कि फैजाबाद जिले में एक आर्य कन्या इन्टर कालेज है जहां पर आज भी आठवीं और हाई स्कूल में 300 लड़कियां शिक्षा ले रही हैं। इस विद्यालय में एक छात्रावास है जो 5 वर्ष पूर्व 20 हजार की लागत से तैयार कराया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इसमें भी मुश्किल से 18-20 लड़कियां प्रवेश ले सकती हैं। इस भारी कठिनाई को देखते हुए निवेदन करूंगी कि कम से कम एक लाख की अनुदान इस विद्यालय को दी जाय तो लड़कियों के छात्रावास की समुचित व्यवस्था हो जाती है और इस विद्यालय के माध्यम से यह छात्रावास बहुत ही सुचार रूप से चलाया जा सकता है।

मान्यवर, शिक्षा विभाग की तरफ मैं इस विभाग से सम्बन्धित थोड़े सुझाव देना चाहती हूं। आज हमारे बच्चे बी0टी0 सी0, एल0टी0, बी0 एड0 की ट्रेनिंग लेकर मारे-मारे फिर रहे हैं। हमी लोगों के दरवाजे पर बराबर चक्कर लगाते हैं। मैं एक सुझाव माननीय मन्त्री जी को देना चाहती हूं कि मन्त्रि-मन्डल के सामने यह सुझाव रखा जाय। मेरा सुझाव यह है कि प्राईवेट शिक्षण संस्थाएं जो आज सरकार के द्वारा चलायी जा रही हैं और करोड़ों रुपया जो सरकार उन संस्थाओं पर खर्च कर रही है तो उनमें वही नियम लागू किया जाय जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में है, यानी 18 प्रतिशत नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित किए जायं। यह सुझाव मन्त्रि-मन्डल के सामने अवश्य रखें। इस तरह से शीघ्र ही इस सदन में अगर एक विधेयक इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाय तो अति उत्तम होगा।

मान्यवर, मैं मन्त्री जी का ध्यान विभागीय कठिनाइयों की तरफ लाना चाहती हूं। हमारा यह विभाग चाहता है कि हरिजनों का उत्थान हो, गरीबों का भला हो तो अधिक से अधिक काम लेने के लिए उतनी ही सुविधा भी विभाग को देना आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता ––

अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्रीमती रामरति देवी––

अध्यक्ष महोदय, कृपा होगी, एक ही महिला बोलती हूं।

श्री अधिष्ठाता––

तो बोलिए आप।

श्रीमती रामरित देवी––

तो हमारे जिलाधिकारी हरिजन और समाज कल्याण विभाग तथा हरिजन विभाग दो विभागों का काम जो एक में सम्मिलित है वह कर रहे हैं। आपके माध्यम से कहूंगी कि कितना कठिन काम है। पूरे जिले का भार उनके ऊपर है और हमारी सरकार भी चाहती है कि यह अकेले व्यक्ति पूरे जिले में गरीबों का उत्थान भी करें। उनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई आती है दौरे की। पूरे जिले में दौरे के लिए कोई जीप आदि का साधन नहीं है जबकि हमारी इसी सरकार के विकास खंड में एक जीप है जिनका कार्य-क्षेत्र सीमित भी है। दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी एक-एक जीप की व्यवस्था की गयी है जिनका कार्य-क्षेत्र सीमित है। तो हमारे हरिजन कल्याण अधिकारी पूरे जिले का दौरा करते हैं, उनके लिए आप जब चाहते हैं कि यह इस तरह से काम करें तो यह आवश्यक है कि उनके लिए जीप की व्यवस्था करें।

मान्यवर, इसी विभाग में एक कठिनाई थोड़ी सी गरीब तबके की है कर्मचारियों की। सुपरवाइजर हमारे जो इस विभाग में काम कर रहे हैं ग्रामीण अंचलों

[श्रीमती रामरति देवी]

में वह गांव-गांव में दौड़ते रहते हैं। इतना श्रम करते हैं तब जा कर इन गरीबों को 15-20 रुपया महीना भत्ता मिल पाता है। यह तो अन्याय की बात है। यह भत्ता कम से कम 100 रुपया किया जाय, जबकि कोआपरेटिव विभाग के सुपरवाइजरों को दैनिक भत्ता 100 रुपया मिल रहा है तो हरिजन विभाग की उपेक्षा जो की जा रही है उसका क्या कारण है, जिसके भुक्त भोगी हरिजन सुपरवाइजर हो रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्रीमती रामरति देवी—

धन्यवाद।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, देखा यह गया है कि हरिजनों को जहां कहीं भी रिजर्वेशन की छत्रछाया मिल गयी, चाहे चपरासी का हो, चाहे विधान सभा के सदस्य का हो, चाहे एम0पी0 का हो, जहां कहीं भी रिजर्वेशन की आड़ में कूद-फांद कर स्थान हासिल कर लिया वहां उनका आर्थिक मसला तो हल हो गया। लेकिन अभी तक दिमागों के अन्दर यह बात साफ नहीं हुई है कि जहां जरूरत पड़े गैर-हरिजन लोगों की वहां तो इस्तेमाल के लिए हरिजन का शब्द इस्तेमाल कर लिया जाय और जब जरूरत न हो तो उसको फिर शूद्र ही समझा जाय, हरिजन का नाम वहां नहीं रहता। तीस साल कांग्रेस ने भी यही तरीका अपनाया और अब जनता पार्टी में आकर वही तरीका अब भी जारी है यह जनता पार्टी के दिमाग के छोटा होने का एक सबूत है।

जहां तक ज्यादतियों का सवाल है, वह तो अखबारों में छप रहा है, मैं नहीं कह रहा। श्री जगजीवन राम ने भी चन्डीगढ़ में 11 तारीख को यही कहा था कि 'दि एक्सेसेज आन हरिजन्स हैव इन्क्रीज्ड"। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि कुछ घटी या बराबर है बल्कि स्पष्ट यह कहा कि हरिजनों के ऊपर ज्यादतियां बढ़ी हैं। अब वह ज्यादतियां चाहे कटरा को ले कर हों, चाहे बाराबंकी की हों, बहुत सी मिसालें सदन में बतलायी गयीं, जो हरिजनों के ऊपर पुलिस के जरिए ज्यादतियां हुई हैं। मन्त्री जी ने कहा कि स्पष्ट मिसाल हो। तो अभी 14 तारीख को कटरा के अन्दर किस तरह से थाने में ला कर थानेदार और दूसरे सिपाहियों ने किया वह घटना लिखी हुई है। मेरे यहां एक हरिजन को बुलाकर एक पंडित जी दरोगा थे उन्होंने उसको इतना मारा कि उसके पांव सूज गए। इत्तफाक से मैं वहां मौजूद था। वह रोता चिल्लाता मेरे पास आया। मैं उसे लेकर एस0एस0पी0 साहब के पास गया। मैंने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं है, आप खुद देख लीजिए कि इसका क्या हाल है। आप नहीं सुनेंगे तो जहां तक हो सकेगा मैं आवाज पहुंचाऊंगा। इस तरह की घटनायें लगातार हो रही हैं। इसमें कोई कमी नहीं आ रही है, बढ़ोत्तरी हुई है। माननीय मन्त्री जी जरा ध्यान दें, खासतौर से जनता सरकार। 20 सूत्री कार्य-क्रम के अन्तर्गत सब से ज्यादा जो जोर दिया गया वह इस बात पर कि जिस गांव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में भी कल्टीवेबिल जमीन हो वह हरिजनों में वितरित कर दी जाय। पाटिल कमेटी, माननीय सदस्यों की जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम कमेटी इसीलिए बनी कि जहां-कहीं भी जोतने वाली जमीन हो वह हरिजनों में बांट दी जाय। बांटी भी गयी और अब तक ये झगड़े चल रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान आपकी सरकार के उस आदेश की तरफ दिलाना चाहता हूं जो जिलों में जिलाधिकारियों के पास भेजे गए कि केवल उस जमीन को बांटा जाय यदि उस गांव में 8 प्रतिशत से ज्यादा जमीन हो। नतीजा क्या हुआ ?

श्री ख्याली राम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)—

कांग्रेस सरकार के जमाने का आदेश है ।

श्री रियासत हुसैन—

आपकी सरकार का आदेश है। उसकी तारीख वगैरह पूछ लीजिएगा।

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह कोई माननीय सदस्य न बोलें।

श्री रियासत हुसैन—

जब कल्टीवेबिल जमीन हरिजनों को दी गयी तो यह भी हुआ कि उनसे दो साल तक लगान नहीं लिया जायगा, उनकी फसल को कोई काटेगा नहीं, इसकी जिम्मेदारी भी सरकारी कर्मचारियों पर दी गयी। अब जब से यह नया आदेश हुआ कि 8 फीसदी से ज्यादा जमीन हो तो बांटी जायगी, न हो तो नहीं बांटी जायगी, कहीं-कहीं अदालतों में हाकिम परगना के नाम जिमन 3 और जिमन 4 में नाम इन्दराज कर के इस तरह की बातें की गयीं कि वहां तो जमीन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे ही क्षेत्र से मिला हुआ एक गांव धीमरी है, जिसको माननीय ख्याली राम शास्त्री भी जानते हैं, जहां 100 बीघा जमीन को दूसरी तहसील बिलारी के निवासी के नाम जिमन 3 में दर्ज कर दिया गया और वहां मैं, श्री महीलाल जी, श्री नौबत लाल शर्मा, अध्यक्ष और पटेल कमेटी के सेक्रेटरी आनन्दी भाई, तहसीलदार सब लोग गए। तहसीलदार ने वहां के सारे पटवारी के कागजात देखकर आश्वासन दिया कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर इसको खारिज करवा देंगे। आज डेढ़ साल हो चुका है, परन्तु अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हो पाया।

एक सदस्य—

30 साल तक कांग्रेस सरकार रही, क्या करती रही ?

श्री रियासत हुसैन—

क्या हम उन हरिजन भाइयों को सम्मान देना चाहते हैं या नहीं ?

शिक्षा में आप देखिए जरा। गांव-गांव के स्कूलों में जाकर देखिए। मान्यवर, मैंने देखा है कि स्कूल के अन्दर पढ़ाने वाले अगर ठाकुर महराज हैं, तो उनके पीने के लिए लोटा अलग है। अध्यापक हरिजन के हाथ का पानी नहीं पियेंगे। हरिजन का बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकता है। मान्यवर, आज भी उसका व्यवहार ऐसा है। स्कूल के अन्दर पानी पीने में भी यह भावना है। मान्यवर, आज हम फिर यह सोचने लगे कि चूंकि जनता पार्टी की सरकार में शक्ति आई है, तो श्रीमन्, तमाम उत्तर प्रदेश के हरिजनों के दिल में यह बात आई थी कि इस तरह का भेदभाव दूर हो जायगा। (व्यवधान)

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अभी बैठिए ।

श्री नेम सिंह चौहान--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, तीन बातें मैं कहना चाहता हूं । एक तो गांधी जयन्ती आ रही है, 26 जनवरी आवेगी, 15 अगस्त आ चुका है । इन अवसरों पर आप यह कम्पलसरी कर दीजिए, जिले भर के सारे अधिकारी, पोलिटिकल वर्कर्स, कार्यकर्ताओं का सामूहिक भोजन होगा, जिसको पकाया जायगा हरिजन के द्वारा । (व्यवधान)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

उसका खर्च कौन बर्दाश्त करेगा ?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, देहात के अन्दर जो खाल निकाला जाता है, वह हरिजन को ही निकालना पड़ता है । मान्यवर, यह घोषणा कर दी जाय कि जो खाल निकालेगा, वह खाल उसी हरिजन की होगी । मान्यवर, जो गोरखपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर में हलालखोर मुसलमान कास्ट के स्वीपर हरिजन हैं, उनको आप शैड्यूल्ड-कास्ट की फेहरिस्त में शामिल कीजिए, ताकि जो मुसलमान हरिजन हैं, जो स्वीपर्स है, उनका स्कूलों में दाखिला हो सके ।

श्री शम्भूनाथ--

वह नहीं हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बैठें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यहां पर आपने नामिनेशन्स के लिए मान लिया, तो उनको दूसरी जगह भी हरिजन मान लीजिए ।

श्री नेम सिंह चौहान--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । माननीय रियासत हुसैन भाई जो कह रहे थे वह भावनाओं का खिलवाड़ हो रहा था । व्यवस्था यह है कि वह गलत सूचनाएं दे रहे थे । कहीं भी वह विद्यालय का नाम दें । मैं प्रधानाचार्य हूं, मैं जानता हूं । उत्तर प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के मने दौरे किए हैं । कहीं पर उनके लिए लोटा अलग से नहीं है । अगर कहीं है, तो इसकी सूचना दी जाय । भाषण में इस तरह से भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता––

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठिए। व्यवस्था का प्रश्न उठाकर इस तरह की बात न करें।

*श्री नन्द राम––

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपका जो आपने इस बजट के समर्थन में थोड़ा समय दिया। मैं बता देना चाहता हूं अभी माननीय सदस्य, गुलाब सेहरा जी कह रहे थे, हरिजनों की बातें। अगर ऐसी ही बात होती तो वह कटौती का समर्थन न करते कि एक रुपए का बजट कर दिया जाय। इतने हितैषी हैं हरिजनों के कि जो बजट मिला है उसमें भी आप कह रहे हैं कि काटकर एक रुपया कर दिया जाय। बाहर आप कहते हैं कि हम हरिजनों के बड़े हितैषी हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––

जो आप करवाना चाहते हैं वह ये नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता––

ऊदल जी इस तरह की टोका-टोकी न करें, आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं।

श्री नन्द राम––

मान्यवर, सन् 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब से कांग्रेस की हुकूमत बरकरार रही। 30 वर्षों तक यह कागजी घोड़े दौड़ाते रहे। कांग्रेस की हुकूमत ने केवल कागजी घोड़े दौड़ाए। कोल्हू के बैल की तरह उसकी आंखों पर टोटा बांध दिया। 24 घंटे वह चलता रहा। उसने सोचा कि बहुत दूर आ गया। लेकिन जब टोटा हटाया गया तो उसने देखा कि वह वहीं का वहीं है। यह हाल हरिजनों का है। अधिष्ठाता महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरिजनों को जो पट्टे कांग्रेस सरकार ने दिए, एक पट्टे को दिया और 9 आदमियों की नसबन्दी कर दी। वह पट्टा 9वों आदमियों को दिया। नतीजा यह है कि वह पट्टे के पीछे लड़ रहे हैं। आज आप जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने हरिजनों को जमीनें दीं, सीलिंग की जमीनें दीं तो उसमें इतना झगड़ा है कि 5 साल तक उसका निपटना मुश्किल है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो उनको जमीनें दी गई हैं, पट्टे दिए गए हैं और जिन पर कब्जा नहीं मिला है और दूसरों ने कब्जा कर रखा है। तो प्रत्येक जिले में कलेक्टर रैंक का अफसर नियुक्त किया जाय और लेखपाल, तहसीलदार, एस0डी0एम0 उसके साथ-साथ हों, वह जाकर जमीनों पर तुरन्त कब्जा दिलाए। हरिजनों ने पिछले दिनों अपना घर, द्वार जमीनों के लिए बेच दिया पर किसी को जमीनें नहीं मिलीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों के रिजर्वेशन में, 30 सालों तक कांग्रेस सरकार ने क्या किया। एम0बी0बी0एस0, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0, कहीं 10 फीसदी, कहीं 4 फीसदी, कहीं 9 फीसदी, इनका रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है। मैं इधर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, सन् 1969 में जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने एक बात कही थी। जाट कालेज, गूजर कालेज, त्यागी कालेज, तो माननीय चौधरी साहब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्द राम]

ने ऐलान किया था कि जो जातीयता के ऊपर स्कूल हैं उनको एड देना बन्द कर दिया जायगा। नतीजा यह हुआ कि सबने अपनी जाति हटा दी। तो इसी तरह से काम करना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नर्सरी स्कूल हैं, देहरादून जैसे स्कूल हैं। बड़े-बड़े जो स्कूल हैं यहां पर हरिजनों के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप सबको बराबर की मान्यता दें। सबको बराबर की शिक्षा मिले। नर्सरी स्कूलों में और बड़े-बड़े स्कूलों में इनको स्थान मिले, इनको छात्रवृत्ति मिले। तो इनका भला होगा। हमारी प्राइवेट संस्थाएं हैं, जैसे गन्ना समिति, कोआपरेटिव बैंक, हमारे स्कूल के कर्मचारी और कमेटियां, तो मैं निवेदन करूंगा कि इनमें बड़ा भ्रष्टाचार है जिससे वहां एक भी हरिजन नहीं है चाहे कर्मचारी में हो, चाहे समिति के मेम्बर में हों। तो वहां क्यों नहीं लिया जाता है? मैं मन्त्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पर ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, पिछली सरकार ने हरिजनों को क्या छूट दिया है, यदि वह बैंक जाता है तो वहाँ धक्के खाता है। तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो यहाँ बैंक हैं जिनसे उनको कर्जा मिलता है तो वह बिना बिचौलियों के नहीं मिल पाता है। इसलिए कर्जा उनको बिना बिचौलियों के मिलना चाहिए जिससे वह अपने धंधे कर सकें और बिचौलियों से बच सकें।

मान्यवर, उद्योगों के लिए वित्त निगम जो बना है उससे रुपया दिया जाता है तो हमारे जो उद्योग वहां हैं उनको रुपया नहीं मिलता है। यदि उद्योग आप चाहते हैं तो बराबर का कोटा देना चाहिए। मोटर परमिट या घी का कोटा सरकार हरिजनों को तब तक दें जब तक कि उनका कोटा समाप्त न हो और सवर्णों को एक भी कोटा तब तक नहीं मिलना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आई0टी0आई0 के छात्रों की ओर दिलाना चाहता हूं। आई0टी0आई0 के छात्रों को 40रु0 वजीफा दिया जाता है लेकिन हरिजन छात्रों को वजीफा हरिजन विभाग से दिया जाता है और वह 27 रुपया है। तो मैं मन्त्री जी से गुजारिश करूंगा कि हरिजन छात्रों को भी उन्हीं के बराबर 40 रुपया छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए।

मान्यवर, अन्त में हरिजन बस्तियों की बात में कहना चाहता हूं कि हरिजन बस्तियों में बिजली है लेकिन वहाँ एक भी बिजली का खम्भा नहीं है। यह उनके प्रति दुर्व्यवहार नहीं तो क्या है? इसके सम्बन्ध में एक कवि ने लिखा है कि—

गुलशन पर वक्त पड़ा तो खो दिया,
जब इधर बहार आई तो उधर वालों ने रो दिया।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज समाज कल्याण मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर मुझे बोलने का मौका मिला। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज हरिजन नाम से जो एक स्थिति उभरती हुई दृष्टिगोचर होती है और जिस तरह शोर-शराबा हम सुनते हैं उस पर कुछ पंक्तियाँ कविता की मैं कहना चाहता हूं :—

यह असंगति जिन्दगी के द्वार सौ-सौ बार रोई।
चाह में है और कोई बाँह में है और कोई।

आज जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित षड़यन्त्र रचा जा रहा है और हरिजन समस्या को उभारने का देश में एक द्वेष भावना की जागृति की जा रही है। उसको आप देखें तो ऐसा महसूस होता है कि काँग्रेस जो हरिजन के नाम पर बहुत चिल्लाती है किन्तु जब इस समय हरिजन समस्या पर विचार हो रहा है तो उनकी तरफ मात्र 3–4 लोग दिखाई दे रहे हैं।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इधर भी देख लिया करें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हरिजन शब्द की उत्पत्ति न काँग्रेस के जमाने में हुई और न आधुनिक युग में हुई है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि हरिजन शब्द के नाम पर उस शब्द का दुरुपयोग किया जाता है। सबसे पहले महात्मा गोस्वामी तुलसीदास ने हरिजन शब्द का प्रयोग रामायण में किया--

'हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी'

हरिजन का तात्पर्य है हरि का जन, ईश्वर का जन। जिसका कोई सहारा न हो, जिसका कोई आश्रय न हो वह हरिजन है। लेकिन आज हमने इस शब्द की व्यापकता को समाप्त कर इसे एक जाति विशेष से सम्बद्ध कर दिया है और ऊंच-नीच की बात करने लगे हैं। भारतीय संस्कृति की परम्परा रही है कि कोई जन्म से ऊंच या नीच नहीं होता, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। इसलिए केवल जातीयता के आधार पर वरीयता देना और वर्ग विद्वेष पैदा करना सामाजिक अन्याय है। मैं इसको इसलिए अन्याय समझता हूं कि अगर कोई क्षत्रीय, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ लेकिन गरीबी के कारण उसको भूखा रहना पड़ता है, स्कूल में फीस नहीं दे सकता है तो उसको एक कुल विशेष में जन्म लेने के कारण सुविधाएं न मिलें। यह भावना समाप्त होनी चाहिए। भारतीय समाज में दो वर्ग हैं। एक अमीर और दूसरा गरीब। हैव्ज और हैव्ज-नाट के बीच में संघर्ष होना चाहिए। जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है तो इस अभाव की पूर्ति होनी चाहिए। जिसके पास साधन सम्पन्नता है और केवल इस आधार पर कि जाति विशेष में पैदा हुआ है तो सारी सुख सुविधाएं उसको मोहय्या कराई जायं तो यह उचित नहीं है और ऐसा करने से भारतीय समाज कमजोर होगा।

आज बड़ा हो-हल्ला सुनाई दे रहा है कि हरिजनों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। गाँव में दो पार्टियाँ हैं तो हरिजन को रुपया देकर एक पार्टी उससे झूठी रिपोर्ट करवा देती हैं चाहे वह नान-कागनीजिबिल आफेन्स ही क्यों न हो। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिसमें हरिजनों के नाम से झूठी रिपोर्ट लिखा दी गयी कि सवर्ण उन पर ज्यादती करते हैं और इस तरह से जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए हो-हल्ला किया जाता है कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। आखिर यह बात कब तक चलेगी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)--

अध्यक्ष महोदय, यह विषय पर बोलें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या यह कोई वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

यह तो हरिजनों के विरोध में बोल रहे हैं। हरिजन कल्याण विभाग का बजट है। इस पर बोलें।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जो निर्धन हैं, निर्बल हैं उनके लिए जनता पार्टी की सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनको सहायता दी जायगी। मैं यह महसूस करता हूं कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वह पिछड़े हुए हैं। उन पर ज्यादतियाँ भी हो सकती हैं अगर इन ज्यादतियों को और वर्ग विद्वेष की भावना को दूर करना है तो इसके लिए हमें आर्थिक आधार बनाना होगा। अगर हम आर्थिक इकाई के आधार पर कि कौन गरीब है, कौन अमीर है हम सहायता देंगे तो यह विद्वेष की भावना दूर हो सकेगी।

एक बात और कही जाती है कि हरिजनों को पट्टे दे दिए गए लेकिन उनको कब्जा नहीं मिल रहा है। यह गलती हुई है मात्र एक सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए। काँग्रेस सरकार ने जानबूझ कर ऐसे पट्टे दिए हैं कि जब हरिजन कब्जा लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर मकान बने हैं। जिनका कब्जा वहाँ पर पहले से है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता मालूम नहीं किस खाता खतौनी में 100 बर्ष पुराना यह कब्जा गाँव सभा की जमीन का हो। मैं समझता हूं कि पट्टे के नाम पर और भूमि वितरण के नाम पर जो समस्या उत्पन्न की गई है काँग्रेस सरकार द्वारा यह जनता सरकार के शासन में रोड़ा पैदा करना चाहती है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि जितने भी पट्टे हुए हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनकी जाँच होनी चाहिए और यह देख लेना चाहिए कि पट्टे आइडेंटीफाएबल भी हैं या ऐसे ही उन को भूमि दे दी गयी है।

आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आज विद्यालयों में भी हजारों सैकड़ों की तादाद में दाखिले हो रहे हैं मात्र इसलिए कि वजीफा मिल जाय। उस में विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिजन कल्याण के अधिकारियों का भी हाथ रहता है। हरिजन के नाम से उनको वजीफा मिले और उसमें उनका बंटवारा हो जाय। इसकी जाँच होनी चाहिए।

दूसरे चिल्लाते हैं पिछड़ी जाति के नाम पर, हरिजनों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, लेकिन मैं महसूस करता हूं. . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

एक मिनट। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि यदि कोई ऐसी योजना है जिसमें रिजरवेशन केवल जाति के आधार पर हो तो गलत होगा और यदि इस देश में केवल चार वर्ग

हो जाय, अभिजात वर्ग, पिछड़ा वर्ग, हरिजन वर्ग और मुसलमान वर्ग तो भविष्य के लिए यह अच्छी बात नहीं होगी। मैं समझता हूं कि देश में केवल दो वर्ग हों एक अमीर वर्ग और एक निर्धन वर्ग और सारी सुविधाओं का इस प्रकार बंटवारा किया जाय। अनुसूचित जाति के स्थान पर अनुसूचित परिवार की स्थापना कास्टोक्रेसी को समाप्त कर सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय ने जो अनुदान का प्रस्ताव पेश किया है उस का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान जो इन्होंने हरिजन कल्याण के ऊपर प्रस्ताव दिया है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं और जो माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन कर रहा हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस देश में जब यह देश गुलाम था गांधी जी ने आन्दोलन चलाया था। उस समय उन्होंने भी हरिजनों का नाम लेकर के पूरे देश के अन्दर सब से ज्यादा हरिजनों को उछाला था। देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद हमारी कांग्रेस सरकार ने जिसकी तरफ हमारे जनता पार्टी के साथी बार-बार उंगली उठा रहे हैं जिसके नेता आज इस सरकार के अन्दर ऊंचे पदों पर हैं चाहे वे मोरारजी भाई हों, चन्द्र भानु गुप्त जी हों, चरण सिंह चौधरी जी हों, जो लोग भी हों, वह सभी लोग . . .

श्री अधिष्ठाता––

जो माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं एक सामान्य नियम बन गया है, उनका नाम न लें।

श्री जय राम----

मान गए। साथियों (व्यवधान) जो हमारे (व्यवधान) अधिष्ठाता महोदय, जो हमारे ऊंचे पदों पर हमारे भाई हैं वे लोग कांग्रेस के अन्दर 30 वर्ष रहे। मैं कोई विरोध की बात, आलोचना की बात नहीं करना चाहता, मैं जरूर चाहता हूं कि जनता पार्टी के जो माननीय सदस्य बोलते हैं उनकी भावनाओं को सुनने के बाद यह जरूर लगता है कि उनके दिलों में भी हरिन उत्पीड़न के प्रति रोष है। 30 वर्ष के अन्दर जो हालत रही है उसको भी आप जानते हैं और 3 महीने के अन्दर जो स्थिति है उसको भी आप जानते हैं। असलियत से इन्कार मत कीजिए और असलियत से इन्कार करने वाले लोग आज पानी पी-पी कर हरिजन का नाम ले रहे हैं, उनकी गलतियों से आप सीखिए। उनकी आड़ में तू-तू मैं-मैं करके सदन का समय बरबाद मत करिये। 3 महीने के अन्दर जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है और खास कर हमारे माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि उन जगहों का आप नाम लें। चुनाव के दिन भोजापुर गांव जो गाजीपुर जिले में है, दिशातपुर तथा लखनोली आदि गांवों में हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया गया। इस तरह से अनेक गांवों के अन्दर ये घटनाएं घटीं।

मैं आपका ध्यान उन जेलों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनमें 19 महीने आप भोग कर आए हैं। उन जेलों के अन्दर आज भी एक खास जाति के लोगों के बेटों का 109/110 में चालान करके और उनको सजा दे कर 19 महीने से उनसे जबरिया आपका पाखाना फिकवाया गया। जिन जेलों के अन्दर आपको जय प्रकाश जी की समग्र क्रान्ति

[श्री जय राम]

की याद आती थी और इन्दिरा गांधी के विरुद्ध रोष उत्पन्न होता था उसमें उस जाति पर किए गए अत्याचार आपको याद नहीं आते। मैं आपसे कहूंगा कि हरिजन नाम का मतलब कुछ व्यक्ति नहीं होते। कांग्रेस के समय में कुछ एम0 एल0 ए0, एम0 पी0, ब्लाक प्रमुख, प्रधान और गांव के कुछ सफेदपोश हरिजनों के नाम पर बराबर कुछ अनुदान और सुविधायें लेते रहे और उन्होंने सत्ता में रहने वाले लोगों की बराबर पानी पी-पी कर वकालत की। मैं चाहूंगा आप जरा गांवों में जायं तो देखेंगे कि 99 प्रतिशत गांव के गरीब हरिजन आज भी अपनी मजदूरी गांवों के अन्दर सवर्ण लोगों से मांग नहीं पा रहे हैं। किसी पार्टी का सवाल नहीं है। कांग्रेस के अन्दर रह कर हरिजनों का उत्पीड़न करने वाले तथा सताने वाले लोग कांग्रेस से निकल कर आज जनता पार्टी में चले गए हैं। यहां पार्टी की नीति का सवाल नहीं है, कुछ व्यक्तियों का सवाल है। जिन्होंने 30 वर्ष तक महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम को बदनाम किया और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आज वह जनता पार्टी के साथ हैं। इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों का साथ दिया और आजादी के बाद कांग्रेस के अन्दर अगली कतार में चले आए। इस बात पर जनता पार्टी को विचार करना होगा।

सन् 1962 से लेर आज तक मेरे ऊपर क्रिमनिल ऐक्ट के मुकदमें चलाए गए क्योंकि जहां भी हरिजनों के उत्पीड़न का सवाल होता था मैं जा कर खड़ा हो जाता था। आज भी मैं 307 का मुलजिम हूं। 307 का मुलजिम बनने का कारण यह है कि जमीन का बंटवारा हुआ तो ठाकुर लोगों ने हरिजनों का कब्जा नहीं होने दिया। परगना हाकिम द्वारा जमीन नापने के आदेश हुए और मुझसे कह कर गए तो जमीन नापते समय गुन्डों ने आकर आक्रमण किया और पीटा और 307 का मुकदमा मेरे ऊपर चला दिया। तो इस तरह से हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें आप लोग धीरज रखें, समय मिलेगा ?

श्री मन्नूराम (जिला बलिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मन्त्री महोदय ने जो हरिजन समुदाय के लिए जो धनराशि मांगी है उसका मैं समर्थन करता हूं और अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मान्यवर, जैसा कि पुस्तक में वर्णित है इसमें शैक्षिक, आर्थिक और आवासीय सहायता की बात दिखलाई गई है। मैं इसमें अवासीय सहायता के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे पिछड़े हुए इलाके बलिया में देखेंगे कि वहां बहुत दिनों से सन् 1948 से एक बस्ती बनी है मेहतरों की। मैं समझता हूं कि उसमें प्रवेश करना भी कठिन है। एक बार मैं वहां गया तो मेरी हालत खराब हो गई। वह बस्ती गोल नुमा बनी है, जिसमें न पानी बाहर निलता है और न वहां पर कोई दूसरी सुविधायें हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं है। उसकी बड़ी दुर्दशा वहां पर है। ऐसी हालत में वहां लोग जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। यह मैं शहरों की बात कह रहा हूं। देहातों में इस समुदाय के वास्ते कोई आवास नहीं बनाए गए हैं और न कोई अनुदान दिया गया है। नाममात्र के लिए रुपया दिया गया है। कोई योजना उनके मकान बनाने के लिए नहीं बनाई गई है।

जहां तक छात्रावासों का सवाल है, मान्यवर, आप देखेंगे कि हमारे बलिया जिले में 11 डिग्री कालेज हैं। लेकिन वहां पर कहीं भी कोई छात्रावास नहीं बनाया गया है। एक जो है वह भग्नावशेष अवस्था में है न उसमें बिजली है और न पानी है और न कोई दूसरे साधन हैं। वहां पर पिछले दिनों मैं गया था तो देखा कि उसमें हरिजन कल्याण अधिकारी का भूसा रखा था और हरिजन छात्र बाहर बैठे थे और बाहर ही सोते थे। तो उन्होंने कहा कि इसका एलाटमेंट नहीं होता है। उसकी हालत के बारे में मैंने मन्त्री जी को अवगत कराया था। इस तरह से आप देखेंगे कि वहां कोई छात्रावास नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि बलिया में कम से कम एक बड़ा छात्रावास बनाया जाय जिसमें 4-5 सौ छात्र रह सकें। एक रतनपुरा में बनाया जाय जहां रतनपुरा, भुड़सुरी तथा रसड़ा कालेज चलते हैं वहां के विद्यार्थी उसमें रह सकेंगे। वहां पर और दो छात्रावास बन जायेंगे तो हरिजन छात्रों की हालत सभंलेगी अभी तक जो झात्रावास बने हैं उनमें कोई सुविधायें नहीं हैं जैसा कि पुस्तक में वर्णित किया गया है। न कागज मिलते हैं और न पुस्तकालय की सुविधा है। सिवाय इसमें मेज मैंने जरूर देखी और पटरे देखें जिनको मिलाकर छात्र सोते हैं।

छात्रवृत्ति का जहां तक सवाल है इसके बारे में सरकार विचार कर रही है। महंगाई को देखते हुए यह छात्रवृत्ति बहुत कम है और इसे देखा जाय तो जो पहले से छात्रवृत्ति चली आ रही है उसे दुगुना भी कर दिया जाय तो भी उनका भोजन नहीं चलेगा क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक जाति नौना चमार की है जिसे आपने लोना चमार लिखा है। वह वहां काफी तादाद में हैं लेकिन नौना जो हैं इनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में नही रखा गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बात की छानबीन कर उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाय। क्योंकि बताया जाता है कि यह उपजाति चमार की है, उसकी पहले की यह श्रेणी है और अब भी बलिया जिल में बस रही है और जिलों का तो मैंने अध्ययन नहीं किया है। विद्युतीकरण का जहां तक सवाल है। हरिजन बस्तियों में कहीं-कहीं विद्युतीकरण के नाम पर खम्बे गड़े हैं, लेकिन एक भी बल्व वहां नहीं है। कहने को कागज में दिखा दिया गया है कि विद्युतीकरण कर दिया गया है।

जहां तक इसमें गोड़ "खरवार" जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया है, वह ठीक है, लेकिन इधर विमुक्त जाति की लिस्ट में भी उनको रखा गया है। तो इससे भ्रम होता है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसको स्पष्ट किया जाए, क्योंकि इससे और भी आगे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। कुटीर उद्योग धन्धों का जहां तक सम्बन्ध है वहां चमड़े का उद्योग धन्धा बड़ी आसानी से चल सकता है। हड्डी के स्थान पर चमड़ा पकाने का काम हो सकता है। इसके अलावा हलधरपुर में चर्म उद्योग यदि खोला जाय, तो इस विभाग द्वारा बहुत से लोगों की बेकारी की समस्या दूर की जा सकती है। जहां तक भिक्षावृत्ति का सवाल है, जहां-जहां ऊंचे-ऊंचे मेले लगते हैं, जैसे ददरी में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, वहां पर भिक्षुक गृह बनाएं जायं।

[श्री मन्नूराम]

हरिजनों की बिल्कुल सुरक्षा नहीं हो पा रही है, जैसा कि आप देखे "बारह वर्षीय बालक गौरीशंकर पुत्र जगरनाथ की गर्दन मरोड़ कर हत्या कर दी गयी है। उसकी हत्या ग्राम रसड़ा में गर्दन मरोड़ कर दिनाँक 9 सितम्बर को की गयीं। इस बालक को नाथ जी के मन्दिर के पोखरे के जल के किनारे फेंक दिया गया। हत्यारे घर छोड़कर भाग गए। इन्हीं हत्यारों ने मृतक गौरीशंकर के छः वर्षीय भाई को घर से गायब कर दिया था। जिसका अब तक पता न चल सका। इसी तरह की हत्या इसके खानदान में और लोगों की की गयी। ये हत्यारे पेशेवर हैं, गौरीशंकर की हत्या के पूर्व हत्यारों ने स्थानीय डाक्टर व पुलिस से साँठ-गाँठ कर लिया। डाटक्र ने अपनी पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में जानबूझकर सही बातों को छिपा लिया....

श्री अधिष्ठाता —

अब बिल्कुल नहीं, आप बैठें।

श्री मन्नू राम—

अच्छा, अब मैं बैठता हूं।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं और जो कटौती का प्रस्ताव आया है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और इस माँग का समर्थन करता हूं। जो साथी लोग सामने बैठे हुए हैं और काफी देर से इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे वह कहाँ विरोधी नेता है, उनको सदन में बैठना चाहिए और जो उन्होंने बाते कही हैं, उन बातों का जवाब भी सुनना चाहिए। इससे पहले जो सरकार थी, उस सरकार ने जो हरिजनों को पट्टे दिए हैं, मैं उनके विषय में कुछ कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में अभी तक उन हरिजनों को कब्जा मिल नहीं पाया है। यह पट्टे के आवंटन का कार्य हरिजनों के लिए कैंसर रोग सा बनकर रह गया है। इसने उनमें आपस में झगड़ा और उच्च जाति के लोगों के साथ झगड़ा पैदा कर रखा है, जैसे महरोरा, माल ब्लाक और मदइया में है। जिनको पट्टे दिए गए हैं, उनको पैसे दिए, जिनमें शौच की जगह नहीं है और चौराहे को पट्टे में नाप दिया गया है। जब मैं उन गाँवों में गया था और मेरे साथ एस0 डी0 ओ0 और थानेदार थे, तो मैंने देखा, ऐसा झगड़ा चल रहा है कि... पिछली सरकार जो जालिम सरकार कही गयी है, यह उसके कारण है। मैं यह चाहूंगा कि वह इस सदन में ऐसा वातावरण न पैदा करें और वे जो जनता सरकार के खिलाफ वातावरण देश और प्रदेश में फैला रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप सोच लें, आप गाँधी जी के चेले बनते हैं, साहब आप को नहीं मालूम मैं गाँधी जी के आश्रम में रहा हूं और स्वतन्त्रता संग्राम का सैनानी भी हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं।

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके द्वारा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे क्षत्र में इन्टर कालेज की मान्यता देने के लिए एक लम्बी सी दरख्वास्त अपने शिक्षा मन्त्री को दिया था। हमारा क्षेत्र सब से पिछड़ा है। वहाँ पर हरिजनों की अधिक संख्या है। अगर वह वहाँ मान्यता दे दी जाय तो हरिजनों के बच्चे तो शहर में नहीं आ पाते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहाँ के लोग अधिकतर आम की फसलें बड़े दामों पर बेचते हैं। उन आम के बाग वालों के बच्चे शहर में खर्च करके आ जाते हैं। गरीब बेचारा नहीं आ पाता। मैंने शिक्षा मन्त्री को इसी जगह पर बैठ कर कहा कि हमारी दरख्वास्त को क्या किया। माननीय मन्त्री ने कहा कि मैंने विभाग को भेज दिया। जब विभाग के अधिकारी से पूछा तो उनका दिमाग बड़ा ऊंचा था। मैं माननीय अधिष्ठाता के द्वारा कहना चाहूंगा कि उन अफसरों से कि अपने दिमाग को बदले। अब इमरजेन्सी नहीं रही। बट साहब बड़े वरिष्ठ सचिव बनते थे, आज उनको मुअत्तल किया गया है। अगर ऐसे ही इस देश और प्रदेश में अफसरशाही बरतेंगे और लालफीताशाही दिमाग में रखेंगे तो जनता उनको बख्शेगी नहीं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में मलिहाबाद, माल में एक छात्रालय भी बनवा दें। एक महिलाओं के विद्यालय की आवश्यकता है। सारे बड़े लोग, ठाकुर, पठान लोग जो आम के बाग लगाते हैं जिनको 1 लाख, पचास हजार, 90 हजार, तीन लाख में बेचते हैं, उनके पास साधन हैं। वे शहर में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में हरिजन, गरीब. बैकवर्ड क्लास चाहे कहार हों, लोहार हों या लोध हों, जो गरीब काश्तकार लोग हैं वह यहाँ शहर में नहीं आएंगे। इसलिए हमारे इलाके में डिग्री कालेज और छात्रावास बनाए जायं और बच्चियों के लिए डिग्री कालेज बनाया जाय।

माननीय अधिष्ठाता जी, छोटी नौकरियों में चपरासियों के लिए पिछली सरकार ने जो कायदा बनाया है कि हाई स्कूल के अलावा नहीं रखा जायगा, भला बताएं कि वह गरीब हरिजन कैसे हाई स्कूल, इन्टर का पढ़ा हुआ चपरासी में रखा जाय।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त।

श्री मान सिंह आजाद—

थानों और चौकियों पर जो स्वीपर रखे गए हैं, उनको वर्षों से 10 रुपए पचास पैसे पे देते हैं। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर हम सारे लोग गांधी जी का नाम लेते हैं तो उस स्वीपर की पे बढ़ायी जाय। और जो जनता सरकार के खिलाफ बलवा कर रहे हैं, वह समझ लें कि जनता सरकार वह है जो जनता को राहत देगी।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने आज जो . . .

श्री अधिष्ठाता—

सत्ता पक्ष के लोग यह समझ लें कि सत्ता पक्ष के जब दो आदमी बोलते हैं तो विरोध पक्ष की ओर से एक तो जब विरोध पक्ष का नम्बर हो वह खड़े होने का कष्ट न किया करें।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। यह विषय बहुत ही महत्व का है, यह उन सैकड़ों सताए गए और कुचले गये तथा मारे गए और पीटे गए लोगों का विषय है।

[श्री गंगा प्रसाद]

आज माननीय मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें पिछले साल से काफी अरक-फरक है। मुझे कहना है कि हरिजनों की संख्या 2 करोड़ के ऊपर है और उनकी संख्या को देखते हुए जो बजट रखा गया है वह दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। आज एक तरफ शिक्षा को ले लिया जाए तो मालूम होगा कि जो 30 साल के अन्दर हरिजनों में जान आयी है वह शिक्षा के कारण ही आयी है। हरिजन जो जागृत हैं वह अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात करते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आचार्य जुगल किशोर की एक कमेटी बनी थी उसमें एक सुझाव दिया गया था कि हरिजन अधिकारी को फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का ओहदा दिया जाए। अगर हरिजन अधिकारी किसी गाँव में जाता हैं तो उसको गाँव के लोग मारने पीटने के लिए अमादा हो जाते हैं।

मान्यवर, आप देखें कि हर गाँव में जमीन के पट्टे की बात की जाती है। होता यह है कि कलेक्टर ने लिखा परगनाधिकारी को, परगनाधिकारी ने लिखा तहसीलदार को और तहसीलदार ने लिखा कानूनगो को तो इस पर काफी समय लग जाता है यहाँ तक साल भर तक का समय लग जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह से हरिजनों का कल्याण नहीं होगा। आज हरिजन अधिकारी जो होता है उसको मोटर की सुविधा नहीं दी जाती है और जो बी0 डी0 ओ0 होते हैं उनको जीप मिलती है। अगर हरिजन अधिकारी कहीं दौरे पर जाना चाहता है तो उसको जीप की सुविधा नहीं मिल पाती है उसे बी0 डी0 ओ0 से मांगनी पड़ती है और कभी वह कह देता है कि तेल नहीं है कभी कह देता है कि खराब है। मेरा कहना है कि हरिजन अधिकारी को एक जीप की व्यवस्था की जाए जिससे वह सीधे गाँवों में जाय और जो मार-पीट आदि के झगड़े हों उनको वह फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की हैसियत से फैसला कर दे।

इसी प्रकार से एक वित्त निगम है। ऋण के लिए दरख्वास्तें आती हैं वह पड़ी रहती हैं उन पर गौर नहीं होता है। आप एक तरफ कहते हैं कि हरिजनों का उद्धार हो। आप वित्त निगम को आदेश दें कि जो दरख्वास्त ऋण के लिए आवे उस पर एक महीने के अन्दर कार्यवाही हो जानी चाहिए और उसे ऋण का भुगतान हो जाना चाहिए। एक बात मुझे कहनी है कि गाँधी जी का जन्म दिवस आने वाला है, 2 अक्तूबर को। आप हरिजनों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए एक कुआँ हर अदालत पंचायत में निर्माण करावें तो याद रहेगा कि आपकी मिनिस्ट्री ने गाँधी जी के कदम पर चल कर हरिजनों की पानी के पीने की समस्या की ओर कदम उठाया है। हरिजनों के लिए पानी की समस्या आज तक हल नहीं हो पायी है।

मुझे आपसे एक बात और कहनी है कि गोंडा में आश्रम पद्धति विद्यालय अनुसूचित जातियों, विमुक्त जातियों के बच्चों के लिए एक जूनियर हाई स्कूल खोला गया है, उसको हाई स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। शासन वहां 50 रुपए फी बच्चा देता है। आज महंगाई के दिनों में दाल, चावल, आटा, सब्जी, लहसुन और प्याज, नमक, लकड़ी आदि कितनी तेजी पर हैं तो उसके लिए आप कम से कम पचास रुपए के बजाए सौ रुपए कर दें जिससे बच्चे अच्छा भोजन पा सकें और खुशहाली की ओर बढ़ सकें। इससे बच्चे आपकी सरकार का नाम लेंगे।

मुझे एक बात और कहनी है श्रीमन्, कि आज जमीन की समस्या बहुत गम्भीर है। अभी माननीय ब्रह्मदत्त जी द्विवेदी ने एक स्पीच दी है। अगर यह स्पीच मान्यवर, वह देहातों में देते तो न जाने कितने हरिजन मारे जाते, पीटे जाते। उससे एक असन्तोष फैलता। अतः मुझे आपसे कहना है कि इस सदन में कोई ऐसी चीज न कही जाए जिससे हरिजनों का अकल्याण हो।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गोंडा में छात्रावास नहीं है। यदि आप एक छात्रावास का निर्माण करा दें तो बड़ी कृपा होगी। जमीन जिलाधिकारी ने दे दी है मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस पर आप छात्रावास बनवा दें।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो रहा है। आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)––

मान्यवर, हरिजनों की बात आज कही जाती है। एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं। धासी राम दरोगा हैं मोहन लालगंज में 1977 की जनवरी या फरवरी में उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। यहां के एस0एस0पी0 श्री वेदी के हुक्म को उन्होंने नहीं माना था। उसके बाद सर्किल इंस्पेक्टर ने ....

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)––

इंक्वायरी किया। वह बेदाग साबित हुए। लेकिन वह आज भी मुअत्तल हैं। वह बड़े परेशान हैं। वह कहते हैं कि जनता सरकार अन्याय करती है। यही नहीं जितने हरिजन अफसर हैं, बड़ी भयावह स्थिति में हैं। मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे उत्पीड़न के रवैये को समाप्त करें और हरिजनों के साथ न्याय करें। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)––

अधिष्ठाता महोदय, हरिजन समाज कल्याण मन्त्री ने जो मांगें पेश की हैं, मैं उनका समर्थन तो अवश्य करता हूं परन्तु साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का बजट कांग्रेस शासन पेश करता रहा है उसी प्रकार का बजट आज जनता सरकार ने पेश किया है। कहीं कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। थोड़ी बहुत कमी या बेशी हो सकती है। कांग्रेस सरकार भी मांगती बहुत से पैसे थी मगर हरिजनों के प्रति खर्च नहीं कर पाती थी। अगर इन्होंने थोड़ा कम ही रख दिया है तो कोई बात नहीं है।

वस्तुतः यह समस्या राजनीतिक कम सामाजिक और आर्थिक ज्यादा है। लेकिन होता यह रहा है कि ज्यादातर इससे राजनीतिक लाभ उठाए जाने का प्रयत्न किया गया है। इसलिए इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। आज 30 साल हो गए, चाहे कोई भी शासन रहा हो, कोई भी मन्त्री रहा हो, स्थिति बिगड़ती चली गई। स्थिति उतनी नहीं सुधर पाई जितनी सुधरनी चाहिए थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम दत्त पालीवाल]

सही बात मैं कहता हूं कि हरिजनों के लिए अलग कुओं की व्यवस्था की गई। हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि स्टेशनों पर मुसलमानों के लिए अलग, हिन्दुओं के लिए अलग पानी हुआ करता था उसी तरह से आज गांवों में हरिजन पानी, बाल्मीकि पानी, जाटव पानी और फिर संवर्ण पानी होता है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, चाहे आपका शासन रहा हो, चाहे हमारा रहा हो वह दिन कब होगा जब गांव में एक कुआं होगा जिस पर सारी जनता पानी भरती होगी। ऐसा न करके आप महात्मा गांधी के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इस मसले को राजनीतिक न बनाइए। आप भी हाथ मिलाइए, हम भी हाथ मिलायें और दोनों उनके उत्थान के लिए आगे बढ़ें। जिस समय लोक सभा का चुनाव हुआ था उस समय सामाजिक तनाव समाप्त हो गया था लेकिन वह फिर हमारी या आपकी गलती से ऊपर उभर कर आ गया है, इसको हमें मिल कर समाप्त करना होगा।

हरिजनों के लिए महात्मा गांधी जी ने बड़ा संघर्ष किया था, वे जीवन का बलिदान भी देने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन वे उतना नहीं कर पाए जितना कि स्व0 भीम राव अम्बेदकर ने किया था। उन्होंने कहा था कि हम को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हम तो यह मांग करते हैं कि आरक्षण होना चाहिए लेकिन जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वे इस पर निर्भर न रहकर समाज में अपना आदर बनायें और यदि कोई भी सामाजिक अथवा राजनीतिक ज्यादती होती है उसके विरुद्ध संघर्ष करें। यह उनका मार्ग होना चाहिए। यहां पर रोज इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं। एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि आगरा के अकोला गांव में हरिजन का चबूतरा तोड़ दिया गया और उसे पीट दिया गया। मैंने उसकी स्वयं जांच की। उन लोगों ने कहा और लिख कर भी दिया कि हमारा चबूतरा नहीं तोड़ा गया है। कुछ कहा सुनी हो गई थी। जब कहीं से कोई शिकायत आती है तो कांग्रेस वाले यहां आकर किसी जनता पार्टी के सदस्य से या सरकार के मन्त्री से क्यों नहीं कहते हैं? उससे राजनीतिक लाभ उठाने का क्यों प्रयत्न करते हैं? जहां पर कुछ भी नहीं होता, वहां की भी बात को उठाने का प्रयास किया जाता है। जहां तक कांग्रेस सरकार का सम्बन्ध है उनके परफार्मेंस बजट में किस प्रकार बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, उसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यह हरिजन कल्याण विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेन्स) बजट है।

(इस समय 3 बज कर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

वर्ष 1976-77 में एक निगम बनाया। इसमें वर्ष 1976-77 में स्वीकृत धनराशि 45 लाख 95 हजार 595 रुपया थी लेकिन वितरित किया गया केवल 16 लाख 75 हजार 67 रुपया। ये क्या तमाशा करते रहे। मेरी प्रार्थना है कि आप भी ऐसा तमाशा न करें, आप ठीक से कार्य करें।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है छात्रवृत्ति कक्षा दस के बाद छात्रों को दी जाती है लेकिन दर्जा 1 में जब छात्र पढ़ने आता है तो यह जरूरी नहीं है कि उसको भी मिले। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो मालूम रहता है कि हरिजन विभाग से उनको छात्रवृत्ति मिल सकती है। तो जो पहले के उन्नत लोग हैं, वे तो इसका फायदा उठा लेते हैं लेकिन जो गरीब और अशिक्षित मां बाप हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। मेरी प्रार्थना

है कि सरकार हर हरिजन छात्र को कक्षा 1 से छात्रवृत्ति देना प्रारम्भ करे। यह हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य कहिए, हरिजन का बच्चा 5-7 वर्ष की उम्र में एक बच्चा ही नहीं होता है बल्कि एक परिवार का कमाऊ सदस्य होता है। इसलिए यह सोचकर छात्रवृत्ति देनी चाहिए कि जब वह बच्चा जो स्कूल जाता है तो घर का काम सफाई का काम, पालिश का काम, गोबर इक्ट्ठा करने का काम जो करता था वह नहीं कर पाएगा तो कम से कम इतना पैसा और मां-बाप को दे दो कि वे उसकी रोटी का इन्तजाम कर सकें और स्कूल भेज सकें।

एक बात और कहना चाहता हूं। कुछ ऐच्छिक संस्थायें अनुसूचित जातियों के लिए काम करती हैं। जैसा कि यहां पर चला आ रहा है इन संस्थाओं में अध्यक्ष महोदय, बढ़ोत्तरी हुई है। तो यह काम ऐच्छिक संस्थाओं को कम से कम दीजिए। पैसा आपको खर्च करना है शत प्रतिशत, चाहे छात्रावास हो, चाहे कोई जगह अनुसूचित जाति के लिए बनायी हो, सरकार पैसा खर्च करती है तो इन ऐच्छिक संस्थाओं को जिनका मुख्य काम पैसा कमाना होता है, गरीबों की मदद करना नहीं, इनको मदद न कीजिए।

एक बात और जो शम्भूनाथ जी ने उठायी और मैं गम्भीरता से विचार कर रहा हूं, वह है छात्रावास की। छात्रावास अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अलग बनवाए। उससे लाभ भी है और नुकसान भी है। लाभ यह है कि अनुसूचित जाति के लोग जो सामान्य छात्रावासों में रहते हैं उनमें रहने में बहुत परेशानी होती है, दुर्व्यवहार होता है, भेद-भाव होता है। इसलिए उनके लिए अलग छात्रावास है? लेकिन अलग होने से समस्या का निदान नहीं होता है। हम कहते हैं कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को जो छात्रावास में रहना चाहता है इतना पैसा दीजिए कि उसके अन्दर हीन भावना न आ जाय और वह उस सामान्य छात्रावास में रहकर अन्य छात्रों से घुलमिल सके, प्रेम कर सके क्योंकि सभी तरह के छात्र होते हैं। ऐसे भी होते हैं जो नफरत करते हैं और ऐसे भी जोकि प्रेम करते हैं।

एक बात और। मेरे पास एक शिकायत आयी है। दयाल बाग में एक लेदर वरकिंग इंस्टीट्यूट है। मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां के इंस्ट्रक्टर को आज भी 135 रुपया मिलता है, क्लर्क को 140 रुपया और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 60 रुपया मिलता है। यह किस आधार पर मिलता है? पता चला कि इस तरह का इंस्टीट्यूट एक ही नहीं है, अनेक इंस्टीट्यूट हैं। तो सरकार से कहूंगा कि सरकार कभी सोचा ही करे कि कहां पर इसमें क्या परेशानी है। य पे-स्केल 1965 से चला आ रहा है जोकि बिल्कुल ही अन्याय-पूर्ण है। इसमें परिवर्तन क्यों नहीं किया गया? इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर..... (व्यवधान) सौ वर्ष के अंग्रेजी काल का जो रोग था उसको कांग्रेस ने 30 वर्ष में कोढ़ के रूप में परिवर्तित कर दिया है। उस कोढ़ को समाप्त करने के लिए यह छोटी सी धनराशि, करीब 15 करोड़ की, मात्र दवा का ही काम कर पाएगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता था कि आप पर देश प्रदेश की आंखें लगी हुई हैं, खास कर आमूल परिवर्तन की तरफ और हमारी सरकार को कम से कम एक ऐसा परिवर्तन का कार्यक्रम चलाना चाहिए था जिससे जनता सरकार और कांग्रेस सरकार के अन्तर का आभास जनता को 24 घंटे में महसूस हो जाता। मुझे दुख है कि वह कार्य क्रम लागू नहीं हुआ। पहली चीज होती है दृष्टिकोण की। क्या आप चाहते हैं कि समाज में हरिजन या आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग हमेशा-हमेशा के लिए कायम रहें ? या आप चाहते हैं कि इनका उन्मूलन हो ? अगर उन्मूलन आप चाहते हैं तो आपके पास क्या कार्य क्रम है ? इस दृष्टिकोण से अभी तक किसी सरकार ने भी विचार नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने आधा बजट बनाया था, आधा बजट हमारी सरकार को बनाने का मौका मिला। लेकिन मैं कहना चहता हूं कि जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए, आमूल परिवर्तन करने के लिए आप गरम नीति अपनायें और इसके लिए मैं दो सुझाव देना चाहता हूं जिसमें आर्थिक कठिनाई बाधक नहीं है। कानून बनाया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। आज जो लोग नौकरियों में जाते हैं उनके जाति सूचक शब्दों के कारण ही उनके साथ पक्षपात हो रहा है, क्योंकि नौकरियों में जो लोग पर्यवेक्षक बनते हैं द्विज वर्ग के लोग होते हैं और उनके सामने जो हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग होते हैं उनके प्रति जो हमारी नीति है उसका पालन नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से आपकी भावना बन जाती है। अगर जाति-पांति व्यवस्था खत्म करनी है तो एक सब से अच्छा उपाय यह है कि अन्तर्जातीय विवाह हों। जो लोग अन्तर्जातीय विवाह करते हैं 50 सैकड़ा सामान्य सीटों में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाय संरक्षण व्यवस्था की जो बात है, 18 सैकड़ा हरिजनों को संरक्षण देने जा रहे हैं और 20 अगस्त से 15 सैकड़ा पिछड़ी जातियों को देने के लिए कहा है। यह नीति विशेष अवसर पर आधारित होती है। योग्यता में जो लोग आ जाते हैं उनको जो विशेष अवसर मिलना चाहिए उसमें गिनती हो जाती है।

मेरा कहना यह है कि जो लोग योग्यता के आधार पर आ जाते हैं उनकी गिनती जो आप संरक्षण देते हैं उसमें नहीं होनी चाहिए। और चौथी मैं मांग करूंगा मन्त्री जी से कि आपके मन्त्रिमन्डल में अधिकतर लोग डाक्टर लोहिया के विचाराधारा से प्रभावित हैं। डाक्टर लोहिया की नीति थी कि अवसर योग्यता को बढ़ाता है। आप उनको कुर्सी दें उनमें योग्यता आ जायगी। पहले आप कुर्सी दें। मैंने मेडिकल कालेज में देखा अनेकों हरिजन लड़के जो इन्टर साइंस से पास हैं उस योग्यता की पूर्ति करते हैं। इसलिए जो डाक्टर लोहिया ने जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए नीति निर्धारित की थी मैं माननीय मन्त्री जी से कहता हूं कि उस नीति के अनुसार योग्य हों या अयोग्य हों कुर्सी पर उन्हें पहले बिठायें। सरकार की यह नीति स्पष्ट होनी चाहिए। और इस प्रकार आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने में यह एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम होगा।

हमारे एक साथी ने कह दिया कि केवल दो ही वर्ग होने चाहिए—अमीर और गरीब। हिन्दुस्तान में अमीरी और गरीबी का कारण जाति व्यवस्था ही है। आप मनुस्मृति पढ़ लें उसमें कहा गया है कि शूद्रों का काम केवल सेवा करना है। और यह

भी कहा गया है कि अगर शूद्र के पास कोई दौलत हो तो ब्राह्मण देवता का हक है कि उसे छीन ले। इसलिए जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाती तब तक अमीरी और गरीब बनी रहेगी। 5 हजार वर्षों में आपने हमें पीछे ढकेला है, हमें अवसर नहीं दिया आगे बढ़ने का, शिक्षा हम ग्रहण करते थे तो हमारी जीभ काट दी जाती थी। हमारे कानों में सीसा भर दिया जाता है। तो जो आदमी 5 हजार वर्ष से पीछे रहा है, उसके लिए आप कहते हैं कि समान अवसर दिया जायेगा। इसका नतीजा यह होगा कि 5 हजार वर्ष का पिछड़ा कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। यह धोखामात्र है। इसलिए थोड़े समय के लिए मैं चाहता हूं कि जो आपने 5 हजार वर्ष पीछे रखा है, जब समान बराबरी पर चले आयेंगे, तब घुड़दौड़ करावें। जो अच्छी जन-संख्या में हैं, वह 80 सैकड़ा जगहों पर बैठे। जो लोग 20 सकड़ा हैं, उनको 20 सैकड़ा पर सन्तोष करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)––

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, जब हरिजनों के मुताल्लिक सदन में या कहीं पर कोई चर्चा हुआ करती है, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि सरकार हरिजनों को लुटायें जा रही है, हरिजन लूटे जा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग भी हैं जो अपने महत्वाकांक्षा के लिए कि पार्टी मुझसे नाराज न हो, इसलिए हरिजनों का घोर विरोध भी कर देते हैं। जब इतना प्रोत्साहन हरिजनों को मिल रहा है, तब भी यह उनकी दुर्गति है। तो भला बतायें कि जब हरिजन का उन्मूलन करा दिया जायगा, जब नाम खत्म करा दिया जायगा, तो किस तरह से हरिजनों का उत्थान तथा विकास होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से इस पक्ष और उस पक्ष की धारणा है कि इनको प्रोत्साहन दिया जाय ताकि ये भी मानव जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं।

मेरा मिर्जापुर जिला है, जिसमें छानवें, लालगंज, हलिया ब्लाक हैं, जहां पर दरियां, कालीन आदि बुनी जाती हैं। इन स्थानों की तरक्की हो सकती है। यहां के लोगों के पास कोई निजी काम चलाने के लिए अपना साधन नहीं है। सरकार से मेरा निवेदन है कि यहां के लोगों को जिस तरह से और मामलों में अनुदान दिए जाते हैं उसी तरह से इन कालीन, दरियां आदि के बनाने वाले बुनकरों को कुछ अनुदान देकर, जो काठ चलाए गए हैं फ्री कर दिया जाय ताकि ये बुनकर लोग अपने जीवन को सुखी बना सकें। साथ ही साथ इनके आने जाने का यहां पर कोई साधन नहीं है। छानवें ब्लाक में गोपीगंज है यहां पर कालीन का काम बहुत अच्छा होता है। मान्यवर, गैपुरा, रामपुर घाट, अकोटी से रामपुर घाट, जिगना, मिसिरपुर घाट, बिलसड़ा से रामपुर घाट आदि सड़कों का सुधार करा दिया जाय, ताकि इस व्यवसाय का कल्याण हो और हरिजनों का कल्याण हो। सरकार ने यह व्यवस्था कर रखा है कि जिन हरिजनों के पास 3 साल का ड्राइविंग लाइसेन्स हो उनको अम्बेसडर देकर टैक्सी चलवाया जाय। लेकिन मान्यवर, पेट्रोल बहुत मंहगा है। जब से डीजल जीप चली हुई है, तब से एम्बेसडर में परता नहीं है। मान्यवर, यह सिस्टम इस जीप के मुताल्लिक कर दी जाय। इस पर जो अनुदान मिल रहा है, इन डीजल जीपों पर पूरे कीमत का अनुदान 1/4 कर दिया जाय, अगर वाकई हरिजनों

[श्री पुरुषोत्तम दास]

का विकास चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। मान्यवर, आज कल जैसे डीजल की मरसरीज गाड़ियां निकली हुई हैं, उसी तरह से ट्रकों के लिए पूरी कीमत का 1/4 अनुदान कर दिया जाय। अनुदान के रूप में छूट दे दी जाय। साथ ही साथ मेरा यह निवेदन है कि जो बसें चला करती हैं। बसों के परमिट कहीं कुछ नाम मात्र के लिए शायद कहीं-कहीं पर एक आध हरिजन को मिले हैं। तो बसों के परमिट में इन लोगों को सुविधा दी जाय और बसों के परमिट हरिजनों को दिलवाए जायं। ताकि यह लोग कुछ अपनी व्यवस्था कर सकें और अच्छी तरह से रह सकें। श्रीमन, साथ-साथ मैं यह कह दूं कि धोबी जाति भी हरिजनों में आया करती है। इनका व्यवसाय बिल्कुल खराब होता चला जा रहा है। बड़ी बड़ी लांडरियां, वाशिंग कम्पनियां खुलती चली जा रही हैं। तो जहां जनता सरकार छोटे-छोटे लोगों को प्रोत्साहन देने की बात कहती है,मैं चाहता हूं कि इनको लांडरियां लगाने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की जाय। वाशिंग मशीनें खरीदने के लिए अनुदान दिया जाय ताकि ये लोग मशीनों को लगाकर बड़े-बड़े लोगों के मुकाबले कुछ अपनी व्यवस्था कर सकें और अपनी जीविका उपार्जन कर सकें। मेरा निवेदन है कि इस तरफ ध्यान देकर इनके लिए कुछ किया जाय।

मान्यवर, सोडे और साबुन की एजेंसियां दूसरे लोगों को दी जाती हैं। यह खासतौर से जो हरिजन लेना चाहते हैं उनको अवश्य दी जायं। इनको यह फैसिलिटी दी जाय ताकि इनका उत्थान हो सके इनकी प्रगति हो सके। अभी यहां पर कहा गया कि बतायें कि कहां पर हरिजनों को लोटा नहीं छूने दिया जाता है। मैं अपने क्षेत्र में इसकी मिशाल दे सकता हूं। मैं नाम भी बता सकता हूं। यह भी चीज कही गयी कि हरिजनों को वोट देने से रोका नहीं गया है। मैं कहना चाहता हूं कि बबुरा, छानवे के इलाके में हरिजनों को वोट देने से रोका गया कि आप वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा ऐसा और स्थानों पर किया गया है। मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं, इलाहाबाद में, पुलिस चौकी शाहगंज में एक सब इन्सपेक्टर श्री त्रिवेणी सिंह हैं जो हरिजनों पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर कोई हरिजन इनके सामने पड़ जाता है तो उसको पीटते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसकी जांच कराई जाय और उचित कार्यवाही की जाय। इनका अन्याय दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा गुण्डों से तंग करवाते हैं और केस चलाते हैं। इस तरह से हरिजनों को परेशान किया जाता है। इसकी जांच तत्काल करके उचित कार्यवाही की जाय।

श्रीमान, एक निवेदन और करना चाहता हूं। खरिहट खुर्द में हरिजनों ने कर्जे लिए हैं। मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी निवेदन किया था। मान्यवर, वहां के अधिकारियों से कहा जाय कि जब तक खरीफ की फसल तैयार न हो जाय तब तक ऋणों की उनसे वसूली न की जाय। क्योंकि वह घर छोड़कर भागे-भागे फिर रहे हैं इनके ऊपर वारन्ट कटे हैं। तो मेरा सरकार से कहना है कि इनके ऊपर जो कर्जे हैं उनको जबतक खरीफ की फसल तैयार न हो जाय तब तक इनको रुकवा दिया जाय ताकि इनका कल्याण हो सके।

(श्री कौशल किशोर का नाम पुकारने पर तथा श्री हरी सिंह के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरी सिंह जी, आप बैठें।

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)—

मान्यवर, इनको बोलने दीजिए। हरिजनों की समस्या पर बोलेंगे. . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री कौशल किशोर (जिला जालौन)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। भारतीय संविधान में हरिजन शब्द नहीं है। इसलिए हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग का नाम अनुसूचित तथा जनजाति कल्याण विभाग रखा जाना चाहिए। हरिजन विभाग के द्वारा छात्रावास बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। पैसा तो दिया जाता है लेकिन छात्रावास बनाने के लिए कहीं भूमि नहीं बताई जाती है। न वहां जिला अधिकारी जिलों में आवास के लिए कोई भूमि देते हैं। मान्यवर, जालौन जनपद में 1974 में बहुगणा जी ने छात्रावास की स्वीकृति दे दी थी परन्तु उसका उद्घाटन इसलिये रद्द कर दिया गया कि जिला अधिकारी ने कहा कि जमीन कैंसिल कर दी गयी है। हरिजनों को कुओं के लिए पैसा दिया जाता है। उसकी सामुदायिक विकास विभाग द्वारा न देकर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाना चाहिये। गतवर्ष जो ऋण का वितरण हुआ है वित्त निगम के द्वारा वह भलीभांति नहीं किया गया। इसलिए ऋण वितरण की योजना समुचित बनाई जाय।

मान्यवर, लघु उद्योग, जिनमें चमड़ा, साबुन बनाने, दरियां बनाने, भेड़-बकरी पालन आदि की योजनाएं हैं उनमें पैसा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए ऐसे कोई साधन नहीं है कि उनकी देख-रेख की जा सके कि जिन हरिजनों को पैसा दिया गया है वह उनको पैसा पहुंचा है कि नहीं? उसका सदुपयोग उन्होंने किया है कि नहीं?

मान्यवर, इसी प्रकार प्रत्येक जिले में जो छात्रावास चलाए जा रहे हैं वह हरिजन विद्यार्थियों के हित में न होकर निजी हित में हो गए हैं। हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके मैनेजर, जो संस्थाएं चला रहे हैं, पैसा ले लेते हैं लेकिन हरिजन विद्यार्थियों को उतना लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं जितना कि होना चाहिए।

मान्यवर, जालौन जनपद में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार है। वहां कैश-बुक गायब कर दी गयी थी जिसकी शिकायत तत्कालीन मन्त्री महोदय को भेजी गयी थी लेकिन उसमें इंक्वायरी हुई और उसके बाद उसमें कुछ नहीं हुआ। जिलाधीश महोदय, श्री डी० के० मित्तल ने उस केस को दबा दिया। इसलिए इसमें जांच होनी चाहिए। हरिजनों के नाम पर पैसा लेकर जो संस्थाएं जैसे बाल विद्यालय, आवास की योजनाएं जिनमें 14 हजार रुपए सैंक्शन किया गया लेकिन बाद में उन योजनाओं में कुछ नहीं हुआ और पत्रावली गायब कर दी गयी। कर्मचारियों को सस्पेण्ड किया गया लेकिन दुबारा फिर उनको रिइन्स्टेट कर दिया गया। इस तरह तमाम अव्यवस्थाएं हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में व्याप्त हैं। उनका सुधार इसलिए नहीं हो सका कि वहां विभाग में जिला हरिजन अधिकारी नहीं हैं, उनका ट्रान्सफर हो गया है और उनकी जगह पर दूसरा अधिकारी नहीं पहुंचा है। जालौन में एक वर्ष से यह पद रिक्त पड़ा है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस पर शासन ध्यान दे।

[श्री कौशल किशोर]

मान्यवर, जो आवास बनाने के लिए निगम बना हुआ है उसका विकेन्द्रीकरण करके जिले में पहुंचाना चाहिए। जिला अधिकारी के माध्यम से आवासों को बनाया जाय। सफाई मजदूर स्वायत्त शासन विभाग में लगे हुए हैं। उनकी जो कालोनी बनाई जाती है उनके आवास के लिए हरिजन विभाग द्वारा देख-रेख विशेष रूप से की जाय। सफाई मजदूरों के रहन-सहन के लिए, उनकी बस्ती की सफाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना चलाई जानी चाहिए। सफाई मजदूरों की शिक्षा की विशेष सुविधा दी जाय जो अनसूचित जाति के लड़के मेरिट लिस्ट में आते हैं चाहे वह हाई स्कूल में हों या बी0ए0 में उनको प्रेरणा के लिए वजीफे की धनराशि सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में बढ़ाई जाय चाहे 2 या 4 प्रतिशत ही बढ़ाई जाय। इस तरह जो सेकेन्ड या फर्स्ट डिवीजन में पास होते हैं, यदि उनको सामान्य छात्रों से अधिक वजीफा मिलेगा तो उनमें कम्पीटीशन की भावना बढ़ेगी। इसलिए शासन ऐसी व्यवस्था करे कि जो मेहनत करते हैं उनको प्रेरणा के रूप में विशेष सुविधा दी जाय। समाज के ऐसे लोग जो अन्य जातियों से सम्बन्धित हैं उनको अनसूचित जाति में रखा जाय जिससे उनमें भावना पैदा हो पढ़ने की और प्रतियोगिता में आने की। यदि यह सुविधा मिल जाय तो अच्छा होगा। अन्त में मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं।

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, तीन महीने हो गए मुझे समय नहीं मिला। लोग दो-दो बार बोल रहे हैं।

*श्री हरी सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे हरिजन विभाग के अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया। मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं। वह नौजवान और योग्य मन्त्री हैं और हमें आशा है कि अब इस विभाग में ज्यादा से ज्यादा उन्नति होगी क्योंकि जनता पार्टी का अनुशासन भी रहेगा। कांग्रेस के भाइयों को दस साल देख लिया कि उन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए क्या किया। बापू गांधी ने जिस विष को समाप्त किया उसी को इन लोगों ने फिर से फैला दिया। यह विष इस तरह फैलाया कि इन्होंने मजदूर और किसानों को लड़ा दिया। यह किसान और मजदूर का संघर्ष इन्हीं कांग्रेसियों की देन थी। जो सरकारी जमीन थी उसको इन लोगों को देना चाहिए था लेकिन वह जमीन न देकर इन्होंने किसानों की जमीन लेकर दी और इस तरह से किसान और मजदूरों को लड़ाया। यह इनकी अंग्रेजों की डिवाइड करने वाली पालिसी रही। यह पालिसी क्यों रही, क्योंकि हम जानते हैं कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और अब कलयुग में भी इनके साथ अन्याय हुआ। वेदव्यास जी ने वेद लिखे। श्रीमन्, यही नहीं बाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। लेकिन उनको काम दे दिया सफाई का और उनको दे दिया चमड़ा उठाने का। वाह रे सरमाएदारों। मान्यवर, इसी कारण देश गुलाम रहा। मुसलमानों ने राज्य किया, अंग्रेजों ने राज्य किया। जब आजादी मिली तो पूज्य अम्बेदकर ने संविधान बनाया। हरिजनों की तरक्की की बात कह कर यह लोग आज तक झूठ बोलते रहे.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, क्या झूठ शब्द संसदीय है ?

श्री पुरुषोत्तम दास—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरी सिंह जी आप थोड़ा धीरे बोलें ।

श्री हरीसिंह—

गंगा प्रसाद जी बैठे हैं। डेबर भाई आए थे। हमने कहा कि यह रिजर्वेशन खत्म हो। इसमें झूठ बोला जाता है और यह पूरा होता नहीं। किसी विभाग में पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह बात सही है। लेकिन हम तो अपने स्वार्थ के लिए यह करते हैं ताकि हरिजन नुमायन्दे जीत कर आयें और हमारी मिनिस्ट्री बने। और यही हुआ काँग्रेस की मिनिस्ट्री हरिजनों के बल पर बनती रही। मिश्र जी, आप देखिए आपने हरिजनों के लिए क्या किया ? पाँच फी सदी भी रिजर्वेशन पूरा नहीं किया। हरिजनों का खून चूसने वाले चाहे इधर के हों या उधर के हों, झूठ बोलते रहे हैं। आप हरिजनों का उद्धार नहीं कर सकते। इन्होंने वह काम किया कि किसान और मजदूर को लड़वा दिया। इन्होंने, इनके नताओं ने जुल्म किया। सरकारी जमीन एक इंच भी नहीं दी। रिजर्वेशन पूरा नहीं किया। पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। इस हाउस में भी योग्य से योग्य मौजूद हैं लेकिन एक या दो मन्त्री हैं जबकि 5–6 होने चाहिए थे। सदन में सब से ज्यादा नवयुवक हमारे मौजूद हैं। छोटे-छोटे उद्योग खोले जाने चाहिए थे जिससे बेकारी दूर होती लेकिन नहीं खोले गए। यही नहीं बल्कि और यह काम किया गया कि ब्लाक के मारफत हरिजनों के लिए . . . .

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरी सिंह—

हरिजन विभाग में परिवर्तन हो और वहाँ पर हरिजन रखे जायं तभी कार्य हो सकता है। छोटी इंडस्ट्रीज बनें और. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत मेहनत कर रहे हैं . . .

श्री हरी सिंह—

प्रदेश का बटवारा करें। हम प्रदेश में नहीं रहना चाहते। लूट-लूट कर खा गए और अब कुछ नहीं है। इसलिए इसका बंटवारा करें।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय क्योंकि 12 बजे से 1 बजे तक का समय व्यर्थ गया ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं बढ़ाया जा सकता ।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्री राम सिंह)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आधे घंटे से ज्यादा आज समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। आज कुछ ऐसा है कि मुजफ्फर हसन साहब के वहाँ भी बहुत से लोगों को जाना है इसलिए मेरा अनुरोध है कि आधा घंटा बढ़ाया जाय।

प्रश्न यह है कि सदन का समय आज आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, लाउड-स्पीकर इस सदन का ऐसा है कि बात साफ सुनाई नहीं देती। इसलिए. . .

श्री अध्यक्ष—

देव बहादुर जी, यह हमारे नोटिस में आ गया है। इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण) (क्रमागत)

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे शासक दल की तरफ से कुछ सदस्यों को बड़ी परेशानी हो जाती है जब सदन में हरिजनों की बात आती है। आज इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रदेश में हरिजनों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। माननीय सदस्य न माने लेकिन जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री चन्द्र शेखर और लोक नायक जय प्रकाश और बाबू जगजीवन राम के भाषण आते हैं जिनसे साफ हो जाता है कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। मान्यवर, मैं हरिजन समाज कल्याण मन्त्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वह सुझाव यह हैं। अभी तक हरिजनों के लड़कों की शिक्षा के लिए फीस की सुविधा और छात्रवृत्तियों की सुविधा चली आई है बहुत सालों से लेकिन कोई योजनाबद्ध कार्य-क्रम इसके लिए नहीं है।

मेरा सुझाव यह है कि हरिजनों में आपसी मतभेद दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 50 लड़के और 50 लड़कियां जिनमें हर बिरादरी से वह सम्बन्ध रखते हों जैसे पासी, चमार, धोबी, धानुक, कंजर आदि उनके लिए एक स्कूल की योजना बनाई जाय और उनके सारे खर्च सरकार बर्दाश्त करे जैसे आवास, कपड़ा, किताबें, खाने आदि के व्यय और वे सब एक साथ बैठ कर खाएं और रहें। जिससे उनका आपसी मतभेद दूर हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब हम यह बात करते हैं कि सवर्ण लोग हमको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कुवों में पानी नहीं पीने देते, अस्पृश्यता अब भी बरत रहे हैं तो यह जो सुझाव मैंने दिया है यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम हरिजन कम से कम एक साथ रहे। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक स्कूल चलाएं जिसमें 100 लड़के व लड़कियों हों और उनका सारा खर्चा सरकार बर्दाश्त करे। इस तरह हर साल 5 हजार लड़के व लड़कियाँ आप तैयार करेंगे और 10वीं क्लास के बाद आप यूनिवर्सिटी में इसी तरह के क्लासेज खोलें और 20 साल के अन्दर कम से कम 1लाख हरिजन ऐसे तैयार हो जायेंगे। आपके प्रदेश के अन्दर जो आई0पी0एस0, आई0ए0एस0 तथा अन्य प्रतियोगिताओं में बैठने में सक्षम हो सकेंगे। इस तरह से सही मानों में आप उनका उद्धार कर सकेंगे। इस तरह की कोई योजना अभी तक नही चली है। मैं आश्वासन चाहूंगा कि सरकार इस तरह की कोई योजना कार्यान्वित करेगी।

हरिजनों के सम्बन्ध में जाँच के लिए एक विशेष सेल कायम किया गया है, वह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जहाँ कहीं विशेष जाँच के अधिकारी गए हैं उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया है लेकिन बाद में वह जाँच स्थानीय पुलिस को दे दी जाती है या अधिक किया तो सी0आई0डी0 के सर्किल इन्सपेक्टर पद के अधिकारी को वह जाँच दे दी जाती है जिससे बाद में ग बड़ी होती है। चूंकि अधिकारी विशेष सेल के पास कम हैं इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हर डी0आई0जी0 के रेंज में एक ऐसा क्षेत्राधिकारी डी0एस0पी0 रैंक का हो जो हरिजनों के मामलों की जाँच किया करे। इस तरह से जो इन्वेस्टीगेशन प्रणाली है वह विशेष जाँच द्वारा हो तो अधिक कल्याण हो सकेगा।

अब मैं आरक्षण की तरफ आता हूं। कांग्रेस सरकार भी कहती आई और आप भी कहते हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया। गजटेड पदों को छोड़ दीजिए, चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं चपरासी, बेलदार, कामदार तथा लिपिक उनमें तो आप उनका आरक्षण कम से कम पूरा कर ही सकते हैं। लेकिन खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि दो-एक जिलों की बात मुझे मालूम पड़ी है कि कुछ अमीन व चपरासी वहां हटाए गए हैं और उनमें हरिजन भी हैं जबकि मुख्य मन्त्री जी की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि जहां 18 फीसदी कोटा पूरा न हुआ हो वहां हरिजन कर्मचारियों को न हटाया जाय। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

समाज कल्याण के सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, विकलाँगों तथा अंधे छात्रों को सहायता देते हैं लेकिन उनको जो फार्म दिए जाते हैं उनमें यह आवश्यक है कि किसी लोक सभा अथवा विधान सभा के सदस्य के पास जाकर मोहर लगवावे। तहसीलदार से तसदीक करायें कि वह किसी के उपर आश्रित तो नहीं है, उसके पास कोई भूमि तो नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसको आप अपनी मशीनरी से करवायें। तब सही माने में उपकार हो सकेगा। मैं आशा करूंगा कि मत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप समाप्त करें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

मान्यवर, दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। खीरी में थारू एक जाति है तहसील निघांसन में। मुझे खुशी है कि 40 लाख रुपया 1977-78 के लिए सरकार ने उसके लिए रखे हैं। उसमें 41 गांव हैं। लेकिन उन्हें अभी तक रेवेन्यू विलेज नहीं घोषित किया है जिस कारण से उनको यह सुविधा नहीं मिल पाती है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी रेवेन्यू विभाग से कोशिश करें कि उनको मान्यता मिल जाय।

अन्त में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि क्योंकि समय कम है, अध्यक्ष महोदय को दूसरों को भी समय देना है। आप हरिजनों के मामले में खिलवाड़ न करें, यह कमजोर वर्ग हैं उनके पास कोई साधन नहीं है, आप जिसको जमीन दे नहीं सके हैं, उनके साथ आप सहानुभूति करें। मुझे इस अवसर पर एक रहीम का दोहा याद आ गया जो इस प्रकार है —

रहिमन हाय गरीब की, हरि सौं सही न जाय,
मुई खाल की साँस सौ, सार भस्म हो जाय।

अगर आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो यह जो तबका है इसका आप को श्राप लगेगा और आप बरदास्त नहीं कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ में जो कटौती का प्रस्ताव हमारे कांग्रेस सदस्यों ने रखा है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे हरिजन ग्रांट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, सुबह से बहुत से सदस्यों की तरफ से सुझाव आए और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए और जो इसमें कमियां थीं उनको बताया। मैं उनकी तरफ दुबारा मन्त्री जी का ध्यान नहीं दिलाऊंगा और कुछ मूल सुझाव दूंगा। जो हमारा संविधान बना उसमें उनके लिए रिजरवेशन रखा गया वह 10 साल के लिए रखा गया ताकि इस अवधि में वह बराबरी में आ जायेंगे लेकिन 10 साल बीते और उसके बाद रिजरवेशन को बढ़ा कर 20 साल किया गया। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग बराबर तो नहीं जहां के तहां रहे और पिछले तीन चार सालों मे यह स्थिति हो गई कि हम लोगों में एक पूर्ण वर्ग संघर्ष पैदा हो गया हम दूसरे लोगों से अलग हो गए जोकि नहीं होना चाहिए। जिस रिजरवेशन का उद्देश्य यह था कि यह लोग नौकरियों में आकर आर्थिक दृष्टि से बराबरी में आ जायेंगे, उनमें समानता आ जायेगी लेकिन वह नहीं हुआ।

मैं इसी सम्बन्ध में दो तीन सुझाव रखना चाहता हूं और माननीय मन्त्री जी और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो समस्या है इसका निदान किस प्रकार होगा। यहां सुझाव दिया गया कि जो संस्थाएं हैं जिनमें जाति सूचक शब्द लगे हैं उनको समाप्त कर दिया जाय जिनसे कि जाति प्रथा को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा यह बात भी कही गई कि जो नाम के आगे जाति सूचक शब्द लिखे जाते हैं उनको भी समाप्त किया जाय। अखबारों में माननीय चौधरी चरण सिंह का वक्तव्य आया कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाति सूचक शब्द हटना चाहिए और जो शादियाँ हों वह अन्तर्जातीय हों और ऐसे लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाय। लेकिन इससे भी आगे मेरा एक सुझाव है जिसमें न तो सरकार का कोई पैसा खर्च होता है और न इससे किसी आदमी को आपत्ति होगी और न कोई परेशानी होगी। मेरा सुझाव यह है और वह सुझाव ऐसा है जो हमारी मूल संस्कृति है, देश की सभ्यता और संस्कृति है, उसके अनुरूप है। पहला मेरा सुझाव यह है कि जब प्राइमरी स्कूल में ल का दाखिल हो उसका नाम एक शब्द का होना चाहिए। जैसा वेद शास्त्र वगैरह में है। पुराने जमाने में एक शब्द का नाम था, कहीं दो शब्द का नाम नहीं मिलेगा। जैसे राम, कृष्ण, भीम, नकुल, सहदेव व चाणक्य आदि। जब नाम बने हुए, दो-तीन शब्द के हुए, कोई शर्मा लिखने लगा, कोई वर्मा लिखने लगा, कोई तिवारी लिखने लगा आदि-आदि तो समाज में तमाम किस्म की बुराइयां आनी शुरू हो गयीं। जाति सूचक शब्द लगाने के बाद बात साफ हो गयी, इसमें पक्षपात की काफी गुंजायश हो जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब प्राइमरी स्कूल में लड़का दाखिल हो, उसका नाम एक शब्द का होना चाहिए। इस समय जो दो-तीन शब्द के या जातिसूचक नाम लिखे जा रहे हैं, वे वैसे ही लिखे जाते रहें, इसमें कांट-छांट करने की कोई जरूरत नहीं है, लकिन अब से प्रारम्भ से सुधार इस दिशा में किया जाए। यदि यह हो गया तो सौ-दो सौ वर्षों बाद यह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन किस जाति का है। एक शब्द का नाम रहेगा तो वही पुरानी परम्परा, वही पुराना ढंग अपने देश में स्थापित हो जायगा। जाति प्रथा हमारे समाज में बहुत बाद में पैदा हुई है। उसको समूल नष्ट करने के लिए मेरा यह सुझाव है।

दूसरा सुझाव यह है कि जो हमारे यहां प्राइमरी स्तर पर शिक्षा का सिस्टम है वह तरह-तरह का है, उसके लिए तरह-तरह के स्कूल हैं। यह तरह-तरह के प्राइमरी स्कूलों का तरीका ही इसमें दोषपूर्ण है। कोई मांटेसरी स्कूल है, कोई नगरपालिका का प्राइमरी स्कूल है और कुछ शिशु भारती खुल गए हैं। तो बहुत से तरीके की एजूकेशन देश और प्रदेश में है। यदि उनका सबका प्राइमरी स्कूल तक का एक सा स्टेन्डर्ड कर दिया जाय, तो असमानता की भावना काफी हद तक दूर हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहां जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, उनमें धनीमानी वर्ग के लड़के ही पढ़ सकते हैं, जिनके गार्जियन की इन्कम काफी है, उनमें गरीब आदमी के लड़के नहीं पढ़ सकते हैं। देखा गया है कि उन स्कूलों में जब चपरासी या छोटे वर्ग के लड़के प्रवेश हेतु जाते हैं, तो वह वहां से कहा जाता है कि यह हमारे साहब के लड़कों के लिए स्कूल हैं। यदि सभी ऊंच-नीच और छोटे बड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के लड़के एक स्कूल में एक साथ पढ़ने जायेंगे, तो मुझे यकीन है छोटे स्कूलों में जो बैठने की व्यवस्था के सम्बन्ध में, टाट पट्टियों के सम्बन्ध में दुर्दशा है, वह दूर हो जाएगी। लेकिन आज उन छोटे और गांव के स्कूलों की तरफ देखने वाला नहीं है, क्योंकि अधिकारी लोगों के बच्चे तो उन स्कूलों में न जाकर बड़े-बड़े अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाते हैं। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी है। किन्तु मैं अपना तीसरा सुझाव भी दे डालना चाहता हूं।

तीसरा, मेरा सुझाव यह है कि जिसे आज हमारी पार्टी भी कहती है, पिछली सरकार ने जो जमीनों का आवंटन किया, उससे गरीबी मिटाने की कोशिश की, वह भी

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

एक प्रयोग था, जिसे कागज पर किया गया और जो फेल हो गया और फेल होना चाहिए था। इसमें मेरा सुझाव यह है कि ग्रामों में छोटे उद्योग लगाए जायं और जो अपने प्रदेश में पिछले बार वित्त निगम खुला है, उसका भी आप सर्वेक्षण करा लीजिए, उसका रुपया चन्द लोगों के पास गया है, उससे गरीबों का कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए छोटे उद्योग लगाए जायं और उन्हें इस हेतु कच्चा माल भी मुहैय्या कराया जाए, चाहे कोआपरेटिव बेसिस पर या अन्य किसी सरल तरीके से और उसके बाद तैयार पक्के माल को सरकार अपने माध्यम से खुले मार्केट में बिकवाने की व्यवस्था करे, जिससे उन्हें बड़े मिलों से बाजार में कोई मुकाबला न करना पड़े। यदि उन्हें उनसे मुकाबला करना पड़ेगा तो वे चल नहीं पाएंगे। तीस साल में बहुत सी फैक्टरियां जो खुली हैं, बन्द पड़ी हैं। बुलन्दशहर में तीन-चार चमड़े के उद्योग लगे। वह फेल हो गए। बड़े उद्योगों के मुकाबले पर छोटे उद्योग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। सरकार ध्यान दे कि छोटे उद्योग खुलें। गरीब आदमी जो हरिजन और दूसरे लोग हैं उनको रोजगार देने का तरीका बनाया जाय, नकि यह कि लोगों को छोटी सी जमीन दे दें और गरीबी मिटेगी यह कोरा नारा था। जमीन कोई रबड़ नहीं है जिसको खींच कर बड़ी कर दें और गरीबी मिटा दें। इन शब्दों के साथ मैं जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं।

श्री बनारसी दास चांदना (जिला गाजियाबाद)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं जो आज आपने मुझे समय दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आभार न प्रकट कीजिए। आभार की जरूरत नहीं है।

श्री बनारसी दास चांदना--

बजट हो या कोई और विषय हो रोजाना हरिजन समाज की चर्चा चलती है। जो हरिजन समाज का यह जिक्र आता है कहीं झूठा जिक्र आता है कहीं किसी तरह का। अभी हमारे माननीय सदस्य ने आगरा की मिसाल दिया, मेरठ का भी नाम लिया। यहां पर जो भी जिक्र आता है मैं तो यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला और मेरठ जिले में छपरौली का जो नाम हरिजनों के सम्बन्ध में लिया जाता है वह राजनीतिक कारणों से लिया जाता है। आज मैं यह माननीय सदन को बताना चाहता हूं 11 नवम्बर, 1975 को गाजियाबाद के पास एक गांव मिसिलगढ़ी है जिसको इन्द्रगढ़ी भी कहते हैं जहां पर हरिजन लोगों की आबादी है 95 प्रतिशत। इमरजेन्सी के जमाने में तीन हरिजनों के लड़कों को पेट्रोल छिड़क कर बिजली के कुयें के अन्दर डाल कर आग लगा दी गयी। यहां उसका जिक्र नहीं हुआ। माननीय मुख्य मन्त्री जी होते तो मैं उनसे कहता। वहां पर पुलिस ने कोई इन्क्वायरी तक भी नहीं की है।

श्री अध्यक्ष--

थोड़ा सा आहिस्ता बोलिए। आवाज गूंजती है।

श्री बनारसी दास चांदना--

वहां पर तीनों लड़के, जिनमें दो सोलहवीं में पढ़ते थे और एक इन्टर क्लास में, जिस गांव में रहते थे, वहां पर भूतपूर्व कृषि राज्य मन्त्री का मकान है, फार्म है और उनकी

सगी भतीजी है। उस मन्त्री ने जाल रचा और उन गरीबों की कहीं भी इंक्वायरी सी0 आई0 डी0 या किसी से नहीं होने दी। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि जो मेरे साथ इस समय बैठे हुए हैं, आज हरिजनों का कुत्ता भी मर जाय तो हमने अखबारों को आजादी दे दी है वह निकल जायगा। लेकिन आपने जलवा दिया, कहीं भी चर्चा नहीं हुई। इसी तरह कानपुर के अन्दर एक हरिजन लड़का था। वहां पर छुआछूत का मामला था। चकबन्दी में एक छोटे कर्मचारी का ए0 सी0 ओ0 चकबन्दी गवाह बन गया। तो वहां पर लोगों ने उसको जाल में फांस लिया, उसकी मेज पर पचास रुपए रख कर, एक वर्ष हो गया चार्जशीट भी उसको नहीं दी गयी। उस इमरजेन्सी के अन्दर उस गरीब की कोई सुनवाई नहीं की। इसी तरह से अनेकों गांवों के रिकार्ड मेरे पास हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। गांवों की जनसंख्या 85 प्रतिशत है और उसमें से 40 प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जिसमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, तेली आदि की है। 30 साल पहले ये लोग अपना-अपना धन्धा करते थे और अपनी रोटी कमाते थे। लेकिन धीरे-धीरे इन लोगों ने अपना साधन छोड़ दिया है और किसान के पीछे पड़ गए हैं। ये लोग यह आशा लगाए हुए हैं कि किसान की जमीन इनको मिल जावे। इन लोगों ने लखनऊ और दिल्ली के महल तो देखें नहीं, ये लोग वहीं पर किसान के दुश्मन बने हुए हैं। इस प्रकार से ये लोग अपना धन्धा भी छोड़ दिए हैं और किसानों से जमीन भी नहीं मिल पायी है और बेरोजगार हो गए हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजन विभाग के जो दफ्तर होते हैं वह अच्छी जगह पर नहीं होते हैं उनमें सफाई नहीं रहती है।

एक दूसरा सुझाव मैं माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं कि इस विभाग के द्वारा भी कुछ स्कूल चलाए जाते हैं और उनमें जो अध्यापक होता है वह बी0 टी0 सी0 होता है लेकिन उसकी तनख्वाह 158 रु0 ही मिलती है जब कि दूसरे विद्यालय जो जिला परिषद के हैं, जिनमें कि वही बी0 टी0 सी0 अध्यापक को 275 रु0 वेतन मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का भेद भाव क्यों किया जा रहा है? तो जो विद्यालय इस विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। उनमें जो अध्यापक हैं उनका भी वेतन 275 रु0 कर दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर अधिक बहस जारी नहीं रखी जा सकती है।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है और जो सम्मानित सदस्यों ने अपनी राय दी है उसमें करीब 4–5 चीजें एक सी हैं। पहली चीज यह कि जो बजट में रूपए का प्राविधान किया गया है वह बहुत ही कम है। यह कम से कम 25 करोड़ का होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हरिजनों की तरक्की के लिए 40 लाख रुपया रखा गया है। इसमें आम सहमति है कि यह कम है और तीसरी आरक्षण की बात है जो सेवाओं में आरक्षण किया जाता है। वह कम है तीसरी बात मैं विशेष रूप से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा]

यह कहना चाहता हूँ कि तत्कालीन गवर्नमेन्ट की तरफ के आरक्षण के लिए जो अभी हाल में विज्ञप्ति हुई, उनमें भी आरक्षण को पूरा नहीं किया गया, विशेषरूप के ए0 एस0 टी0 ओ0, हेड क्लर्क्स के लिए भी आरक्षण नहीं पूरा किया गया। सर्किल इंस्पेक्टरान के लिए, डी0 वाई0 एस0 पी0 के लिए जो पदोन्नति की गई, उसमें भी आरक्षण पूरा नहीं हुआ। तो उन आरक्षणों को पूरा किया जाए।

मान्यवर, हरिजन समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों के लिए इस बजट में कोई भी प्राविधान नहीं किया गया है। न कोई सुविधायें घोषित की गईं।

हरिजनों के लिए 18 प्रतिशत कोटा मुकर्रर है। अब कम से कम जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय होना चाहिए। हरिजन उत्पीड़न में वृद्धि हुई है तो कम से कम उनको असुरक्षा की भावना से मुक्त करा कर सुरक्षा दिलाना अत्यन्त आवश्यक है।

हरिजनों की स्थिति आज जनता पार्टी में क्या है? समस्या को राजनीतिक न बनाकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप में देखना चाहिए। हरिजन कर्मचारियों तथा प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आज असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है। इस बात को भी आप को देखना चाहिए।

एक बात मान्यवर, मैं विशेषरूप से कहना चाहूंगा कि हरिजनों की स्थिति आज क्या है मैं समझता हूं मैं माननीय मन्त्री जी से यह बात विशेषरूप के कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी में मन्त्री जी की भी कुछ चल पा रही है या नहीं चल पा रही है। मैं कल ही की एक घटना बता रहा हूं। एक सब इंस्पेक्टर जिसको एक षड्यन्त्र में देहरादून के लोगों ने फंसा दिया। उस हरिजन सब-इंस्पेक्टर ने चार महीने हो गए यह लिखा है कि मुझे देहरादून न पोस्ट किया जाए। मुझे अन्यत्र कहीं पोस्ट कर दिया जाए। मन्त्री जी ने तीन बार डी0 आई0 जी0 को फोन किया। कल माननीय मन्त्री जी ने शिकायत की कि भाई मेरी बात को कोई सुन नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब माननीय मन्त्री जी की बात जनता पार्टी के बीच होते हुए नहीं सुनी जा रही है, एक सब-इंस्पेक्टर को मन्त्री जी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो प्रदेश के अन्य हरिजनों का क्या हाल होगा?

यदि माननीय मन्त्री जी मेरे द्वारा रखे गए सुझावों पर ध्यान देने तथा हरिजनों को सुरक्षा देने की घोषणा करें तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले सकता हूं।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)——

मान्यवर, एक प्रश्न औचित्य का है। नियम 300 के अन्तर्गत कार्य-विन्यास पुस्तिका में देखें। मान्यवर, जो पुस्तिका दी हुई है उसमें ऊपर कवर पर 'हरिजन' लिखा हुआ है परन्तु अन्दर लिखा है "उत्तर प्रदेश में अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विमुक्त जाति के उत्थान का कार्य 1948 से प्रारम्भ किया गया"। तो मान्यवर, हम आभिजात्य वर्ग के लोग या अन्य वर्ग के लोग क्या "हरिजन" नहीं हैं? मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न कार्य-विन्यास का नहीं उठता है। आप नियम 300 देखिए कार्य विन्यास का प्रश्न तब उठाया जाता है जब विषय शुरू किया जाता है। जब हरिजन विभाग के अनुदान

पर बहस आरम्भ हुई, अगर तब उठाते तो उस समय कुछ विचार हो सकता था। आप बैठिए।

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विभाग से सम्बन्धित ग्रांट पर अपने अमूल्य विचार व्यक्त किए हैं, जो अमूल्य सुझाव दिए हैं, उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। इससे पहले मैं विस्तार से उन सब बातों के बारे में चर्चा करूं मैं सेहरा जी ने जो व्यक्तिगत बातें मेरे सम्बन्ध में कही हैं, उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। उसका नाम है गोपी चन्द्र वर्मा जिस सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ कहा गया कि षडयन्त्र रचा जा रहा है। आपने उसकी खुद की करतूत भी सुनी होगी तो आपको जानकारी हुई होगी कि दोनों तरह की बात किस प्रकार की है। सरकारी कर्मचारी चाहे वह हरिजन कर्मचारी हो अगर उसका दोष है तो हमारा फर्ज यह होता है कि हम दोषी व्यक्ति की मदद न करें। किसी अधिकारी से मैंने बात की और उसने एक्सप्लेन किया कि उसके बारे में यह तथ्य हैं। शायद आपने उस सम्बन्ध में मुझसे बात भी नहीं की लेकिन यह कह दिया कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि जिस कर्मचारी ने यह बात कही, उसने झूठ कही है। वह कर्मचारी जिस प्रकार का है अगर उसके बारे में आपको तफसील में मालूम हो जाय तो आप स्वयं कहेंगे कि उसकी गलती है।

भूमि आवंटन के बारे में यहां पर 2–3 बातें कही गई हैं। उसका इससे सम्बन्ध नहीं है लेकिन चूंकि हरिजन समाज से उसका वास्ता है और माननीय सदस्यों ने सदन में जिक्र किया है, उसके सम्बन्ध में भी मैं 2–3 बातें निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक भूमि आवंटन का प्रश्न है, उसका सम्बन्ध माल विभाग से है लेकिन चूंकि इसमें हरिजनों का मामला आता है और सभी माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है तो मुझे कहना पड़ रहा है। मुझे याद है कि एक बार इसी सदन में एक संशोधन आया था कि भूमि आवंटन में जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है, उसमें परिवर्तन किया जाय और मैंने स्वयं वह संशोधन प्रस्तुत किया था लेकिन वह किन्हीं कारणों से स्वीकार नहीं हो पाया। प्रायोरिटी लिस्ट होने के कारण गांवों में भूमि आवंटित करने वाली जो समितियां हैं, वे उसमें गड़बड़ी करती हैं क्योंकि उसमें डिस्क्रीमिनेशन करने का उनको अधिकार है। वे इस बात का फर्क करती हैं कि "ए" को न देकर "बी" को दी जाय या "बी' के बजाय 'सी' को दी जाय। मेरी राय है कि इस प्रकार की जो प्रायोरिटी लिस्ट बनी है उसके बारे में हमें पुनर्विचार करना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरे भूमि के आवंटन में भी राजनीतिक प्रश्न आ जाता है। उदाहरण के तौर पर गांवों में जो भूमि प्रबन्धक समिति होती है, उसका सभापति गांव का प्रधान होता है तो जो चुनाव में चुन कर आता है। मैं यह नहीं डिफैन्ड करता कि हरिजनों को भूमि न मिले लेकिन एक समस्या आई है और उसकी गहराई में हमें जाना है। प्रधान का चुनाव हुआ, उसको उस व्यक्ति का भी ध्यान है जिसने उसे वोट दी और आगे के चुनाव में भी वोट का लालच होता है। अगर हरिजन प्रधान भी हो तो वह भी आवंटित नहीं कर सकता। हमारे कानून में कुछ कमजोरियां हैं हमें उन कारणों की तलाश करनी

[श्री राम सिंह]

होगी जो इस काम में बाधक हैं। और जब तक इनका निराकरण नहीं होगा तब तक समस्या का हल हम नहीं कर सकते हैं। यह एक राजनीतिक प्रश्न है और जब तक यह समाप्त नहीं होगा तो भेदभाव करने की छूट समाप्त नहीं होगी।

यहां पर यह भी चर्चा चलती है कि जमीनों का कब्जा छुड़वाया जा रहा है। तत्कालीन सरकार ने एक आदेश इस प्रकार का प्रसारित किया था कि ग्राम सभा की जमीन एलाट कर दी जाय चाहे वह चारागाह की हों, खलिहान की हो या तालाब की हो। बाद में इस गलती को महसूस किया गया और फिर संशोधित आदेश पारित किए कि इस प्रकार की सम्पत्ति को चाहे वह तालाब की हो, खलिहान की हो या चरागाह की हो उसको आवंटित न किया जाय। तो जब दूसरे आदेश गए तो अधिकारियों ने जिन जमीनों को आवंटित किया था, ये कब्जे छुड़वाए या एक वर्ष के बाद उस जमीन से उसका स्वयं कब्जा हट गया। इमरजेंसी के दौरान हम जलसों में उसका जिक्र नहीं कर सकते थे और न किसी को कह ही सकते थे। उस समय सदन की कार्यवाही भी गोपनीय थी, छप नहीं सकती थी, तो यह बात हम अगर सदन में कहते भी तो अखबारों में नहीं छपती थी। पहले भी इस प्रकार की घटनाएं होती थीं, इससे ज्यादा होती थीं लेकिन प्रेस सेन्सरशिप के कारण लोगों को मालूम नहीं हो पाता था। आज हमें बोलने की स्वतन्त्रता है इसलिए इस बात की जानकारी सबको है। तो यह समस्या है। इसके समाधान के लिए इसके मूल में जाना होगा, तभी उसका समाधान हो पाएगा।

दूसरा अत्याचार से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में पुलिस सेल है। डी0आई0जी0 इंचार्ज है। कोई घटना ऐसी नहीं बताई जा सकती इस सरकार के चार्ज लेने के बाद, जिस की तत्परता से जाँच न की गयी हो और अगर उसमें कोई कर्मचारी या अधिकारी पुलिस का या किसी अन्य विभाग का दोषी पाया गया हो तो उसके विरुद्ध ऐक्शन न लिया गया हो। घटनाएं हो सकती हैं। पहले भी होती थीं, लेकिन जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से कोई घटना बता दें जिसमें ऐक्शन न हुआ हो तो उसमें शर्म की बात है सभी के लिए और वह महसूस करनी चाहिए। वह डी0आई0जी0, हरिजन सेल, तत्परता से कोशिश करता है जाँच करने की और जाँच करके ऐक्शन लेने की। एक निर्णय इस सम्बन्ध में यह लिया कि प्रदेशीय, जिला और तहसील स्तर पर समितियाँ गठित की गयी हैं जिससे जहाँ-कहीं भी घटना हो तो जिला स्तर पर तुरन्त उसकी जानकारी जिलाधीश को हो और जिलाधीश उसका अध्यक्ष है। प्रादेशिक स्तर पर हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री उसके अध्यक्ष हैं और तहसील स्तर पर तहसीलदार होंगे। तो समितियाँ गठित की गयी हैं, उनके माध्यम से जानकारी होगी कि वाकई उस तरह की घटना घटी है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि बिना किसी चीज को देखे हुए अखबारों में खबरें प्रकाशित हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर सहारनपुर में हरिद्वार की एक घटना अखबारों में प्रकाशित हुई। मैं स्वयं देखने गया। संसद में उसकी चर्चा हुई थी और मैंने यह पाया कि एट्रोसिटीज का मामला जो छपा था वह गलत था। कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर ऊदल जी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के सदस्य वहाँ गए थे। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों और चौहानों में झगड़ा हो गया था, हरिजनों से सम्बन्धित कोई घटना ही नहीं हुई, उसमें हरिजन शामिल नहीं थे जिसकी कि चर्चा हुई। उसकी बाकायदा जाँच हुई थी।

तो एट्रोसिटीज का मामला होता है तो बढ़ा-चढ़ा कर चीजें बताई जाती हैं। इसलिए व्यवस्था की गयी कि जिला स्तर पर उस तरह की कमेटियाँ बनें ताकि जिले में तुरन्त समस्या का समाधान हो जाय।

इसमें जो पीने के पानी के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने समस्याएं रखी हैं, उसका सम्बन्ध भी ग्रामीण जो विभाग हैं उससे है। पर इस विभाग के अन्तर्गत हम पीने के पानी की समस्या पर विचार कर रहे हैं। उस समस्या का क्रियान्वयन वहाँ ठीक तरीके से हो सकता है या नहीं, यह दूसरी बात है लेकिन पीने के पानी के सम्बन्ध में हमारी निश्चित नीति है कि हम ज्यादा से ज्यादा हरिजन बस्तियों में कोशिश करेंगे कि कुएं और नल के द्वारा पानी की व्यवस्था की जाय।

इसके अतिरिक्त कुछ असंगतियों की भी चर्चा की गयी है, जैसे शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, हरिजन कल्याण विभाग के उनके अध्यापकों का जो वेतनक्रम है वह दूसरे समकक्षीय शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के वेतनक्रम से कम हैं, उनका अधिक है। इसी तरह से हरिजन कल्याण विभाग के सुपरवाइजर हैं, उनका वेतन उनके दूसरे विभाग के समकक्षीय सुपरवाइजरों से कम है, दूसरों का अधिक है। इस तरह की असंगतियों की चर्चा की गयी। इन पर शासन विचार करेगा कि किस प्रकार हम उनको दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये वित्तीय मामले हैं। इनमें एक दम से निर्णय करना सम्भव नहीं है और न मैं एक दम एलान कर सकता हूं कि क्या निर्णय लगे, लेकिन बहरहाल ये चीजें हैं।

हरिजन कल्याण अधिकारी के बारे में भी चर्चा की गयी कि उसका स्तर बहुत कम है अन्य अधिकारियों के मुकाबले में। ठीक है, 30 वर्ष के बाद भी हम यह महसूस करते है कि वास्तव में कम है और दूसरे विभाग के अधिकारी उसको बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं। इस विभाग के दूसरे हरिजन अधिकारी-कर्मचारी "हरिजन" शब्द के आने से हेय दृष्टि से देखे जाते हैं, उसी तरह से उसको हेय दृष्टि से देखते हों, यह सम्भावना हो सकती हैं। तो इस तरह की व्यवस्था करने का विचार है कि किस तरीके से हम प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ कर सकें जिससे वह चुस्ती और हिम्मत के साथ उन सब चीजों पर कार्यकर सकें। जीप का मसला तो ऐसा है कि जीप देने से सारा सुधार हो जायगा ऐसी बात नहीं है क्योंकि जीप बहुत से अधिकारियों के पास है फिर भी सुधार नहीं हो पाता। तो जो प्रशासनिक ढांचा है सरकार का उसको हम किस तरह से कुशल बना सकते हैं ये सब बातें हमारे विचाराधीन हैं। एक दुर्भाग्य की बात इस विभाग के साथ यह रही कि कोई सेवा नियमावली इस विभाग की नहीं है जिसके कारण अधिकारियों और कर्मचारियों को कमजोरी महसूस होती हैं कि उनकी सेवा की क्या गारन्टी है। तो हमने यह तय किया है कि सबसे पहले हम विभाग के लिए सेवा नियमावली बनायें ताकि एक रास्ते पर उसको चला सकें।

आरक्षण के सम्बन्ध में एक बात जो आपने अभी कही थी यह सही है कि किसी भी विभाग में सम्भवतः आरक्षण पूरा नहीं है। चतुर्थ श्रेणी इम्प्लाईज में जो 14 परसेंट का आरक्षण आपने बताया है उसमें स्वीपर्स शामिल नहीं हैं, वह अलग हैं। आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें।

[श्री राम सिंह]

इसके अलावा एक अनुसूचित जाति आयोग के सिलसिले में कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि उसको कुछ पावर्स नहीं हैं। एक माइनारिटीज कमीशन यहाँ है। यह सब विषय उसको दिए गए थे माइनारिटीज कम्युनिटीज के बारे में भी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों से सम्बन्धित समस्याएं भी उसको दी गयी थीं। लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट यह आई कि वह केवल माइनारिटीज के बारे में ही विचार करेगा और यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विषय बिल्कुल भिन्न है। शायद उस वक्त यह तय हुआ होगा कि आयुक्त की नियुक्ति हो, लेकिन जिस अनुच्छेद के अन्तर्गत सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आयुक्त की नियुक्ति होती है स्टेट्स में उसकी नियुक्ति की चर्चा संविधान में नहीं है। फिर हम उसकी नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? इसके लिए संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो आयुक्त तो नहीं, एक आयुक्त स्तर के अधिकारी हैं जो सब समस्याओं को देखते हैं। तो कानूनी कुछ बंदिश है जिसके कारण हम असमर्थ हैं। तो हम विचार कर रहे हैं कि क्या-क्या विषय उनके मातहत लाएं ताकि वह अन्य विभागों से तालमेल करके हरिजनों के सम्बन्ध में कुछ कर सकें।

कुछ अन्तर्जातीय विवाह के सम्बन्ध में यहां जिक्र हुआ। वह योजना शासन की है। बहुत पहले शायद निश्चय हुआ था कि अन्तर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को एक हजार रुपया प्रति जोड़ा देंगे। तो हमने उसको लागू करने का निश्चय किया है और इस वर्ष से लागू करने का विचार हमारा है जिससे अन्तर्जातीय विवाह की प्रथा कुछ बढ़े ताकि जाति प्रथा कुछ कम हो सके।

एक बात माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी ने खीरी जिले के थारू लोगों के बारे में कही कि वहां के गांवों को रेवेन्यू विलेज घोषित किया जाय। तो मैं बता दूं कि उस सम्बन्ध में काम चल रहा है और जिला स्तर से रिपोर्ट आ चुकी है और वह गांव रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर कर दिए जायेंगे।

माननीया रामरति जी ने फैजाबाद के छात्रावास के सिलसिले में कहा था। उस छात्रावास का न निर्माण करने की बात नहीं है लेकिन सब से ज्यादा दिक्कत भूमि के अधिग्रहण करने में होती है। भूमि किस प्रकार से उपलब्ध की जाय। भूमि न मिलने की वजह से पूरी तरह से स्कीम सफल नहीं हो पाई। तो जमीन मिलने के बाद ही छात्रावास का निर्माण हो सकता है। फैजाबाद में छात्रावास निर्माण करने की स्कीम है। तो उस सम्बन्ध में जो अलग-अलग समस्याएं यहां बताई हैं माननीय सदस्यों ने उनके बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो विभागीय कार्यकलापों के बारे में है, मेरी जानकारी में सब चीजें हैं। विभागीय मन्त्री होने के कारण मेरा यह प्रयास होगा कि इस विभाग को सुदृढ़ बना सकें। जिस मकसद में यह पैसा दिया जाता है, उस मकसद में खर्च हो। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि भ्रष्टाचारी अधिकारी इस विभाग में बहुत हैं। ऐसी बात नहीं है। कोई विभाग या कोई मोहकमा ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारी न हों। इस विभाग में अच्छे कर्मचारी और अधिकारी भी हैं। बहुत अधिकारी ऐसे भी हैं, जो मेहनत से काम करते है। एक साहब ने कहा कि इसके सचिव को या अधिकारी को तब नियुक्त किया जाता है, जब किसी को सजा देना होता है। ऐसी बात

नहीं है। यह विभाग नीचे स्तर पर भी आपकी सेवा करता है। कहीं पर अगर गड़बड़ होगी, भ्रष्टाचार होगा या कहीं पर कोई ऐसी बात होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इस अनुदान को निर्विरोध पारित होने दें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मन्त्री जी से, यह अन्ध, वधिर, विकलांग छात्र हैं, उनके विषय में कहना चाहता हूं। उनको 30 रुपए मासिक छात्रवृत्ति मिलती है। उन अन्ध छात्रों को छात्रवृत्ति आज तक हरिजन विभाग ने नहीं बढ़ाया है।

श्री अध्यक्ष ---

भाषण नहीं। आपको जो स्पष्टीकरण मांगना हो, वह मांगें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

श्रीमन्, इस सदन में कई बार बात उठ चुकी है कि जो स्वीपर हैं. . .

श्री अध्यक्ष---

माननीय पुरुषोत्तम कौशिक जी यह भाषण और सुझाव का समय नहीं है, मतदान मुझे शुरू करना है, जो माननीय मन्त्री जी के भाषण में स्पष्टीकरण माँगना हो, वह माँगिए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। मान्यवर, 3 रुपया मासिक एक हरिजन स्वीपर राजकीय जूनियर विद्यालय, पड़रौना (देवरिया जनपद) में पाता है, ऐसे लोगों के लिए भी क्या माननीय मन्त्री जी कुछ व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, अन्ध विद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में जो बात माननीय सदस्य ने कही है, वह सच नहीं है। वहां हम प्रति छात्र 50 रुपया उनको देते हैं छात्रावास में और शिक्षा प्राप्त करने के लिए। स्वीपर के सम्बन्ध में जो बात आपने कही है, मेरे विचार से यह शिक्षा से सम्बन्धित बात है, लेकिन वह पूर्णतया वैतनिक कर्मचारी नहीं होगा, होल-टाइम वह नहीं होगा। वह तो वहीं सफाई करने के लिए किसी निश्चित समय के लिए आता होगा और उसके हिसाब से उसको पैसा देते होंगे। इसके विषय में मुझे जानकारी है नहीं।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

श्री बर्क, अब अवसर नहीं है। अब हम मतदान करायेंगे।

माननीय गुलाब सेहरा, क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाह रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

मन्त्री जी ने इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की कि शासन में जो तीन पदों का सृजन किया गया है उसमें आरक्षण पूरा नहीं हुआ है और इसके बारे में भी कोई बात नहीं बताई है। मेरा कटौती का प्रस्ताव विधिवत् मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,86,15,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के संज्ञान में लाए जाने वाले विषयों के उत्तर देने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। आपकी आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

बोलिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा है लेकिन माननीय मान सिंह जी की आज्ञा नहीं है। आपकी आज्ञा से चलना है, लेकिन माननीय मान सिंह जी रोक रहे हैं।

(हंसी)

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि शून्य प्रहर के सम्बन्ध में आपने आज्ञा दिया है कि हम लोगों को सूचनाएं मिलेंगी मन्त्रियों द्वारा। तो एक सूचना मुझे मिली है एक दिन पहले यह तो अभी केवल अन्तरिम सूचना मिली है। क्योंकि सूचना मुझे मिल चुकी है इसलिए मैं अपना दृष्टिकोण रख रहा हूं। एक तो यह कि सदन में जो प्रश्न, जो चीजें आपकी आज्ञा से उठेंगी, उन पर माननीय मंत्रियों द्वारा जो उत्तर मिलेगा उस पर कम से कम हस्ताक्षर माननीय मन्त्रियों के होंगे। मान्यवर, मुझे जो सूचना मिली है उस पर एक उप सचिव के दस्तखत हैं। इस पर आप अपनी आज्ञा दें कि क्या होना चाहिए। दूसरे श्रीमन्, मैंने इस सम्बन्ध में 7 सितम्बर को वाराणसी में एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर की गिरफ्तारी से पुलिस जनों में असन्तोष की सूचना दी थी। मान्यवर, इस पत्र में लिखा है कि 'उपरोक्त विषय पर अध्यक्ष, विधान सभा, लखनऊ को सम्बोधित आपके पत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1977 के सन्दर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि मामले में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में आपको पुनः सूचित किया जायगा। तो श्रीमन्, मैंने आपको कोई प्रत्र नहीं लिखा। मैंने शून्य प्रहर के लिए सूचना दी थी। तो यह दोनों बातें हैं, इस सबंध में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

सम्भवतः शून्य प्रहर में जो पत्र मेरे पास आते हैं मैं उनको सम्बन्धित मन्त्रियों के पास भेज देता हूं। मैं चाहता हूं और सरकार का यह फर्ज है कि शून्य प्रहर या नियम 51 में जो भी प्रश्न सदन में उपस्थित हों, स्वयं मंत्रियों को अपने हस्ताक्षरों से माननीय सदस्यों को उत्तर देने चाहिए।

(मेजों की थपथपाहट)

अनु सचिव, या सचिव द्वारा पत्र भेजना, यह उचित नहीं है। जो इस प्रकार के प्रश्न शून्य प्रहर या नियम 51 में आते हैं तो उसका उत्तर इस प्रकार देना कि अध्यक्ष जी के सन्दर्भ में यह नहीं होना चाहिए। पीठासीन व्यक्ति अध्यक्ष जिसकी अनुमति देते हैं, वह प्रश्न तो सदन का प्रश्न है। इसलिए उसका उत्तर उसी रूप के अन्दर माननीय मन्त्रियों को देना चाहिए। मुझे आशा है कि सब मन्त्री इस बात का ध्यान रखेंगे।

एक सदस्य--

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सदस्य रह गए हैं बोलने को हरिजन बजट पर, यदि आपकी आज्ञा हो तो अपने सुझाव मन्त्री जी के पास लिखकर दे दें। इस पर आप व्यवस्था दीजिए तो बहुत अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--

इसमें मेरी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका यह सुझाव बहुत ही सुन्दर है। आप कृपया मन्त्री जी को लिख कर भेज दें और माननीय मन्त्री जी इनके सुझावों पर भी अवश्य ही ध्यान रखें जैसा कि सदन में यहां सदस्यों ने कहा है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मैंने प्रातः काल आग्रह किया था कि शून्य प्रहर में जो नोटिसें यहां से देते हैं उनकी तरफ शासन का ध्यान नहीं है। आपने देखा और जैसा हमारे उप नेता ने बताया कि कोई इस सम्बन्ध में फार्म प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। आपको पत्र लिख दिया। शून्य प्रहर के प्रस्ताव का महत्व यह रहा कि अध्यक्ष को पत्र लिख दिया। उसका अन्तरिम रिप्लाई है, जिसमें लिखा है कि आपको इस सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में आपको पुनः सूचित शीघ्र ही किया जाएगा। तो श्रीमन्, यह शून्य प्रहर की कद्र रही। आपसे समझौता किया हमने वरना शोर शराबा होता था। इसलिए यदि शून्य प्रहर के उत्तर इस प्रकार न आएं और 7 दिन के अंदर उत्तर मिलने शुरू नहीं हुए तो विरोधी दल शून्य प्रहर में कोई प्रस्ताव नहीं लायेंगे और जैसा कि नियम 51 में पहले होता था वैसा करेंगे।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब इसमें कोई विवाद नहीं है और न कोई व्यवस्था का प्रश्न यहां उठता है। अब इस सम्बन्ध में मैं पुनः सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्रश्न यहां उठाए जायं, उनका महत्व समझा जाय और यथासम्भव एक हफ्ते में निश्चयात्मक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष—]

रूप से उसका उत्तर आना चाहिए। यदि कहीं पर सूचना एकत्र करने में कठिनाई हो तो अन्तरिम उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन माननीय सदस्यों के इन प्रश्नों को महत्व देने की आवश्यकता है क्योंकि सदन सर्वोपरि है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नियम 51 को लेता हूं। जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उसमें हमने श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री जगदीश सिंह द्वारा जो सूचना मुझे मिली हैं उनको स्वीकार किया है। यह सूचना इस प्रकार है—जिला शाहजहांपुर में दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को विमुक्त जाति के श्री मैकूलाल जो देहात से चलकर रात में कस्बा कटरा में ठहर गया था उसको तथा उसके परिवार के सदस्यों को दरोगा तथा चार सिपाहियों द्वारा पकड़कर थाने में ले जाना और उनके साथ अभद्र व्यवहार करना तथा कु0 संसारवती के साथ बलात्कार करना और शासन द्वारा इन दोषी व्यक्तियों को कड़ी सजा न दिया जाना।

इसको मैंने स्वीकार किया है और यहां पर माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री जी हैं वह कृपया मुख्य मन्त्री जी को सूचित कर दें कि इसके सम्बन्ध में यह कोई शीघ्र ही कार्य करें और वक्तव्य दें। दिनांक 26 तक वक्तव्य है इस पर 27 को वक्तव्य दे देंगे।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पूर्वाह्न बैठेंगे।

(इस के बाद सदन 5 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ.
22 सितम्बर, 1977.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 424 पर]

विवरण

माह/वर्ष जिसमें अभ्यर्थियों के नाम भेजे गए			अभ्यर्थियों के नामों की संख्या
जनवरी, 1975	..	..	11
अप्रैल, 1975	..	..	26
अगस्त, 1975	..	..	4
नवम्बर, 1975	..	..	10
दिसम्बर, 1975	..	..	9
अप्रैल, 1976		..	12
जुलाई 1976	..	..	14
अक्तूबर, 1976	..	..	24
फरवरी, 1977	..	..	21
फरवरी/मार्च, 1977	..	..	29
मई, 1977	..	..	28

संसदीय विधान सभा पंजीकृत

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 434 पर)

जनवरी, 1977 से जून, 1977 तक की अधिष्ठापित क्षमता का विद्युतगृहवार ब्योरा

विद्युतगृह का नाम		अधिष्ठापित क्षमता जनवरी-फरवरी, 77 (मेगावाट)	अधिष्ठापित क्षमता मार्च, 77 से जून 1977 तक (मेगावाट)
(क) जल विद्युत् --			
1--रिहन्द	..	300.00	300.00
2--ओबरा (जल विद्युत्)	..	99.00	99.00
3--माताटीला	..	30.00	30.00
4--खटीमा	..	41.40	41.40
5--(क) ढाकरानी (ख) ढोलीपुर	..	84.75	84.75
6--छिब्रो	..	240.00	240.00
7--कुलहल	..	30.00	30.00
8--रामगंगा	..	132.00	198.00
9--गंगा नहर पर स्थित विद्युत् गृह	..	45.20	45.20
योग, जल विद्युत्	..	1002.35	1068.35
(ख) तापीय--			
1--ओबरा (तापीय)		250.00	250.00
2--ओबरा विस्तार प्रथम चरण	..	300.00	300.00
3--हरदुआगंज (ए)	..	90.00	90.00
4--हरदुआगंज (बी)	..	210.00	210.00
5--पनकी	..	64.00	64.00
6--रीवर साईड पावर हाउस कानपुर	..	110.00	220.00
7--हरदुआगंज षष्टम चरण	..	75.00	75.00
8--पनकी विस्तार	..	..	60.00
9--छोटे तापीय विद्युत् गृह	..	137.50	137.50
10--डीजल तथा गैस टरबाईन	..	15.49	15.49
योग, तापीय (डीजल तथा गैस टरबाइन सहित)		1251.99	1421.99
कुल योग (जल विद्युत् तथा तापीय)	..	2254.34	2490.34

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 444 पर)

तालिका 'क'

आपातकालीन अवधि के दौरान नसबन्दी के उपरान्त हुई मृत्युओं की तालिका

क्रम-संख्या	जनपद का नाम	वर्ष 1975-76	वर्ष 1976-77	योग
1	2	3	4	5
1	आगरा	.. 5	1	6
2	अलीगढ़	.. 5	..	5
3	एटा	.. 1	2	3
4	मैनपुरी	.. 4	1	5
5	मथुरा	.. 1	..	1
6	इलाहाबाद	.. ..	4	4
7	इटावा	.. 3	..	3
8	फर्रुखाबाद	.. ..	3	3
9	फतेहपुर	.. ..	3	3
10	कानपुर	.. 3	11	14
11	बांदा	.. 3	1	4
12	हमीरपुर	.. ..	3	3
13	जालौन	.. 2	..	2
14	झांसी	.. ..	..	..
15	ललितपुर	.. ..	..	..
16	बहराइच	.. ..	4	4
17	बाराबंकी	.. ..	3	3
18	फैजाबाद	.. ..	1	1
19	गोन्डा	.. ..	5	5
20	प्रतापगढ़	.. ..	2	2
21	सुल्तानपुर	.. 2	5	7
22	चमोली	.. ..	..	..
23	देहरादून	.. 1	2	3
24	पौड़ी गढ़वाल	.. ..	..	..
25	टेहरी गढ़वाल	.. ..	..	..

सत्यमेव जयते विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
26	उत्तरकाशी ..	..	..	..
27	आजमगढ़ ..	1	6	7
28	बस्ती ..	2	..	2
29	देवरिया ..	..	3	3
30	गोरखपुर ..	..	5	5
31	अल्मोड़ा ..	..	2	2
32	नैनीताल ..	..	5	5
33	पिथौरागढ़ ..	..	1	1
34	हरदोई ..	2	1	3
35	खीरी ..	..	5	5
36	लखनऊ ..	..	7	7
37	रायबरेली ..	..	..	..
38	सीतापुर ..	..	5	5
39	उन्नाव ..	..	3	3
40	बुलन्दशहर ..	..	..	..
41	गाजियाबाद ..	..	..	..
42	मेरठ ..	..	6	6
43	मुजफ्फरनगर ..	..	11	11
44	सहारनपुर ..	..	3	3
45	मुरादाबाद ..	..	4	4
46	बिजनौर ..	3	1	4
47	रामपुर ..	..	1	1
48	बरेली ..	2	7	9
49	बदायूं ..	..	1	1
50	पीलीभीत ..	..	2	2
51	शाहजहांपुर ..	..	3	3
52	बलिया ..	..	5	5
53	गाजीपुर ..	3	3	6
54	जौनपुर ..	..	..	..
55	मिर्जापुर ..	1	3	4
56	वाराणसी ..	1	9	10
	समस्त उत्तर प्रदेश ..	45	152	197

तालिका 'ख'

पत्नी की उम्र के आधार पर नसबन्दी आपरेशन हेतु व्यक्तियों की जिलेवार सूची जिनकी उम्र इस लायक नहीं थी :

क्रम-सं 0	जनपद का नाम	(वर्ष 45–49) 1975-76	1976–67	योग	(49 वर्ष से ऊपर) 1975–76	1976–77	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	7	735	742	..	19	19
2	अलीगढ़	..	..	..	..	..	..
3	एटा	72	..	72	22	..	22
4	मैनपुरी	..	257	257	..	3	3
5	मथुरा	2	495	497	..	6	6
6	इलाहाबाद	11	..	11	..	..	..
7	इटावा	..	414	414	..	5	5
8	फर्रुखाबाद	..	24	24	..	3	3
9	फतेहपुर	103	..	103	..	..	..
10	कानपुर	..	..	..	..	..	..
11	बाँदा	..	..	..	..	..	..
12	हमीरपुर	..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
13	जालौन	8	430	438	1	25	26
14	झांसी	6	..	6	..	..	..
15	ललितपुर	..	6	6	..	..	..
16	बहराइच	..	164	164	..	1	1
17	बाराबंकी	..	143	143	..	..	..
18	फैजाबाद	..	..	..	..	..	..
19	गोंडा	..	129	129	..	..	..
20	प्रतापगढ़	12	..	12	..	..	..
21	सुल्तानपुर	8	..	8	..	..	..
22	चमोली	1	..	..	..	..	..
23	देहरादून	33	..	33	..	..	..
24	पौड़ी-गढ़वाल	2	173	175	..	..	..
25	टेहरी गढ़वाल	..	61	61	..	..	..
26	उत्तरकाशी	59	6	65	..	..	..
27	आजमगढ़	..	..	..	..	..	..
28	बस्ती	..	..	..	..	.	..
29	देवरिया	..	..	..	..	..	..
30	गोरखपुर	..	1086	1086	..	35	35
31	अल्मोड़ा	..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
32	नैनीताल	7	1924	1931	..	..	..
33	पिथौरागढ़	34	..	34	..	..	..
34	हरदोई	..	..	..	..	..	..
35	खीरी	..	..	..	..	..	..
36	लखनऊ	38	..	38	..	..	..
37	राय बरेली	..	493	493	..	..	..
38	सीतापुर	23	..	23	..	..	..
39	उन्नाव	76	749	825	..	5	5
40	बुलन्दशहर	38	655	693	8	16	24
41	मेरठ	..	686	686	..	..	..
42	मुजफ्फरनगर	..	..	..	..	..	..
43	सहारनपुर	..	..	..	..	..	..
44	मुरादाबाद	..	110	110	..	..	..
45	बिजनौर	..	..	..	..	..	..
46	रामपुर	74	..	74	..	..	..
47	बरेली	15	..	15	..	..	..
48	बदायूं	22	..	22	..	..	..
49	पीलीभीत	2	92	94	..	..	..
50	शाहजहाँपुर	..	206	206	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
51	बलिया	..	..	..	..	..	..
52	गाजीपुर	..	..	..	..	..	..
53	जौनपुर	6	..	6	1	..	1
54	मिर्जापुर	12	175	187	..	..	..
55	वाराणसी	..	275	275	..	..	..
	कुल योग उत्तर प्रदेश ..	670	10079	10749	32	118	150

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 445 पर)

क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों का क्षेत्र एवं वर्षवार विवरण

क्रम-स 0	क्षेत्र का नाम	31-3-76 तक	1976-77	1977-78 जुलाई, 77 तक	31-7-77 तक क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की कुल संख्या	31-7-77 तक मरम्मत हुए ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या	प्रतिवर्ष मरम्मत हुए ट्रांसफार्मरों का औसत प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कानपुर	3,168	1,150	..	4,318	2,555	59.18
2	मेरठ	2,292	3,290	..	5,582	34,39	61.61
3	आगरा	866	786	342	1,994	971	48.70
4	बरेली	..	उपलब्ध नहीं है	..	5,056	2,457	48.60
5	लखनऊ	782	1,071	1,882	3,735	1,307	35.00
6	नैनीताल	572	227	121	920	438	47.57
7	वाराणसी		उपलब्ध नहीं है	..	7,407	2,592	35.00
					29.012	13,759	47.95

पी0एस0यू0पी0—एल0 332 वि0 सभा (743)—1978—8431

उत्तर प्रदेश विधान सभा